खण्ड-126, अंक-1
मंगलवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1875
(25 अगस्त, 1953 ई0)

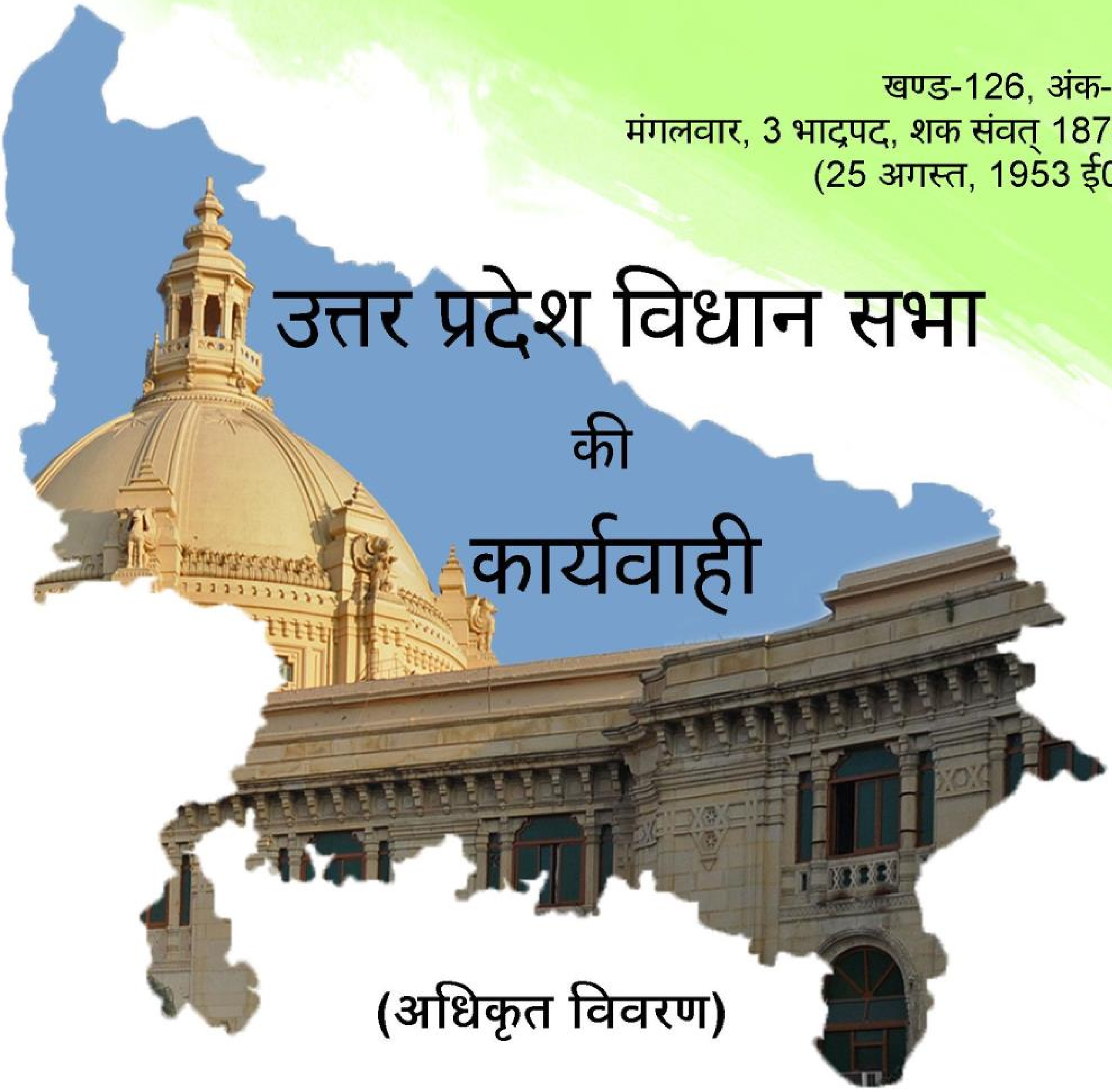

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 126 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

रिजर्व बैंक आफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लिखे गये संशोधित इकरारनामे के संबंध में स्मृति पत्र (प्रतिलिपि मेज पर रक्खी गई) ३२

१९५०–५१ के विनियोग तथा वित्त लेखे और तत्संबंधी लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिलिपियां मेज पर रक्खी गईं).... .... ३२—३३

उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ (पुरः स्थापित किया गया) ३३

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ (पारित) .... ३३—५३

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा संशोधन पर कि उसे जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय, विवाद जारी) .... ५३—६१

सार्वजनिक लेखा समिति के उपनिर्वाचन के संबंध में प्राप्त नाम निर्देशनों की वापसी के लिए निर्धारित समय में परिवर्तन ६१

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा संशोधन पर कि उसे जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय विवाद जारी) .... ६२—७४

नस्थियां .... ७५—८५

संसद सदस्य सूचना केन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:०:—

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५३

—:०:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:०:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल , श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल , श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह , श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
राममेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर ,श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र ,श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पाडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राज, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव,श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द , डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवन्तीनन्दन बहुगुना, श्री

—:o:—

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि सहकारी आदि मुहकमों को जिला नियोजन अधिकारी के मातहत रखने की योजना

*१—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हर जिले में कृषि सहकारी आदि बहुत से मुहकमों को एक जिला नियोजन अधिकारी के मातहत रखने की जो योजना उसने बनाई थी वह अब छोड़ दी गई है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)—जी नहीं।

*२—श्री बलवन्त सिंह—यदि हां, तो इसका अब रूप क्या होगा ?

श्री फूल सिंह—प्रश्न ही नहीं उठता।

शारदा पावर योजना, पीलीभीत के प्रारम्भिक तखमीने में वृद्धि

*३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या विद्युत मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि शारदा पावर योजना, पीलीभीत का प्रारम्भिक तखमीना क्या था और उसका वर्तमान तखमीना क्या है ?

वित मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—शारदा पावर योजना में ट्रान्समिशन का तखमीना ७२६ लाख रुपया था और वर्तमान तखमीना १,१८५ लाख रुपया है।

*४—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या विद्युत मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि इन दोनों तखमीनों में अन्तर किन-किन मदों के कारण हुआ और इस वृद्धि का ब्योरा क्या है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—वृद्धि आमतौर पर इस्कीम में बदलाव व मशीनों व मजदूरी का मूल्य बढ़ जाने के कारण है, जो कि १९४५ के बाद काफी बढ़ गयी है जब कि आरम्भिक तखमीना बना था। इसके अलावा बहुत से ऐसे अनिवार्य खर्च हुये हैं जिनके बारे में पहले से नहीं सोचा जा सकता था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि हाईडल विभाग के चीफ़ इंजीनियर श्री ए० पी० वाटल ने जो पहले पहल स्कीम बनाई थी उसका तखमीना सिर्फ़ डेढ़ करोड़ रुपये का था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--डेढ़ करोड़ रुपये का तख़मीना नहीं था, वह दो करोड़ से भी ज्यादा था लेकिन उसके अन्दर ट्रान्समिशन और यह सब चीज़ें जो उसमें शामिल की गयीं हैं वह उसमें शामिल नहीं थीं। वह सन् १९४२-४३ का था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--नम्बर ४ के जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया है कि उस स्कीम में बहुत से बदलाव हो गये हैं तो क्या उस बदलाव पर माननीय मंत्री जी कोई रोशनी डालेंगे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, उसकी बहुत लम्बी फेहरिस्त है, अगर इजाज़त हो तो पढ़ूं।

श्री अध्यक्ष—मुख्तसर में अगर कोई बात हो तो उसे आप बता सकेंगे। पूरी स्कीम जवाब में नहीं बतलायी जा सकती है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जितने ट्यूबवेल्स लगाने की तजवीज़ थी उसके दसगुने ट्यूबवेल्स लगाये गये। चैनेल्स के बनाने का तख़मीना उसमें शामिल नहीं था। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि १०,१२ चीज़ें हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह जो पावर लाइन हाउस को बेस बनाने के लिये कांस्ट्रक्शन हुआ है उसमें क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि कितना रुपया लगा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसका खर्चा इस वक्त मेरे पास नहीं है।

पथरी के बिजली घर का निर्माण

*५—श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पथरी का बिजलीघर कब तक बन कर पूरा हो जायेगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—पथरी पावर हाउस के मार्च, १९५५ तक बन जाने की उम्मीद है।

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा के बिजली घर के निर्माण में अब क्या प्रगति हुई है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--पावर हाउस के सिविल वर्क्स पर काफी प्रगति हो चुकी है और मशीनें लगने का काम शुरू हो गया है। यह पावर हाउस १९५५ के मध्य तक बन जाने की उम्मीद है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—पथरी के पावर हाउस में अब तक कितना खर्चा हुआ है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—ये फ़ीगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि पथरी पावर हाउस सन् ५३ में तैयार हो जायगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुझे तो याद नहीं है कि सरकार ने ऐसी घोषणा की थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा पावर हाउस की मशीनें कहां से मंगाई गई हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मेरे ख़याल में अमेरिका से मंगाई गयी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इन मशीनों के लगाने का, सिविल ठेके के अलावा, कोई दूसरा अलग कंट्रैक्ट भी दिया गया था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---सिविल काम अलहदा है। उसका काम करने वाली फ़र्म अलहदा है। एक दूसरी फ़र्म है जिसे इरेक्शन का काम दिया गया है जो मशीनों को लगाती है वेस में।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इन मशीनों के लगाने के कंट्रैक्ट की क्या क्या शर्तें हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो उन्हें अपनी याद से बयान नहीं कर सकता हूं।

कागज़ दुरुस्ती के प्रार्थना पत्रों का निपटारा

*७---श्री देवदत्त मिश्र (ज़िला उन्नाव)---क्या सरकार किसानों द्वारा कागज़ दुरुस्ती के कार्य को सुगम और शीघ्र सम्पन्न करने के उद्देश्य से एस० डी० ओ० के तत्संबंधी अधिकार तहसीलदारों को हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---जिन ज़िलों में उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत दुरुस्ती काग़ज़ात संबंधी प्रार्थना पत्रों की संख्या अधिक है वहां के तहसीलदारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे प्रार्थना पत्रों का निपटारा करने के अधिकार दे दिये गये हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या उन्नाव ज़िले में तहसीलदारों को ये अधिकार दिये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या एस० डी० ओ० और तहसीलदारों के काग़ज़ात दुरुस्ती संबंधी दौरे की पूर्व सूचना संबंधित ग्रामों को दी जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जब जांच के लिये जाना होता है तो उसकी सूचना लोगों को हो ही जाती है।

सार्वजनिक ऋण की आयोजना

*८---श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (ज़िला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में उसके द्वारा चालू किये गये ५०० (पांच सौ) लाख रुपये के चार फीसदी सूद वाले सार्वजनिक ऋण की आयोजना में उसको कितनी सफलता मिली ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इस कर्ज को चालू करने में बड़ी सफलता मिली क्योंकि जितना रुपया उधार मांगा गया था उससे ज्यादा रुपया उधार मिला।

*९---श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस ऋण में कितना रुपया दिया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---सरकार के पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित भिन्न-भिन्न बैंकों में कितना रुपया इस मद में लोगों ने जमा किया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—अभी रिजर्व बैंक से ये फीगर्स नहीं आये हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—इस मद में कितना ज्यादा रुपया जमा हुआ है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—५ करोड़ के कर्जे पर १० फीसदी ज्यादा मिला जो मिल सकता था।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन नियमों का उल्लंघन

*१०—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या राजस्व मंत्री के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि मालगुजारी के बाकीदारों की गिरफ्तारी के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (१९५१ का अधिनियम सं० १) के अधीन नियमावली के नियम २२९, २३०, २३६ का पालन नहीं किया जाता ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

*११—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या राजस्व मंत्री उक्त नियमावली के नियम २४७ के अनुसार मूल अधिनियम की धारा २८१ के अधीन गिरफ्तारी और निरोध तब तक न करने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे जब तक ऊपर लिखे नियमों का अक्षरशः पालन न हो गया हो ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नियमों के उल्लंघन के विषय में सूचना प्राप्त हुई तो अवश्य उचित आदेश जारी किया जायेगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में मालगुजारी के कितने डिफ़ाल्टर्स गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

यमुना हाईडेल प्रोजेक्ट, देहरादून का व्यय

*१—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यमुना हाईडेल प्रोजेक्ट, देहरादून कब और कितना धन व्यय करने के बाद बन्द कर दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यमुना हाईडेल प्रोजेक्ट बन्द नहीं किया गया बल्कि उस का बनाना नवंबर, १९४९ में स्थगित किया गया। और इस पर उस वक्त तक २२ लाख ७९ हजार आठ सौ सत्ताइस रुपया खर्च हो चुका था।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी ने जो यह बतलाया कि १९४९ में इसको स्थगित किया गया तो क्या सरकार इसको फिर चलाने का इरादा रखती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जो हमारा पावर प्लान बना हुआ है उसके अंदर शामिल है और अगले फेज में यह आने वाली है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यह जो २२,६९,००० रुपया खर्च किया गया वह किन किन मदों में खर्च किया गया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मद कोई नहीं है, वह तो इन्वेस्टीगेशन वर्क होता है। जिस जगह कोई पावर स्टेशन वगैरा बनाना होता है तो वह जगह इस काबिल है या नहीं इसकी तहकीकात होती है। उसमें वक्त भी लगता है और रुपया भी लगता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि भाखरा पावर हाउस से बिजली मिलने की आशा में जमुना हाईडेल पावर को रोक दिया गया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---बिलकुल गलत है।

सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र की सिंचाई के साधन

*२---**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) [अनुपस्थित]---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र की सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के विषय में क्या सरकार सर्वे (survey) कराने की व्यवस्था करेगी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---पट्टी देवरी व असोई ग्रामों के लगभग १८५० एकड़ भूमि को छोड़कर सिकन्दराराऊ के दक्षिण का सारा क्षेत्र नहर के अधिक्षेत्र में। नहर में जल की कमी के कारण उक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं दी जा सकती है। पट्टी देवरी ग्राम का अधिकतर भाग ऊसर और कृषि के अयोग्य है अतः यह क्षेत्र नई सिंचाई सुविधा पाने की प्राथमिकता नहीं रखता। इसलिये इस क्षेत्र का सर्वे कराने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

*३---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार को मालूम है कि बरसामई ग्राम में जो सिंचाई होती है उस पर तावान कई वर्षों से वसूल होता आ रहा है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बरसामई सिंचाई सुविधा से वंचित ग्राम है। सरकार द्वारा नियुक्त रेह कमीशन के प्रतिवेदन पर सरकार ने इसे सन् १८७९ में सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया था। सरकारी आज्ञा के विपरीत जो लोग नहर जल को सिंचाई के लिये प्रयोग करते हैं उनसे इरिगेशन मैनुअल आफ आर्ड्र्स के अनुच्छेद १९३ (२७) के अनुसार तावान के अतिरिक्त सिंचाई परिव्यय भी वसूल किया जाता है। बरसामई के कृषक उक्त आदेश तोड़ कर नहरें काट लेते हैं या कुलाबों से निर्धारित कमान्ड के बाहर के क्षेत्र में सिंचाई कर लेते हैं अतः उन पर प्रति वर्ष तावान लगाया जाता है।

*४---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आबपाशी के कुंओं के लिये सीमेंट प्राप्त करने की अर्जियां पंचायत इन्सपेक्टर तथा तहसीलदार सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के पास आई परन्तु उन्हें एक साल से सीमेंट नहीं मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आबपाशी के कुओं के लिये सीमेंट प्राप्त करने की अर्जियां पंचायत इन्सपेक्टर द्वारा, तहसीलदार सिकन्दराराऊ के पास आई परन्तु उनमें से एक भी अर्जी ऐसी नहीं है, जिस पर एक साल या उससे अधिक समय से सीमेंट न दिया गया हो।

सीमेंट की समस्त विचाराधीन अर्जियों का निस्तारण हो गया है और जरूरतमन्द किसानों को सीमेंट दिया जा चुका है।

*५-६-**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फर नगर)-[२ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

सार्वजनिक-निर्माण विभाग की सड़कों पर ग्रामों के नामों की अंकित तख्तियां

*७---**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर) [अनुपस्थित]---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर ग्रामों के नामों की नयी तख्तियां नागरी लिपि के बजाय रोमन लिपि में क्यों लगायी गयी हैं ?

☞ **निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)**—इस संबंध में सरकारी आदेश अब यह है कि राष्ट्रीय राज्य मार्गों (national highways) पर केन्द्रीय सरकार की आज्ञानुसार तख्तियां रोमन लिपि में लगाई जायें, तथा उन प्रान्तीय सड़कों पर जो देश के विभिन्न राज्य के नागरिकों द्वारा प्रयोग में आते हैं, उनकी सुविधा के लिये बारी-बारी से एक मील में नागरी तथा दूसरे में रोमन लिपि का प्रयोग हो, और बाकी और सड़कों पर केवल नागरी लिपि में ही तख्तियां लगायी जायें।

गौरीगंज–प्रतापगढ़ सड़क के कच्चे भाग को पक्का करना

*८—**श्री रणंजय सिंह**—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि गौरीगंज से अमेठी होती हुई प्रतापगढ़ जाने वाली सीधी सड़क के कच्चे भाग को पक्का कर देने का कार्य जो स्थगित कर दिया गया था, अब कब तक आरम्भ किया जायगा तथा कितने दिनों में पूर्ण होगा ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर सड़क निर्माण योजना के द्वितीय चरण में विचार किया जायेगा। इस समय यहां नहीं कहा जा सकता है कि इस सड़क पर कार्य कब आरम्भ किया जायेगा।

आजमगढ़ पावर हाउस

*९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या वित्त मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ पावर हाउस को जब से सरकार ने लिया है तब से उसमें प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ और उन वर्षों में एस्टैब्लिशमेंट का खर्च क्या हुआ ? क्या एस्टैब्लिशमेंट का यह खर्च पावर स्टेशन, घाघरा इलक्ट्रीसिटी पम्पिंग स्कीम सोहावल, फैजाबाद के मातहत रखने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आजमगढ़ पावर हाउस सरकार ने मई सन् १९४७ में लिया, तब से उसके खर्चे व आमदनी के आंकड़े जो अब तक प्राप्त हैं, इस प्रकार हैं—

	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
आमदनी	३१,२४२	४७,१३२	५४,२२६	६९,४६२
खर्चा				
(अ) वर्क्स (works)	२७,७४४	३१,८६६	२५,८३५	३३,६२५
(ब) एस्टैब्लिशमेंट	२२,७६३	२८,६९४	२४,५१७	२५,९३४

इसके एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा घाघरा इलक्ट्रीसिटी स्कीम (सोहावल पावर हाउस) के मातहत रखने की कोई तजवीज सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पावर हाउस की इंसटाल्ड कैपेसिटी क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसकी इत्तिला मेरे पास इस वक्त है नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी ने जो यह खर्च बतलाया है कि वर्क्स के ऊपर हुआ तो वह किस किस प्रकार के वर्क्स के ऊपर खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसकी तफसील तो मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वर्क्स के ऊपर जो १,१९,०७० रुपये का खर्च बतलाया है और इस पावर हाउस की इंस्टाल्ड कैपेसिटी १८९ किलोवाट्स है तो क्या इतने में नया पावर हाउस बनाया नहीं जा सकता था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—एस्टैब्लिशमेंट का जो खर्चा बतलाया गया है उसमें क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन-कौन से अफसर वहां काम करते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आफिसर्स हाइडेल डिपार्टमेंट के हैं। नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है। वे बदलते भी रहते हैं ?

*१०—११—श्री कल्याण राय (जिला रामपुर) [८ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

सिंचाई के लिये मछलीबन नहर को पुनः चालू करने का सुझाव

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि चोर गल्या हल्का, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में मछलीबान नामक "बन्द" (Dam) से निकाली गई पुरानी ३ मील लम्बी नहर आजकल बेकार व बन्द पड़ी है ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसा होने का कारण बतायेगी ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री राममूर्ति)—पुरानी चोरगल्या नाम की तीन मील लम्बी नहर नधूर नदी के दाहिने किनारे पर उस स्थान से निकलती थी जिसे मछलीबन कहते हैं। नहर को पानी देने के लिये इस स्थान पर हर साल एक कच्चा बांध बनाया जाता था। बांध से ढाई मील नीचे तक इस नहर से कोई सिंचाई नहीं होती थी। इस ढाई मील के अन्दर वाले नहर के ऊपरी भाग को लगभग १३ वर्ष पूर्व भारी क्षति पहुंची और यह नष्ट हो गया। अतः नहर को पानी देने के लिये अब मछलीबन स्थान से २ मील नीचे एक स्थायी बांध बना दिया गया है और नहर उस तमाम क्षेत्र की जिसकी सिंचाई इससे पहले होती थी अब भी संतोषजनक सिंचाई हो रही है मछली बन बांध के पुनः निर्माण में निर्माण संबंधी कठिनाइयों के अतिरिक्त लगभग एक लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है, जो इस विचार से कि नहर पूर्ववत संतोषजनक सिंचाई कर ही रही है आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार हल्द्वानी तहसील के चोरगल्या हल्के व सितारगंज तहसील में सिंचाई के लिये उक्त मछलीबन नहर को दुबारा चालू कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—सितारगंज तहसील में तो इस नहर से कभी सिंचाई नहीं होती थी और हल्द्वानी तहसील में इस नहर से अब भी पूर्ववत सिंचाई हो रही है। अतः मछलीबन बांध को दुबारा चालू करना लाभप्रद प्रतीत नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मछलीबन नहर का जो हेडवर्क्स है वह बिलकुल सुरक्षित है ?

श्री राममूर्ति—उसका मोहरा भले ही सुरक्षित हो, लेकिन जहां पर बांध बंधा हुआ है वहां उसके किनारे बिलकुल कट गये हैं इसलिये उसके बनाने पर एक लाख रुपये का खर्च है। इस खर्च की इस समय जरूरत इसलिये नहीं है क्योंकि मौजूदा बांध से सिंचाई का काम संतोषजनक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अस्थायी बांध साल में कई बार टूट जाता है।

श्री राममूर्ति—बांध तो बारिश के मौके पर ही टूटा करता है। कई बार टूटने का मौका नहीं आता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर वहां की ग्राम सभा उस नहर के आधे हिस्से को साफ करने का बीड़ा उठाये तो क्या सरकार फिर से मछलीबन को चालू करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहर तो चालू है ही और जितनी सिंचाई उससे हो सकती है वह तो हो ही रही है। जो हिस्सा टूटा हुआ है वह ऐसे जंगल से होकर गुजरता है जहां सिंचाई की कोई भूमि नहीं है इसलिये उसे चालू करने से कोई लाभ नहीं है।

*१४-१५—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—[८ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये,।]

रामपुर जिले की राजकीय विज्ञप्तियों का प्रकाशन

*१६—**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में किस-किस स्थानीय पत्र को राजकीय विज्ञप्तियां प्रकाशनार्थ दी जाती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रामपुर जिले में अदालती सम्मन व नोटिस निम्नलिखित समाचारपत्रों को प्रकाशनार्थ दिये जाते हैं:

१—दैनिक "नाजिम"।

२—दैनिक "जम्हूर" (इसका प्रकाशन कुछ महीनों से बन्द है)।

३—साप्ताहिक "ज्योति" (जो अब अर्ध साप्ताहिक हो गया है)।

*१७—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों की राजकीय विज्ञप्तियां स्थानीय तथा बाहरी समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने के विषय में क्या क्या सरकारी नियम हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस विषय में निम्नलिखित नियम हैं :—

राजकीय व अदालती विज्ञप्तियां और सम्मन साधारणतः केवल उन समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ दिए जाते हैं जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम १,००० हो, और जिनका प्रकाशन नियमित रूप से होता हो। ये दैनिक, अर्ध साप्ताहिक अथवा साप्ताहिक समाचार पत्रों को ही प्रकाशनार्थ दिए जा सकते हैं। अदालती नोटिस व सम्मन देने में योग्य स्थानीय समाचारपत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और यदि कोई स्थानीय समाचारपत्र इनके पाने के योग्य न हो तब ये बाहर के ऐसे समाचारपत्रों को दिए जा सकते हैं, जिनका प्रचार सम्बन्धित जिले में अधिक हो। राजकीय विज्ञापन प्रदेश के बाहर के उन समाचारपत्रों को भी दिए जाते हैं जिनका प्रचार इस प्रदेश में अधिक है। ऐसे समाचारपत्रों को जो साम्प्रदायिकता, हिंसा अथवा सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली भावनाओं को उत्तेजित करते हों या जो प्रायः भद्दे अथवा अश्लील लेख प्रकाशित करते हों, राज्य सरकार राजकीय विज्ञप्तियां आदि प्रकाशनार्थ देना बन्द कर सकती है।

अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की पुनर्निर्माण

१८*—**श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में पी० डब्ल्यू० डी० की कौन-कौन सड़कें अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दी गई हैं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—उन सड़कों की सूची जो प्रथम चरण में सरकार ने जिला बोर्ड अलीगढ़ से लीथीं और १-८-५२ से उनको लौटा दी गई हैं, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५ पर)

*१९—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सासनी-बिजैगढ़ अकराबाद रोड तथा हाथरस जलेसर रोड चौराहागंगीरी रोड इस वर्ष बनाने का विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

*२०—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या मुरसाना से बलदाऊजी को जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विजयगढ़ सासनी रोड पी० डब्ल्यू० डी० वर्क्स से तैयार कराई जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस प्रश्न का संबंध शायद १९ वें प्रश्न से है उसका उत्तर बाद में दिया जायगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि जो रोड्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को वापिस की गयी हैं और जिनको सरकार ने फर्स्ट प्रीफरेंस दिया था क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी उनको फर्स्ट प्रीफरेंस देगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सवाल ज्यादा स्पष्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जो सड़कें लौटा दी गयी हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अच्छी तरह से देखभाल रखेगा और जिस प्रीफरेंस की जो रोड होगी उसको वही प्रीफरेंस वह देगा ऐसा अन्दाजा किया जा सकता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—जिन सड़कों के बनने के बारे में योजना नहीं है उन सड़कों के बारे में क्या सरकार बता सकेगी कि कब तक उनके बनने की योजना हो जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो सड़कें बन चुकी हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापिस कर दी गयी हैं। दूसरी ओर हाथरस जलेसर रोड का द्वितीय चरण में बनाने पर विचार हो रहा है, चौथी चौराहा गंगीरी रोड के बारे में अभी कोई विचार नहीं हो रहा है।

नैनीताल में सेल्स टैक्स विभाग के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स मिलने का प्रश्न

*२१—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि नैनीताल के सेल्स टैक्स विभाग के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स मिलने का प्रश्न विचाराधीन है? अगर हां, तो उस पर निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—पहाड़ी जिलों में बिक्री कर विभाग के तैनात कर्मचारियों को पहाड़ का भत्ता (हिल एलाउन्स) दिये जाने के सवाल पर इसके पहिले कई बार अच्छी तरह विचार किया जा चुका है पर उसे नामंजूर कर दिया गया है। अब ऐसे किसी सवाल पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी इलाकों में यह हिल अलाउन्स क्यों नामंजूर किया गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सन् ४७ में पे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पे स्केल्स बढ़ाये गये और उसी के मातहत जो अलाउन्स वग़ैरा दिये जाते थे वे बन्द कर दिये गये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारियों को यह अलाउन्स दिया जाता है तो फिर सेल्स टैक्स वालों को क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मेरी मालूमात तो यह हैं कि किसी को नहीं दिया जाता । जिस डिपार्टमेंट की निस्बत नोटिस में लाया गया कि उनको दिया जाता है, उनका वह कहना ग़लत था ।

लखनऊ जिला चुनाव कार्यालय के क्लर्कों का वेतन

*२२—**श्री विजय शंकर प्रसाद** (जिला गाजीपुर)—क्या यह ठीक है कि लखनऊ जिला चुनाव कार्यालय के क्लर्कों को ७० रु० मासिक तनख्वाह दी जाती थी जब कि अन्य जिलों में ८५ रु० मासिक दिया जाता था ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, जो गणनाकार तथा साधारण लिपिक कुछ ही दिनों के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे उन्हें ७० रु० प्रतिमास ही वेतन दिया गया था । दो लिपिकों के अतिरिक्त जो हाई स्कूल पास थे, सभी केवल हिन्दी मिडिल पास थे। ७० रु० मासिक वेतन उन सभी की योग्यता के अनुकूल था। पद-ग्रहण करने के पूर्व उन्हें इस वेतन की सूचना दे दी गई थी ।

*२३—**श्री विजय शंकर प्रसाद**—क्या इस सम्बन्ध में क्लर्कों की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, उसे अस्वीकार कर दिया गया।

*२४—२५—**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—[८ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

आबपाशी की दरों में वृद्ध

*२६—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किसानों की जिन्स पर आबपाशी बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो किस-किस जिन्स पर कितनी-कितनी बढ़ाई गई है ?

श्री राममूर्ति—सरकार द्वारा १९४८ में नियुक्त इरीगेशन रेट्स कमेटी की सिफारिश के अनुसार विभिन्न सिंचाई निर्माण कार्यों पर प्रायः पचास प्रतिशत आबपाशी बढ़ा दी गई है। सिंचाई की दरों की अनुसूचियां माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई विज्ञप्ति संख्या १५७९ डब्लू० दिनांक ३१ मार्च, १९५३, की प्रति में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६–७७ पर)

*२७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार आबपाशी की दरों में कुछ कमी करने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—साधारणतः इन दरों में कमी करने का विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुसूची नं० १, २ और ३ की सिंचाई दरों में जो इतना विशेष अन्तर है उसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नं० १ अनुसूची जो है उसमें पुरानी नहरों से पानी मिलता है और जहां की जमीन भी ज्यादा उर्वरा है। नं० २ अनुसूची वह है जहां बाद में नहरें बनायी गयीं लेकिन अकसर पहाड़ी इलाका है जहां की जमीन में उतनी उपज नहीं होती जितनी दूसरे उर्वरा प्रदेश में होती है। नं० ३ अनुसूची वह है जहां पानी की सप्लाई बिल्कुल भगवान के ऊपर है। पानी मिल गया तो मिल गया नहीं तो नहीं मिला।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर किसी इलाके में पानी न होने की शिकायत या पानी कम आने की शिकायत हो तो वहां पर दर को कम करने पर विचार किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न इससे उठता नहीं है। पानी वहां मिलेगा जहां कि पानी मिलता है और जहां पानी नहीं है वहां के लिये कोई कहेगा कि पानी का इन्तजाम किया जाय तो जब पानी का इन्तजाम होगा तो वहां पर रेट लग सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि अनुसूची नं० १ में जो आबपाशी की दर दी गयी है, प्रायः वहां के किसानों के ऊपर जो ज्यादा रेट रखा गया है आबपाशी का, वह फसल से पूरा नहीं हो पाता इसलिये कि पैदावार कम होती है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह आबपाशी की दर इतनी अधिक होने से किसानों में भारी बेचैनी फैली हुई है ?

श्री राममूर्ति—यह तो साधारण सी बात है कि जब कोई टैक्स वगैरह लगता है या बढ़ता है तो लोगों को कुछ नागवारी होती है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पूर्वी जमुना नहर से इस वर्ष पानी बहुत ही कम मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कृपा करेंगे कि वहां के काश्तकारों के ऊपर यह बढ़ी हुई नहर की आबपाशी न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जितना पानी था उससे जितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकती थी उस पर कोई रेट कम करने का प्रश्न नहीं उठता। जहां पानी नहीं पहुंचा वहां पर वैसे ही रेट नहीं लगेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि ज्वार जो प्रायः किसानों के मवेशियों के चारे के काम में आता है उस पर भी आबपाशी बढ़ा दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—उस पर तो बहुत जरा सी बढ़ती हुई है जिससे नागवारी नहीं होनी चाहिये।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या यह आबपाशी की बढ़ती स्थायी रूप से की गई है या कुछ काल के लिये की गई है?

श्री राममूर्ति—यह स्थायी रूप से की गई है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि पानी का रेट बढ़ जाने से किसान पानी लेने में अपने को मजबूर पा रहे हैं?

श्री राममूर्ति—पानी की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है।

आजमगढ़ जिले में फूलपुर से अहरौला तक की यात्रा में असुविधा

*२८—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला आजमगढ़ के नरियांव अतरोलिया तथा कोमलसा आदि स्थानों से तहसील के सदर स्थान फूलपुर तथा मुख्य स्थान अहरौला तक जाने के लिये ४०-५० मील की यात्रा करनी पड़ती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कोमलसा से अहरौला तक एक सड़क है जिसका फासला दस मील है और जिसके पांच मील पक्के हो चुके हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस तरह की किसी सड़क के बारे में आपने नहीं पूछा। इतना जरूर मालूम है कि कोमलसा से अहरोला तक कच्ची सड़क जाती है जो २६ मील की बतलाई जाती है। अगर माननीय सदस्य किसी और सड़क के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में इत्तिला की जरूरत होगी?

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कोयलसा से अहरौला तक कोई सड़क जाती है जिसके ५ मील पक्के हो चुके हैं?

श्री अध्यक्ष— इसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिये आप नोटिस दें।

श्री व्रजविहारी मिश्र—प्रश्न में कोयलसा और अहरौला का जिक्र है। दोनों के बीच में एक सड़क दस मील लम्बी जाती है। यह पूरक प्रश्न है जिसे मैं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—पूरक प्रश्न ऐसा नहीं होता जिससे कोई नई चीज निकलती हो।

*२९-३०—श्री व्रजविहारी मिश्र—[२ सितम्बर, १९५३ के लिये संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देवरिया कसया सड़क से रामभारकोट होते हुये कुशीनगर तक सड़क का निर्माण

*३१—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसया) जिला देवरिया के अन्तर्गत कोई सड़क कुशीनगर से रामभारकोट होते हुये देवरिया-कसया वाली सड़क में मिलाई जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा— जी हां।

*३२—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम अवरुद्धवा के ग़रीब किसानों की कितनी एकड़ जमीन इस सड़क में ली जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अवरुद्धवा गांव में इस सड़क के लिये कुल १२.१६ एकड़ भूमि ली गई है।

*३३—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार इस ग्राम के ग़रीब किसानों के गुजारे के लिये पास की जमीन देने के लिये तैयार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह विषय देवरिया के कलेक्टर के विचाराधीन है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस सड़क के निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़क की आवश्यकता पहले से ही थी और वहां के लोगों ने उसके लिये कहा था और उस पर अब काम भी हो रहा है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि वहां पहले से भी सड़क थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले से सड़क जरूर थी, लेकिन वह किस तरह की थी इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के बनवाने में क्या व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामदास आर्य (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका असर कितने किसानों पर पड़ा और उसमें सवा ६ एकड़ के कितने किसान थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुल १२ एकड़ जमीन थी जो ली गई है और वह किनारे-किनारे ली गई होगी। किसानों की संख्या तो नहीं मालम है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको किसानों की संख्या भी बतला दी जायगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से खेतों के बीच में से हो कर वह सड़क गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां जरूरत हुई होगी वहां जरूर गई होगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कलेक्टर साहब के पास मामला जो विचाराधीन है वह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मुआविजे का मामला है। हिसाब-किताब तय हो जाने पर जल्दी मामला तय हो जायगा

विधान भवन के गुम्बद की पुताई

*३४—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विधान भवन के गुम्बद की पुताई पिछली बार कब हुई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विधान भवन के गुम्बद की पुताई कभी नहीं हुई।

यू० पी० हाइड्रो एलेक्ट्रिक ग्रिड में कृषि संबंधी उद्योग, धंधों के लिये बिजली की दरें

*३५—श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हाईड्रोएलेक्ट्रिक ग्रिड में कृषि संबंधी उद्योग धंधों के लिये बिजली दरों में, जो नये और पुराने उपभोक्ताओं पर लागू है, क्या अन्तर है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—कोई अन्तर नहीं है ।

*३६—श्री मलखान सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रूरल ब्रांच लाइन बनाने के खर्च का ८ प्रतिशत केवल नये उपभोक्ताओं से लिया जाता है और पुराने उपभोक्ताओं से नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—१-१२-१९५१ से पहले पुराने रूरल कंज्यूमर्स (Consumers) से जो मिनिमम गारेन्टी ली जाती है उसमें लाइन गारेन्टी १०० रु० पहिले आधे मील और ७० रु० दूसरे आधे मील के हिसाब से शामिल है । ये दरें उस समय के लाइन बनाने के खर्चे के ८ प्रतिशत की दर से नियत की गई थी । चूंकि अब सामान और मजदूरी का भाव बढ़ गया है इस वजह लाइन बनाने का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है इसलिये १-१२-५१ से नयी लाइन गारेन्टी की दर लाइन के खर्चे का ८ प्रतिशत कर दिया गया है ।

*३७—श्री मलखान सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि यू० पी० हाईड्रेल ग्रिड में रूरल ब्रांच लाइन कंज्यूमर्स की बिजली बहुधा किसी पूर्व सूचना दिये ही काट दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों और इसको रोकने का क्या उपाय सरकार ने सोचा है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—रूरल कंज्यूमर्स की बिजली सिर्फ तब काटी जाती है जबकि ट्रांसफारमर (Transformer) ओवर लोड हो या लाइन में खराबी हो या बिजली के कुओं का रोस्टर (Roster) किया जा रहा हो, इस हालत में कंज्यूमर्स को सूचना पहिले दी जाती है ।

ऊंची तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के जाती वेतन का कुल व्यय

*३८—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४५० रु० माहवार से ऊंची तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को कुछ जाती वेतन (Personal pay) दी जाती है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—इस सरकार के फंडामेंटल रूल्स के अनुसार कुछ सूरतों में जाती तनख्वाहें दी जाती हैं । उत्तर प्रदेश वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार भी जिन्हें राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है, ऐसी तनख्वाहें दी जाती हैं ।

*३९—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी जाती तनख्वाह की कुल कितनी रकम प्रति माह होती है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जाती तनख्वाह के तौर पर कुल मिलाकर सरकार को जितना रुपया हर महीने देना पड़ता है उसके आंकड़े सरकार के पास मौजूद नहीं हैं और मुख्तलिफ दफ्तरों से इन आंकड़ों को मंगाने और इकट्ठा करने में काफी अधिक समय लगेगा और खर्च भी अधिक होगा ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि फंडामेंटल रूल्स ३७ की पाबन्दी इस मामले में की जा रही है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—फंडामेंटल रूल ३७ के प्राविजन इस वक्त मुझे जबानी याद नहीं है।

श्री भगवान सहाय—फंडामेंटल रूल ३७ के हिसाब से जब तनख्वाह में तरक्की हो तो उसी हिसाब से जाती तनख्वाह कम हो और जब उसकी तनख्वाह जाती तनख्वाह को मिलाकर जो रकम मिलती है उससे बढ़ जाय तब वह जाती तनख्वाह बन्द कर दी जाय, क्या सरकार इसकी पाबन्दी कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। उस कानून की पाबन्दी हो रही है।

श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि साढे चार सौ से ऊंची तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं उनका डियरनेस एलाउन्स बन्द कर दिया गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सही है।

जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपूर के कुछ हिस्सों में सिंचाई के साधनों का प्रभाव

*४०—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि परगना अतरौलिया, तहसील फूलपुर (उत्तरी भाग) जिला आजमगढ़ में लहुरावन से चुमकुनी तक का क्षेत्र जहां २० गांवों में १० हजार बीघा धान की खेती होती है पिछले तीन वर्षों से सूखे का शिकार है और उस क्षेत्र में एक कुंआ के अतिरिक्त कोई सिंचाई का साधन नहीं है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस क्षेत्र में गत तीन वर्षों से असामयिक तथा कम वर्षा के कारण धान की पैदावार में कमी रही और कुंओं के अतिरिक्त इस क्षेत्र को सिंचाई की कोई अन्य सुविधा प्राप्त नहीं है।

*४१—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार को विदित है कि पिछले तीन साल में यहां कुल १००–१५० मन से ज्यादा धान नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, जैसा प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में कहा गया है गत तीन वर्षों में असायमिक तथा कम वर्षा के कारण धान की फसल को सामान्य रूप से इस क्षेत्र में क्षति पहुंची।

*४२—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई की किसी उपयुक्त योजना पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, लघु सिंचाई योजना बनवाने सरकारी नलकूपों द्वारा रबी के खेती को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने तथा घाघरा से एक पम्पड नहर निकाल कर इस क्षेत्र में सिंचाई की कोई उपयुक्त योजना की शक्यता ज्ञात करने के अभिप्राय से सर्वे हो रहा है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सर्वे का काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होने की आशा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका एक आरम्भिक सर्वे हो चुका है जिसकी आरम्भिक रिपोर्ट भी आ गयी है। यदि वह योजना स्वीकार हो गयी तो फिर तफसील से सर्वे किया जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विषय में उस क्षेत्र के किसानों की ओर से कोई आवेदन-पत्र सरकार की सेवा में प्राप्त हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस संबंध में आवेदन पत्र से आपका मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—आप इसको स्पष्ट कीजिये।

श्री झारखंडेराय—मेरा आशय यह है कि उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने के विषय में सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र वहाँ के किसानों की ओर से प्राप्त हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब मैं आजमगढ़ जिले में गया था तो बहुत से किसानों ने मिलकर मुझसे कहा था और ऐसे पत्र भी दिये थे।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार का टांडा के पास घाघरा नदी से नहर निकालने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विचार का प्रश्न नहीं है। इस विषय में सर्वे हो चुका है और उसकी रिपोर्ट आगयी है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—सरकार को कितना व्यय उस नहर के निकालने में करना पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे तो मुझे स्मरण नहीं है लेकिन पौने दो करोड़ रुपये की वह स्कीम है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तक कोई विशेष रुपया खर्च नहीं हुआ है अभी तक जो वहां पर काम हुआ है उससे इस सम्भावना को उन्होंने देखा है कि वहां पर नहर निकाली जा सकती है या नहीं। अगर आपका मतलब आना पाई के हिसाब से है तो उसकी सूचना मिलने पर बतलाया जा सकता है।

जिला जौनपुर में खेतासराय से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर आम के पेड़ों को काटने का आदेश

*४३—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में जो सड़क खेतासराय से आजमगढ़ को जाती है उसमें से एक शाख ग्राम अब्बोपुर होते हुये निकाली जा रही है जिसमें हरे पेड़ आम के अधिक पड़े हुये हैं और क्या वहां के इंजीनियर ने उन पेड़ों को काटने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। कुल ६ पेड़ काटे गये हैं जो सड़क के बीचो-बीच में पड़ते थे इसमें से केवल एक पेड़ आम का था।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वृक्ष काटे गये हैं उनका मुआविजा अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत है ?

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह सड़क कितने दिनों से बन रही है और कितने दिनों में पूरी होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कब पूरी होगी यह तो बतला दिया गया है कि जितना पैसा आगे मिलेगा उससे मालूम होगा। यह सड़क, फ़र्स्ट फेज में ली गयी थी और उसको लिये हुये दो साल हो गये हैं।

*४४—४६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[८ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

सलेमपुर तुरतीपार रोड का निर्माण

*४७—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सलेमपुर तुर्तीपार रोड जो बलिया और देवरिया को मिलाती है कब तक बन कर पूर्ण तैयार हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी क्योंकि यह बात अगले वित्तीय वर्ष में इस काम के लिये आयोजित धन के ऊपर निर्भर करती है।

पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर मील तथा फर्लांग के पत्थरों पर अंक

*४८—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर मील तथा फर्लांग के पत्थरों पर जो अंक पहले हिन्दी में लिखे गये थे उनको मिटाकर वे अब अंग्रेजी में क्यों लिखे जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस प्रश्न के उत्तर के लिये माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न संख्या ७ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से मैं नम्बर ७ प्रश्न का जवाब भी पढ़ देना चाहता हूं। इन दोनों का उत्तर एक ही है।

(उप-मंत्री ने प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पढ़ा)

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अब नागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि लिखी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, कुछ जगह ऐसा हुआ होगा क्योंकि पहले वह हिन्दी ही में थे और अब वे नई नीति के अनुसार लिखे जायेंगे।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब हमारी राज्य भाषा हिन्दी है तो रोमन लिपि क्यों एक्सेप्ट की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी माननीय सदस्य को बताया गया है कि नेशनल हाईवेज का संबंध केन्द्रीय सरकार से है और केन्द्रीय सरकार में १५ साल के लिये अभी अंग्रेजी ही राज्यभाषा है लेकिन चूंकि इन सड़कों पर दूसरे प्रदेशों के आदमी भी आते हैं इसलिये उनकी सुविधा के लिये यह उचित समझा गया कि एक मील हिन्दी में और एक अंग्रेजी में लिखा जाय।

जिलों में नशा निषेध योजना

*४९—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में नशा निषेध योजना लागू की गई है, वहां के नशे के ऐसे आदी लोगों के लिये नशे की वस्तुओं की प्राप्ति के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी हां।

*५०—श्री नागेश्वर द्विवेदी—यदि हां, तो क्या ?

श्री सैयद अली ज़हीर—ऐसे लोगों को यू० पी० इन्टाक्सिकैन्ट प्रोहिबिशन रूल्स, १९४७ ई० (U. P. Intoxicant Prohibition Rules, 1947) तथा यू० पी० ओपियम प्राहिबिशन रूल्स, १९४७ ई० (U. P. Opium Prohibition Rules, 1947) के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत अनुमति पत्र (Permits) दिये जाते हैं और नशे की चीजों की बिक्री के लिये आवश्यक दूकानें भी इन जिलों में खोली गई हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि किन किन मादक वस्तुओं के लिये अनुमति पत्र प्राप्त किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—शराब के लिये, अफीम के लिये और डाक्टर के हुक्म से भांग और गांजे के लिये।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अनुमति-पत्र के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे मालूम नहीं, कोई समय अनुमति पत्र देन के लिये मेरी जान में नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बतावेगी कि वहां के लोग किस नशे के ज्यादा आदी हैं ताकि उसका उनके लिये इन्तजाम किया जाय ?

श्री अध्यक्ष— क्या आप अल्मोड़े के बारे में पूछ रहे हैं ?

फर्रुखाबाद में सिंचाई का प्रबन्ध

*५१—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्नौज दक्षिण व छिबरामऊ दक्षिण क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद की कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई नहर द्वारा होती है तथा आबपाशी से बाहर वाली भूमि के लिये सरकार ने सिंचाई के लिये किन किन साधनों का प्रबन्ध किया ?

श्री राममूर्ति—फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज दक्षिण व छिबरामऊ दक्षिण क्षेत्र में लगभग १,१०,२७८ एकड़ भूमि को सिंचाई नहर द्वारा होती है।

काली नदी तथा इसन नदी के बीच का क्षेत्र असिंचित है। यह क्षेत्र लगभग २९० वर्गमील अथवा १,८५,६०० एकड़ है। इस क्षेत्र की सिंचाई के लिये बैवर शाखा को बढ़ाने की एक योजना तैयार की गई है। इस शाखा को पानी राम गंगा जलाशय से, जिसका निर्माण १९५९-६० में आरम्भ करने का प्रस्ताव है, तथा काली नदी से पम्प द्वारा दिया जायेगा।

*५२—श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि इसी क्षेत्र में अब तक कितने ट्यूबवेल्स एवं मेशीनरी वेल्स बनाये गये ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में अभी नलकूप नहीं बने हैं किन्तु अब टी० सी० ए० प्रोग्राम के अन्तर्गत ४५ नलकूप बनाये जा रहे हैं।

कन्नौज तथा छिबरामऊ तहसीलों में पक्के कुएं तथा सिंचाई की अन्य छोटी योजनायें जो सन् १९४३ से लेकर फरवरी १९५३ तक बनाई गई हैं वह इस प्रकार हैं :

नये पक्के कुएं	कन्नौज तहसील	१७
	छिबरामऊ तहसील	४७
प्राइवेट नलकूप	कन्नौज तहसील	२
	छिबरामऊ तहसील	१
पक्के कुएं जिनमें बोरिंग द्वारा पानी बढ़ाया गया	कन्नौज तहसील	३३
	छिबरामऊ तहसील	७५

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कृषि भूमि नहरी क्षेत्र में है उसको भी आवश्यकता भर पानी न मिलने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं इस पानी..

श्री अध्यक्ष---आप कोई चीज पढ़ रहे हैं ? आप प्रश्न पूछिये ?

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जो नहरी क्षेत्र में कृषि भूमि है उसमें पानी की कमी के कारण फसलें खराब हो जाती हैं उनके लिये भी कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हमारी नहरों में जितना पानी होता है उतना ही है। उसमें कमी का क्या मौका ।

श्री मथुरा प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काली नदी से पम्प द्वारा जो पानी लाने की योजना है वह किस स्थान से है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की जरूरत है

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जिले में कितने प्रतिशत जमीन को पानी मिलने का बन्दोबस्त है और कितने को नहीं ?

श्री राम मूर्ति---इसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। अगर आप जानने की कोशिश करें तो मैं इकट्ठा करके दे सकता हूं।

अदलहटा-अहरोरा रोड को भुइली और शेखा से मिलाने की आवश्यकता

*५३---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार जिला मिर्जापुर के चुनार तहसील के अन्तर्गत पंकिल क्षेत्र में अदलहटा-अहरोरा रोड पक्की सड़क से भुइली और शेखा तक सड़क बना कर इस क्षेत्र को तहसील से सम्बन्धित करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार इस क्षेत्र में सड़क की जरूरत महसूस नहीं करती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जरूरत जरूर महसूस करती है। लेकिन जब रुपया होगा और जो जरूरतें इससे ज्यादा जरूरी हैं वह पूरी हो जायंगी तो इसे भी किया जायगा ?

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार ने मिर्जापुर जिले के लिए सड़कों की प्राथमिकता की दृष्टि से कोई सूची बनायी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। हर जिले की सूची बनी हुई है।

जिला अल्मोड़ा में गरुड़ बागेश्वर मार्ग की पुलियों पर व्यय

*५४---श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा में गरुड़ बागेश्वर मार्ग में पिछले दो वर्षों (५१-५२ और ५२-५३) में कितनी पुलियां और कलवर्ट बनाये गये और कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में इस सड़क पर कुल ३० पुलियां व कलवर्ट्स बनाये गये तथा उन पर कुल ९३,७९० रु० व्यय हुआ।

*५५—श्री भूपाल सिंह खाती—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गरुड़ बागेश्वर मार्ग कब मोटर मार्ग निर्माण के प्रथम वृत्त (first Phase) में लिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क युद्धोत्तर कालीन सड़क निर्माण योजना के प्रथम चरण में ओ० डी० आर० (कच्ची सड़क) के रूप में सम्मिलित की गयी थी किन्तु बाद में सन् १९४९–५० में उसको मोटर मार्ग के रूप में बनाने का निर्णय हुआ।

श्री भूपाल सिंह खाती—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सन् १९५०–५१ में इस सड़क को मोटर मार्ग बनाने का निश्चय हो चुका तब ९३,००० रु० की रक़म इस पैदल सड़क पर क्यों खर्च की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले ओ० डी० आर० थी। जो उसके लिये ग्रांट थी वह कम थी, लेकिन जब सेंटर से ग्रांट बन्द हो गयी तो यहां से भी ग्रांट बन्द कर दी गयी। कुछ अकाल पीड़ितों के लिये रुपया दिया गया उससे बनी और कुछ अब रुपया रखा गया है। जैसे जैसे रुपया मिलता जायगा, वैसे वैसे बनती जायगी।

श्री भूपाल सिंह खाती—क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिन पुलियों और कलवर्ट्स पर यह रुपया खर्च किया गया वह मोटर चलने के लायक नहीं हैं और वह मोटर चलने से बेकार हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना अभी नहीं मिली है। मेरे ख्याल से मोटरों के लिये ही पुलियां बनायी गयी हैं और उनके लायक होंगी।

राज्य की चीनी मिलों से किसानों को बिजली देने का विचार

*५६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि राज्य की चीनी मिलें कुछ महीनों के लिये बन्द रहती हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—शकर की मिलें आम तौर से मई से अक्तूबर तक के महीनों में हर साल बन्द रहती हैं।

*५७—श्री राजाराम शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार इस खाली समय में चीनी मिलों से बिजली लेकर उसे किसानों को देने का विचार रखती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस मामले में पर सरकार ने विचार किया है लेकिन इन मिलों की बिजली खरीदने की तजवीज आर्थिक विचार से लाभदायक नहीं समझी गई।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि लागत मात्र खर्च ले करके मिल के मालिक लोग बिजली देने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यों तो वह बन्द ही नहीं है और अगर हों तो भी उनका खर्चा इतना ज्यादा होता है कि जिस मकसद से हम उनसे बिजली लेना चाहें वह ले नहीं सकते, क्योंकि उतने खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकते।

मेरठ ज़िले में नलकूपों पर व्यय

*५८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी विभाग सहकारी आधार और यूरोपियन फर्म द्वारा मेरठ म बनाये हुये नलकूपों की औसत लागत क्या है ?

श्री राममूर्ति—सरकार द्वारा बनाये गये नलकूपों की औसत लागत लगभग ६,६०० रु० है और सहकारी आधार पर बनाये गये नलकूपों की लागत ६३६५ रु० है। यूरोपियन फर्म द्वारा मेरठ जिले में कोई नलकूप नहीं बनाया गया।

*५९—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या मेरठ में नारायण सिंह नामक किसी व्यक्ति ने ७०० रु० की कोई नलकूप बनाये हैं? यदि हां, तो यह नलकूप कैसे हैं और क्या सरकार इनका प्रयोग करने का विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—श्री नारायण सिंह द्वारा बनाये हुये नलकूपों की लागत सरकारी नलकूपों से अवश्य कम है क्योंकि इनकी जाली और पाइप अत्यन्त पतली और कमजोर ३४ गज जी० वी० चद्दर से बनाये गये हैं और इसमें छेद भी साधारण विधि से छेनी द्वारा किये गये हैं। इन नलकूपों की बोरिंग सरकारी नलकूपों की बोरिंग की भांति ही की जाती है किन्तु इनकी गहराई, सरकारी नलकूपों की कई सौ फिट गहराई की अपेक्षा, केवल डेढ़ सौ फीट तक ही सम्भव है अतः इन नलकूपों के केवल चार पांच साल ही चलने की सम्भावना है जब कि सरकारी नलकूप लगभग २० साल चलते हैं। अधिक मात्रा में पानी देने वाले सरकारी नलकूपों के लिये भी श्री नारायण सिंह के नलकूपों की जाली और पाइप भी अनुपयुक्त हैं। इसलिये इनके प्रयोग करने का विचार नहीं है।

जौनपुर ज़िले में जयसिंगपुर गांव के किसानों के लिये ट्यूबवेल का प्रबन्ध

*६०—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (ज़िला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर के जयसिंगपुर गांव के किसानों ने सहकारिता के आधार पर ट्यूबवेल्स के लिये सन् १९५१ में अपने हिस्से का रुपया जमा कर दिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने ट्यूबवेल की योजना बनाने के लिये सन् १९५१ में केवल ५० रु० पेशगी जमा किया था। ट्यूबवेल बनाने का पूरा रुपया उन्होंने नहीं जमा किया था।

*६१—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—यदि हां, तो क्या कारण है कि अब तक ट्यूबवेल बनाने के लिये सरकार की तरफ से कोई काम शुरू नहीं किया गया है?

श्रीकमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन गोरखपुर ज़िले की सड़कें

*६२—**श्री गौरीराम** (ज़िला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर ज़िले के फरेन्दा, महाराजगंज, सदर, बासगांव तहसीलों में कौन-कौन सी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० की हैं?

श्री गिरधारीलाल—माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गई है जिसमें यह सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८ पर)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रायबरेली ज़िले में निर्माणकार्य करने की व्यवस्था

*६३—**श्री दलबहादुर सिंह** (ज़िला रायबरेली)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में और खास कर सलोन दक्षिणी, निर्वाचन क्षेत्र में भी कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य क्या है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में और खासकर सलोन दक्षिणी, निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९ पर)

*६४—श्री दलबहादुर सिंह—क्या सलोन तहसील के अन्तर्गत सई नदी पर पुल बनाने की योजना इसमें शामिल है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

नलकूप परीक्षण हेतु मद

*६५—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कोई मद नलकूप परीक्षण हेतु अलग रक्खी जाती है ? यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष कितनी रकम इस कार्य हेतु रक्खी गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वित्तीय वर्ष १९५२-५३ से ही नलकूप परीक्षण के हेतु अलग एक मद रक्खी जाती है। इसके पहले प्रासंगिक आवर्त्तक व्यय का जो तखमीना रक्खा जाता था उसी में से नलकूप परीक्षण का कार्य होता था। १९५२-५३ में इस कार्य के लिये २५,००० रु० की एक मद अलग रक्खी गयी।

*६६—श्री रामस्वरूप—क्या उक्त रकम परीक्षण कार्य में ही व्यय हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*६७—श्री रामस्वरूप—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मद के अन्तर्गत कहां-कहां टेस्ट बोरिंग की गई और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस मद के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में की गई टेस्ट बोरिंग व उनके परिणाम संलग्न तालिका में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८० पर)

ज़िला बदायूं में स्टेट ट्यूबवेल्स की गूलों की मरम्मत

*६८—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या यह सही है की गत वर्ष जिला बदायूं में State tubewells की पक्की गूलों की मरम्मत मुहकमे द्वारा उस समय कराई गई जब रबी की फसल उग आई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। गत वर्ष गूलों की मरम्मत रबी की फसल के उगने के पहले ही कराई जा चुकी थी।

*६९—श्री शिवराज सिंह यादव—यदि हां, तो इस संबंध में इस वर्ष रबी को नुकसान से बचाने के लिये क्या सक्रिय कदम उठाया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

*७०—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं के स्टेट ट्यूबवेल के ठीकदार जो पानी के वितरण का प्रोग्राम आपरेटर्स को देते हैं, १०, १० और १५, १५ साल पुराने हैं ? क्या सरकार इनका चुनाव हर तीसरे साल कराने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी भी थोकदार को बदल सकता है। यदि उसके थोकदार के अधिकांश कृषक उसको हटाना चाहें और उसकी जगह अपने में से किसी और को थोकदार चुनना चाहें। अतः थोकदारों का कार्यकाल निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर—बनारस सड़क पर वृक्षों का नीलाम

*७१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० रोड जो कि जौनपुर से बनारस को जाती है उस पर ३१ मार्च, सन् १९५३ से मई, सन् १९५३ तक कितने पेड़ों का नीलाम हुआ और कितने पेड़ काटे गये ?

श्री गिरधारी लाल—११ पेड़। परन्तु नीलाम स्वीकृत न होने के कारण काटे नहीं गये।

*७२—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उनमें कितने हरे पेड़ थे ?

श्री गिरधारी लाल—एक हरा पेड़ तथा कुछ दूसरे पेड़ की हरी डालियां।

*७३—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार की तरफ से यह आदेश है कि हरे पेड़ जो कि पी० डब्ल्यू० डी० की रोड पर हैं न काटे जायं ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, परन्तु यदि किसी हरे पेड़ से किसी नागरिक की जान व माल का भय होता है तो ऐसे पेड़ काट लिये जाते हैं।

मथुरा जिले में जमुना नहर से सिंचाई

*७४—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहां मथुरा जिले में जमुना नहर से सिंचाई होती है वहां इस वर्ष गेहूं की फसल में केवल एक ही बार पानी मिल सका जिससे फसल खराब हो गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जनवरी के मध्य तक जब तक शीतकालीन वर्षा नहीं हुई थी, इस भाग में गेहूं की फसल को कम से कम दो बार और किसी किसी को तीन बार भी पानी दिया गया और फिर पानी बरस जाने पर पानी देने की आवश्यकता ही न रही। इस क्षेत्र में फसलों की दशा ठीक है और किसी फसल को क्षति नहीं पहुंची।

*७५—श्री रामहेत सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में पानी बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले में सड़कों का निर्माण

*७६—श्री रामहेत सिंह—क्या निर्माण मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले में किस किस सड़क का निर्माण होगा तथा सन् १९५२–५३ में कितना कार्य हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गई है जिसमें यह सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८१ पर।)

बाह (आगरा) के लिए ट्यूबवेल्स

*७७—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाह (आगरा) के लिये जो Exploratery tubewells मंजूर हुये हैं उनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५३ के टी० सी०ए० प्रोग्राम के अधीन उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत किये गये (Exploratery) नलकूप में से बाह (आगरा) जिले में आठ नलकूप बनाने की सिफारिश भारत सरकार से की गई है। अभी यह ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि यह कार्यक्रम कब प्रारम्भ होगा तथा कब समाप्त होगा। इस समय तक प्राप्त सूचना से केवल यही मालूम होता है कि पूरे देश में जो ३३६ Exploratery नलकूप इस कार्यक्रम के अधीन बनाने का विचार है, वह लगभग ढाई तीन वर्ष में समाप्त होंगे। संभावना है कि उत्तर प्रदेश के ४७ नलकूपों पर १९५३-५४ वित्तीय वर्ष में ही काम शुरू हो जावेगा।

*७८-८०—श्री शिवनारायण—[८ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

भांग के अभ्यस्त सेवनकारियों को अनुमति-पत्र

*८१—श्री देवदत्त मिश्र—क्या मादक कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अफीम और शराब की तरह भांग के अभ्यस्त सेवनकारियों को भी अनुमति-पत्र दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी नहीं। भांग हलकी नशीली होने के कारण अफीम व शराब की तरह उसके आदी लोगों की सेहत के लिये जरूरी नहीं समझी जाती।

लखनऊ में जूरियों की संख्या

*८२—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले की जूरियों की संख्या क्या है और वे लोग किस किस योग्यता तथा पद के हैं ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जिला लखनऊ की सन् १९५२-५३ ई० की जूरियों की सूची में ५४ साधारण जूरी हैं। जिनमें से ४९ हाई स्कूल और ५ इन्टरमीडियेट हैं। इनके अलावा १५ खास जूरी हैं जिनमें ११ बी० ए० तथा ४ एम० ए० हैं। इन जूरियों में से कुछ पेंशन पाते हैं और कुछ मकान मालिक हैं बाकी लोगों में डाक्टर, दूकानदार, ठेकेदार, प्रोफेसर, महाजन वगैरा शामिल हैं।

कालपी, ज़िला जालौन के घाट की उतराई का महसूल

*८३—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि कालपी, जिला जालौन के घाट की उतराई का महसूल इस साल की वर्षा ऋतु में दूना कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों।

श्री गिरधारी लाल—१५ अक्टूबर, १९५२ के पूर्व नाव से उतराई का महसूल तीन पैसा प्रति यात्री था। इसके बाद एक आना प्रति यात्री कर दिया गया है क्योंकि रख रखाव आदि का व्यय बहुत बढ़ गया था।

अतारांकित प्रश्न

बलिया ज़िलें में सुरहा झील से सिंचाई

१—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार पूर्वीय जिलों की सिंचाई की व्यवस्था के सिलसिले में बलिया जिले के सुरहा झील से एक नहर निकालने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुरहा झील से किसी नहर के निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु झील में जो अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है उसको समय पर निकालने के लिये एक छोटा कटाव (Cut) बनाना है। इस कटाव के बन जाने पर झील के किनारे की लगभग ३,००० एकड़ भूमि में खेती की जा सकेगी। कुछ किसानों ने इस कटाव (cut) को बनाने में आपत्ति की है, जिसके कारण इस मामले को न्यायालय में भेजना पड़ा है। अब यह कटाव (cut) केवल उसी समय बनाया जा सकता है जब न्यायालय का फैसला हो जाये और आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली जाय।

कुशी नगर जिला देवरिया में बिजली लानें की आवश्यकता

२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कुशीनगर, जिला देवरिया में बिजली लाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

परगना मान्धाता, जिला प्रातपगढ़ मै सिंचाई कै साधन

३—श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार को ज्ञात है कि आदर्श गांव सभा सरायनाहर राय के क्षेत्र में जो परगना मान्धाता, जिला प्रतापगढ़ में है सिंचाई के साधन की कमी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

४—श्री रामनरेश शुक्ल—यदि हां, तो क्या सरकार वहां किसी निकटवर्ती नहर से सिंचाई का प्रबन्ध कराने की सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सोरों तहसील में सिंचाई करने वाली इलाहाबाद डिस्ट्रीब्यूट्री को बढ़ाकर परगना मान्धाता में सिंचाई के साधन संबंधी नहरों के निर्माण के लिये आवश्यक छानबीन की जा रही है।

सचिवालय के मुख्य द्वारों पर 'अन्दर' और 'बाहर' लिखाने का आदेश

५—श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सचिवालय के दोनों मुख्य द्वारों पर अंग्रेजी में इन (In) और आउट (Out) लिखा हुआ है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

६—श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार इन (In) के स्थान पर "अन्दर" और आउट (Out) के स्थान पर "बाहर" हिन्दी लिपि में लिखाने का आदेश शीघ्र देगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—देव नागरी लिपि में भी अन्दर और बाहर लिखाने का आदेश दिया जा रहा है।

जिला अल्मोड़ा में गोरी नदी पर झूला निर्माण

७—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ तहसील में डम्बर ग्राम के निकट गोरी नदी में झूला निर्माण के लिये कोई तजवीज हो रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

आगरा में पी० डब्ल्यू० डी० (Sikandra Distributary Road) का निर्माण

८—देवकीनन्दन विभव—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में पी० डब्ल्यू० डी० (Sikandra Distributary Road) कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—अभी निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह नेशनल हाई वे है इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है

बदायूं जिले में स्टेट ट्यूबवेल्स की संख्या

९—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बदायूं जिलेमें कितने स्टेट ट्यूबवेल हैं जिनका डिस्चार्ज इस समय १५,००० (gallans) है या उससे कम है और तहसील बिसौली में ऐसे कौन कौन से (Tube wells) हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बदायूं जिले में ऐसे १८ राजकीय नलकूप हैं जिनका डिस्चार्ज इस समय १५,००० गैलन्स या उससे कम है। इनमें से ८ नलकूप तहसील बिसौली में हैं जिनका ब्यौरा निम्नांकित है :—

नल कूप संख्या	ग्रूप	ग्राम जहां नलकूप निर्मित हुआ
१	२	३
१	बिसौली	प्रमानन्दपुर
४	बिसौली	मिर्जापुर बेहरा
४२	बिसौली	अहरौली
५६	बिसौली	अगेथरा
७६	बिसौली	वजीरगंज
३१	इस्लामनगर	बसरौल
३४	इस्लामनगर	करनपुर
३५	इस्लामनगर	चैनी

इन आठ नलकूप में से एक नलकूप के पुनः निर्माण का कार्य जारी है तथा बाकी सात नलकूपों के पुनः निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

१०—११—श्री रामचन्द्र विकल [१५ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये[

इलाहाबाद, कानपुर आदि में बाढ़ की स्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष— मेरे पास तीन काम रोको प्रस्तावों की सूचना आयी हैं एक तो श्री कल्याणचन्द्र मोहले साहब ने दी है और वह इलाहाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर आदि स्थानों पर जो भीषण वर्षा हुई उसके सम्बन्ध में गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये है। इस आदरणीय सदन के सामने जो बाढ़ वगैरह अन्य स्थानों पर आई उनके ऊपर बहुत कुछ विचार हो गया है। तो आम विचार तो हो गया है। कोई यहां पर निश्चित बात नहीं कही गई कि इसमें कोई विशेष चीज ऐसी है जिसके ऊपर विचार करना है। तो यह निश्चित भी नहीं है और इसकी अजेंसी भी बतायी नहीं गई है। क्योंकि सरकारी नीति स्पष्ट करने के बाद जो कार्यवाही और बाढ़ों में होती है इसमें भी वही हो रही होगी। उससे कोई ज्यादा विशेष बात इसमें है नहीं। इसको वजह से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

आजमगढ़ जिले में सत्याग्रहियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष— दूसरे काम रोको प्रस्ताव हैं आजमगढ़ जिले में जो सत्याग्रह चल रहा है वहां पर कुछ कथित अत्याचारों के सम्बन्ध में इसमें जिक्र है। उसमें भी कोई निश्चित बात प्रस्ताव के वाक्यों से स्पष्ट नहीं है। अत्याचारों के बारे में अगर माननीय सदस्य जो प्रस्ताव लाये हैं अल्प सूचित प्रश्न कर लेते तो उससे उनको मालूमात हासिल हो जातीं। लेकिन इसमें एकतरफा एलीगेशन वगैरह हैं इसलिये मैं उसको पढ़ना भी उचित नहीं समझता हूं और अनिश्चित होने के कारण मैं माननीय सदस्य को मौका देना चाहता हूं कि कल तक वह मुझे बतायें कि किस विषय में वह चाहते हैं कि विचार हो। मैं आज इसका फैसला नहीं दूंगा।

यही निश्चय श्री झारखंडे राय के प्रस्ताव के बारे में भी है। उनका भी इसी प्रकार का काम रोको प्रस्ताव है।

श्री देवमूर्ति शर्मा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष— अब एक सूचना श्री देवमूर्ति शर्मा जो हमारे इस सदन के सदस्य हैं उनके बारे में है, वह गिरफ्तार हो गये हैं। उनके सम्बन्ध में आयी हुई जिलाधीश बनारस की तरफ से जो सूचना है उसे मैं पढ़ देता हूं :—

"रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर इलाहाबाद को प्रेषित सरकारी आदेश संख्या बी ६४/२५-सी एक्स०—६४ डी०-१९५१, दिनांक ७ फरवरी, १९५३ के संदर्भ में, जिसकी प्रति उसी तारीख को सरकारी पृष्ठांकना संख्या बी ६४(१)/२५ सी एक्स—६४-बी-१९५१ के अन्तर्गत प्राप्त हुई, मुझे आपको यह सूचना देनी है कि ग्राम देबेथुआ, पुलिस सर्किल फूलपुर, बनारस के विधान सभा सदस्य श्री देवमूर्ति शर्मा, श्री आई० ए० लारी, इन्सपेक्टर, सी० आई० डी०, आई० बी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा भारतीय दंड विधान के सेक्शन ४१९, ४२०, ४६७, ४७७ —ए इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सं० ७ के सेक्शन ८२ तथा १९४६ के ऐक्ट १४ एसेंशियल सप्लाइज टेम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत १६ अगस्त, ५३ को सरकार बनाम मनीलाल तथा अन्य लोगों के मामले में गिरफ्तार कर लिये गये थे। परन्तु वे उसी दिन दस हजार रुपये का वैयक्तिक मुचलका तथा एक व्यक्ति के पांच हजार रुपये की जमानत देने पर छोड़ दिये गये।"

इलाहाबाद युनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उपनिर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए तीन नाम बाकायदा नामजद हुए हैं—

१—श्री बी० एन० मिश्र,

२—श्री अब्दुल मुईज खां

३—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल।

इसके चुनाव का समय २७ अगस्त को १२ बजे से ३ बजे तक का निर्धारित किया गया है और निर्वाचन का स्थान विधान भवन है।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये श्री शिवस्वरूप सिंह का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१(२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री शिवस्वरूप सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा। उनका प्रार्थना-पत्र यह है :—

"महोदय,

मैं आज कल बीमार हूं और तीन चार माह से यहां भुवाली सेनिटोरियम में रह कर चिकित्सा करा रहा हूं, अतः असम्बली सेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हूं, इस कारण आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे रूल १९१—ए के अन्तर्गत अक्टूबर माह सन् १९५३ ई० तक के लिये अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान कर अनुगृहीत करें।"

प्रश्न यह है कि इसकी आज्ञा सदन सर्वसम्मति से देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रिजर्व बैंक आफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लिखे गये संशोधित इकरारनामे के सम्बन्ध में स्मृतिपत्र

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की धारा २१ की उपधारा (४) के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया और उत्तरप्रदेश सरकार के बीच लिखे गये संशोधित इकरारनामे (रिवाइज्ड एग्रीमेंट) के सम्बन्ध में स्मृतिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संशोधित इकरारनामे के सम्बन्ध में जो स्मृतिपत्र हमारे सामने उपस्थित किया गया है, इस पर कुछ विचार प्रकट करने के लिये आप समय निश्चित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मगर किस नियम के अनुसार आप इसके ऊपर विचार करने के लिये कह रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि यह सदन के सामने रखा गया है मैं आपके अधिकार के अनुसार आपसे आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कोई नियम के अनुसार आप नहीं कह रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी— जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आपको सरकार से बातचीत करके कोई समय नियत कराना चाहिये। इस तरह यह सदन में नहीं आ सकता।

१९५०-५१ के विनियोग तथा वित्त लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) के उपबन्धों के अनुसार उत्तर प्रदेशीय सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखे १९५०-५१ और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान असेम्बली नियमावली के नियम १६३ (१) की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। इसमें कमेटी आन पब्लिक एकाउंट्स के कांस्टिट्यूशन का जिक्र है। इसमें लिखा हुआ है कि :

"As soon as may be after the commencement of the first session of each Assembly, a Committee on Public Accounts shall be constituted for the purpose of dealing with the reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the appropriation accounts of the State and such other matters as the Finance Department may refer to the Committee or any other matter which the Committe itself considers necessary."

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इस सरकार के फाइनेंस एकाउंट्स हैं क्या उनको भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने भेजा जा रहा है अथवा नहीं, या पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने उनकी मांग की अथवा नहीं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट का उनको भेजने का विचार नहीं है, तो फिर एक दिन इसके लिये निश्चित हो जाय तो अच्छा है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मेरी इसके जवाब में गुजारिश यह है कि जितने डाक्यूमेंट्स पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने जाने चाहिये, वह सब जाते हैं और यह भी जरूर जायेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदख़ली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदख़ली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८२–८५ पर)

*मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

यह एक बड़ा छोटा सा विधेयक है। हमारे प्रान्त में कुछ ऐसी गाड़ियां चलती हैं जिनको प्राइवेट कार्स के नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं मगर वास्तव में उनको किराये पर चलाते हैं। अब तक जो रूल्स हैं उनके मातहत उनका नियंत्रण हो नहीं सका है और वह काफ़ी गैर क़ानूनी तरीक़े से काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ़ सरकार के कर ही को नुक़सान नहीं होता है बल्कि रोडवेज को तथा जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं जिनको कि परमिट्स मिलते हैं उनको भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती हैं। इसके अलावा इन मोटर्स को फ़िटनेस सार्टीफ़िकेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जितनी प्राइवेट कार्स हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है और जिन लोगों को यह बिठाकर लाते हैं, अगर पांच सात आदमियों के बैठने की जगह होती है तो १५, २० बल्कि एक स्टेशन बैगन के अन्दर कभी-कभी ३० और ३५ आदमी तक बिठाते हैं जो कि बहुत ही खतरे से भरा हुआ है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि नियमों के अन्दर थोड़ा ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके।

---

* ३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जो वर्तमान संशोधन किया जा रहा है उसकी मार्फ़त सिर्फ यह किया जाता है कि १५ दिन के लिये उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेन्ड किया जाय ताकि उनको चलाने में नुक़सान हो सके। मेरा ख्याल है कि सदन को यह स्वीकार होगा और इसमें ज्यादा मतभेद की गुंजायश नहीं है। अगर किसी सम्मानित सदस्य को कोई किसी प्रकार की आपत्ति या अड़चन मालूम हुई तो उसको सुनने के बाद मैं उसका उत्तर दूंगा। मुझे आशा है कि इसपर विचार करने की अनुमति सदन देगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखा है वह छोटा तो बहुत ही है पर उसका महत्व बहुत बड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इतने दिनों के बाद इस बात को महसूस किया कि हमारे प्रान्त में मोटर ट्रान्सपोर्ट से कुछ हमारे रेवेन्यूज में बढ़ौत्री होगी। इसी उद्देश्य से जैसा कि उद्देश्यों में लिखा हुआ है यह अमेंडिंग बिल इस सदन के सामने आया है। वैसे तो हमने अभी माननीय मंत्री जी से यह भी सुना कि एक-एक गाड़ी में ३५, ३५ आदमी आते हैं और लोगों की जान का भी खतरा है और इसीलिये इस बिल को इस सदन के सामने लाया गया वैसे यह उद्देश्यों में लिखा हुआ नहीं था। फिर भी हम माननीय मंत्री जी के साथ हैं इस मामले में कि प्राइवेट कार्स जो हमारे प्रान्त में चलाई जाती हैं और जो टैक्सी के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें तो अवश्य बन्द होना चाहिये। एक-एक शहर के अन्दर जहां कि रोडवेज की गाड़ियां नहीं चलती हैं वहां पर बहुत सी गाड़ियां आज चल रही हैं जिन्हें प्राइवेट कार ओनर्स टैक्सी पर चलाते हैं, यह बात बिल्कुल छिपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे यहां कोई भी प्राइवेट कार ओनर किसी सवारी को अपनी गाड़ी में किराया लेकर न बिठाये वहां पर हमें यह भी देखना है कि जिन जगहों में गाड़ियों की आवश्यकता है क्या वहां पर सरकार टैक्सी के परमिट्स देने के लिये तैयार है? या सरकार अपनी टैक्सीज़ उन जगहों पर चलाने को तैयार है जहां ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहां रानी खेत एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां मोटर कारें हर बंगले में जा सकती हैं और जब हिन्दुस्तान में अंग्रेज थे तो ४००,५०० कारें रानीखेत में चला करती थीं। हम बहुत दिनों से रोडवेज वालों से प्रार्थना करते-करते थक गये कि वह वहां टैक्सी रखें वरना लोगों को व गर्मियों में वहां आने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे यहां कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो बहुत पुरानी हैं और जिनके लिये पैसा भी ज्यादा देना होता है। इसी तरह से और जगहों में वेस्टर्न जिलों में, मुजफ्फरनगर और मेरठ में, वहां के मेम्बर साहेबान जैसा कि बतावेंगे, तकलीफ़ होती है क्योंकि वहां प्राइवेट कारों की जरूरत होती है और रोडवेज ने कोई टैक्सी नहीं रखी है। जब हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि प्राइवेट कार्स में कोई सवारियां न ले जाई जावें तो सरकार को यह भी देखना है कि वहां या तो वह गाड़ियों को परमिट दें या नई टैक्सी के परमिट दें या अपनी रोडवेज की कार्स वहां रखें।

अध्यक्ष महोदय, अगर यही वजह है कि हमारे प्रान्त की आमदनी बढ़े और प्राइवेट आपरेटर्स को हानि न हो, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुश्किल यह होती है कि आज हमारे प्रान्त में म्यूनिसिपल चुनाव होने वाले हैं जिनमें लोग मोटरें बहुत इस्तेमाल करेंगे तो हमें खतरा सा मालूम होता है कि आज के वक्त में क्यों यह मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में संशोधन लाया जा रहा है। कोई भी प्राइवेट मोटर ओनर हमेशा तो अपने ही परिवार वालों को नहीं बैठाता है। और भी लोग उसमें बैठ सकते हैं, उनके दोस्त बैठ सकते हैं। अगर मोटर डिपार्टमेंट का सरकारी नौकर उसे चेक कर ले कि किसी मोटर

कार में कितनी सवारियां बैठी हुई हैं और वह उनके खिलाफ कार्यवाही करे तो इससे उन्हें बड़ी कठिनाई पड़ जायगी। एक मिसाल मैं पोलिंग की ही देता हूं। यदि किसी कार में उनके रिश्तेदार ही बैठे हुये हैं और पोलिंग स्टेशन की ओर वह जा रही है और मोटर डिपार्टमेंट के लोग वहां उस गाड़ी को चेक करते हैं और रास्ते ही में उसका रजिस्ट्रेशन लेकर उसे कैंसिल कर देते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि लोगों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी और वे अपना वोट नहीं दे सकेंगे। सरकारी लोग गाड़ी को सस्पेंड कर देंगे। मुझे आशा है कि इस उद्देश्य से यह बिल नहीं रखा गया होगा जिसे बहुत छोटा सा बताया जा रहा है लेकिन फिर भी हम माननीय मंत्री जी से यह सफाई अवश्य चाहेंगे।

हमें यह भी शक है कि जब आप प्राइवेट लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो क्या वजह है कि इस संशोधन को आज सदन के सामने लाया जा रहा है। हमारे मोटर डिपार्टमेंट के आफिसरों को यह मालूम है कि फलां-फलां प्राइवेट मोटर कारें टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होती हैं जो कायदे के खिलाफ हैं लेकिन वह इसलिये चलने देते हैं कि यह गाड़ियां उनके प्रायवेट काम में इस्तेमाल होती हैं। जब वह इधर से उधर जाते हैं तो इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और किराया वगैरा कुछ नहीं देते हैं। इसी का इनाम वह इनको यह देते हैं कि उनकी गाड़ियों का वह कभी चालान नहीं करते हैं और कुछ देख-रेख नहीं करते हैं। इस संशोधन के पास करने से कौन सी नई बात हो जायगी। इसको अगर हम मंजूर कर लें तो क्या इस बात का हमें एश्योरेंस मिल सकता है कि इसपर कोई कार्यवाही की जायगी। क्या यह गाड़ियां बन्द हो जायंगी। इससे तो और भी खतरा हो जायगा। अब तक तो वह इन गाड़ियों को कभी-कभी इस्तेमाल करते थे लेकिन अब वह बराबर इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया करेंगे क्योंकि वह कहेंगे कि अगर तुमने इसको इस्तेमाल किया तो हम थोड़ी देर के लिये तो तुम्हारा लायसेंस सस्पेंड कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस मंशा और उनकी इस इच्छा की कि हमारे प्रान्त की रेवेन्यू बढ़े, ताईद करता हूं। लेकिन जहां तक रेवेन्यू बढ़ने का सवाल है तो क्या प्रांत की रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बढ़ाने के अलावा और दूसरे तरीके नहीं हैं। इससे क्या रेवेन्यू मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा दो तीन हजार रुपये की आमदनी हो सकती है। जितनी प्रायवेट कार चल रही हैं उनको अगर टैक्सी का लायसेंस दिया जाय तो थोड़ा ज्यादा और टैक्स देना पड़ जायगा और वह इतना कम होगा कि जिससे प्रांत की शायद ४,५ हजार रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। जब हम आमदनी की बात करते हैं तो यही एक रास्ता नहीं है बल्कि और भी तरीके ऐसे हैं जिनसे हमारे प्रान्त की आमदनी बढ़ सकती है, रोडवेज की इनकम बढ़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी जो बसेज चल रही हैं उनमें लोगों को मजबूरन सफर करना पड़ता है। जहां बसेज के साथ-साथ रेल चलती हैं वहां तो कोई बसेज में नहीं जाता है क्योंकि उसको टैक्सेज वगैरा के बढ़ जाने से किराया काफी ज्यादा देना पड़ता है जिनकी वजह से प्रान्त में जो बसेज चलती हैं और खास कर जहां कि रेल भी चलती है वहां सवारी बसेज में जाना पसन्द नहीं करती हैं और वह रेल से ही सफर करना ज्यादा पसन्द करती हैं। हां, इन बसेज से शहरों में जरूर आराम है क्योंकि यह रिक्शे वगैरा से सस्ती हैं और इनमें लोग ज्यादा सफर करते हैं या जहां लोगों को मजबूरन इनमें जाना पड़ता है। जैसे हमारे पहाड़ी इलाके हैं। वहां पर इनमें मजबूरन जाना पड़ता है चाहे कुछ भी किराया क्यों न हो। लेकिन ऐसी जगह जहां रेल जाती है वहां रेल से लोग सफर करते हैं।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अध्यक्ष महोदय, रेलों में लोगों को ज्यादा आराम मिलता है। लोग समझते हैं कि रेल में लोगों को ताश वग़ैरा खेलने का और पानी वग़ैरा का आराम होता है, लेकिन बसेज में बड़ी तकलीफ होती हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों में तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बसेज की यह हालत है, कम से कम लोअर क्लास की जहां पर थर्ड क्लास के लोग ट्रैविल करते हैं। सिर्फ एक तख्ता लगा होता है जिस पर बैठकर लोग ६०–६५ मील का सफर करते हैं। इससे तो वह समझते हैं कि पैदल चलते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं क्योंकि वह हम लोगों से ज्यादा सम्पर्क करने की कोशिश करते हैं। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वह मेरे साथ रानीखेत तक जायं। नैनीताल की बसेज तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि वहां बड़े-बड़े लोग जाते हैं। लेकिन रानीखेत की बसेज में इतनी तकलीफ है कि जिसका मुझे पता है। अगर हमारी बसेज अच्छी हों तो जनता को आराम और सहूलियत मिल सकती है और मुझे आशा है कि तब लोग इनमें ज्यादा सफर करेंगे और प्रान्त की भी ज्यादा आमदनी बढ़ सकती है।

मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे कि सिर्फ एक जाली लगी रहती है लोअर और अपर क्लास के बीच में। आगे वाली सीट्स जो अपर की होती हैं वह अच्छी होती हैं। लेकिन उनसे मिली हुई सीट्स पर ही तख्ता लगा हुआ है और लोअर क्लास का किराया ४ रुपये ९ आने है और अपर क्लास का किराया ६ रुपये ९ आने है। इतना ज्यादा फर्क है और हमारे ग़रीब आदमी अवश्य दो रुपये की बचत करते हैं। तो रेवेन्यू बढ़ाना हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रान्त में जो मोटर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन किया गया है उससे लोगों को आराम हो। लेकिन जो टैक्सेज आज बढ़े हैं और जिनकी वजह से रोडवेज का किराया बढ़ा है और उनकी देखा-देखी प्राइवेट आपरेटर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है इस वजह से लोग यही कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके मोटर से न सफ़र करें। और साल के अन्त में आपको मालूम हो जायगा कि हमारी इन्कम कितनी कम हो गई है।

दूसरी तरफ जिस ट्रांसपोर्ट की फौज को ले कर हमारे माननीय मंत्री जी चलना चाहते हैं वह फौज बहुत जल्द सुधरने वाली नहीं है क्योंकि वह पुलिस डिपार्टमेंट के मातहत रही है। गृह मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब आप विधेयक से दूर हो रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी नहीं, मैं तो इन्कम की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने कह दिया। अब आप ऐडमिनिस्ट्रेशन पर आ रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि जो उन्होंने कहा कि प्राइवेट कार्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी कम होती है और टैक्सीज की रजिस्ट्रेशन फ़ी ज्यादा होती है इसलिये अगर ये गाड़ियां टैक्सीज पर लगाई जायंगी तो ज्यादा आमदनी होने की आशा है तो, अध्यक्ष महोदय, हमारी बहुत सी गाड़ियां आज रजिस्ट्रेशन फ़ी ज्यादा होने की वजह से, आप देखेंगे कि पब्लिक कैरियर्स की फ़ीस चौदह-चौदह सौ रुपये है, साल भर में सिर्फ ६ महीने चलती हैं और ६ महीने उन गाड़ियों को "एच" फ़ार्म में जमा रखते हैं, यानी ६ महीने का टैक्स नहीं पड़ता है अगर इसकी जांच आर० टी० ए० से माननीय मंत्री जी करें तो उन्हें पता लग जायगा कि बहुत ज्यादा तादाद गाड़ियों की ऐसी है जो "एच" फार्म में जमा हैं जिसकी वजह से लाखों रुपये का

नुक़सान सरकार को होता है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी जांच अवश्य करें कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। असल में तो उनको सोचना चाहिये कि अगर किसी रूप से टैक्स को कम करने से हमारे यहां रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो, लोग साल भर गाड़ियां चलायें और सरेंडर न करें तो टैक्स कम करने में कोई हर्ज नहीं है। उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी जो दूसरे काम में लगाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगह आर० टी० ओ० ही मालिक होते हैं। उनकी किसी से नाराजगी से सैकड़ों गाड़ियां ससपेंड हो जाती हैं और उसका मतलब यह होता है कि साल भर का टैक्स बन्द हो जाता है। मेरठ में ही ऐसा हुआ कि एक आर० टी० ओ० साहब थे, उन्होंने २०० गाड़ियां ससपेंड कर दीं और दो साल तक वे ससपेंड रहीं। दो साल तक उनकी फ़ीस सरकार को नहीं मिली। दो साल के बाद जब लखनऊ में ट्रिब्यूनल के सामने अपील हुई तो सारी की सारी बहाल हो गईं जो बाकी बच गयी थीं वे हाई कोर्ट में रिट्स हुये और उसके बाद फैसला हुआ और प्राइवेट आपरेटर्स के फेवर में हुआ। सारी मुकदमेबाजी में लाखों रुपये का नुकसान सरकार का फीस और दूसरे शक्ल में हुआ जो उन आर० टी० ओ० साहब की मेहरबानी से हुआ। जब हमने हुकूमत को लिखा तो, अध्यक्ष महोदय, अफसरों का जो जवाब मुझे मिला वह मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब आपका भाषण बहुत असंगत सा हो रहा है। आप ऐडमिनिस्ट्रेशन के बहुत डिटेल में जा रहे हैं। आपको तो उसूल तय करना है। इसलिये आप विधेयक के उसूलों पर ही सीमित रहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं इसलिये मैं उनको रास्ता बतला रहा था कि कैसे रेवेन्यू बढ़े। जो रास्ता उन्होंने बतलाया है उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं उससे ज्यादा तो हमारी असेम्बली का खर्चा हो जायगा जितनी देर इस बिल के पास करने में लगेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आल्टरनेटिव सजेशन यह है कि या तो प्राइवेट कार्स के लिये परमिट दिये जायं या अगर परमिट नहीं दिये जाते हैं तो रोडवेज की कार्स चलाई जांय। हमने ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन किया है वह जनता की सहूलियत के लिये किया है तो अगर उसकी सहूलियत के लिये कुछ लौस भी उठा लिया जाय या कार रखने में कोई आमदनी भी न हो तो भी हमको गाड़ियां रखनी चाहिये। इसलिये या तो यह किया जाय या लोगों को प्राइवेट गाड़ियों को रखने की इजाजत दे दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहां जनता को ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिये। रास्ते में पानी वगैरा की सहूलियत के लिये नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि लंबे सफर वालों के लिये और रेल के साथ चलने वाली मोटरों का किराया कम होना चाहिये ताकि ज्यादातर लोग मोटरों पर ही सफर करें और हमारी आमदनी और अधिक बढ़ जाय। आशा है माननीय मंत्री जी इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। हम जो कुछ कहते हैं वह विरोध के लिये ही नहीं कहते हम उनको साथ देने को तैयार हैं, हमें इसके बारे में कुछ तजुर्बा है लेकिन हमारा सहयोग उनको तभी प्राप्त हो सकता है जब वे केवल इस नियत से चलें कि प्रांत की रोडवेज की तरक्की हो और जनता को ट्रांसपोर्ट में फैसीलिटीज हों। हम इसलिये और भी ज्यादा कहते हैं क्योंकि बदकिस्मती से पहाड़ के रहने वालों के लिये और कोई चलने का साधन है ही नहीं क्योंकि वहां रेल तो चल ही नहीं सकती। इसलिये हमें देखना है कि इससे जनता को क्या सहूलियत होती है और उसका किराया कितना कम हो सकता है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे और मैंने जो प्रान्त के रेवेन्यू को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिया है उस पर अमल करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र उपाध्याय जी ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से अपनी सहमति प्रकट की है लेकिन उनके

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

जो संदेह हैं उनके निराकरण के लिये मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैंने जिस वक्त इस बिल को पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि जितनी पावर्स इस बिल के द्वारा ली जा रही हैं उनसे ज्यादा पावर्स हमारे हाथ में मौजूद हैं और वास्तव में हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में मोटर विहीकिल्स ऐक्ट में एक सैक्शन १२९ (ए) है। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है :—

"129 (A) Any Police Officer authorized in this behalf or other person authorized in this behalf by the Provincial Government may, if he has reason to believe that a motor vehicle has been or is being used incontravention of the provisions of sub-section (1) of section 22 or without the permit required by sub-section (1) of section 42 or in contravention of any condition of such permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used seize and detain the vehicle or for this purpose take or cause to be taken any steps he may consider proper for the temporary safe custody of the vehicle.

इसका अर्थ होता है यह कि अगर बिना परमिट के कोई भी गाड़ी किसी सड़क पर चल रही है या परमिट किसी दूसरी सड़क का है और चल किसी दूसरी सड़क पर रही है तो उसको पकड़ा जा सकता है, लाया जा सकता है, रखा जा सकता है, किसी जगह पर बन्द किया जा सकता है। यह अधिकार इतना बड़ा है कि बाद को चाहे ससपेंशन हो या न हो लेकिन जो अफसर पकड़ेगा वह अपनी तरफ से उसका उपयोग कर सकता है। यह कहीं ज्यादा बड़ा पावर है उस पावर से जो कि हम इस संशोधन के जरिये ले रहेहैं। तो यह सोचना कि उसका उपयोग किसी एलेक्शन में होगा, यह तो मैं समझता हूं कि बिलकुल निराधार है। मेरा भी ख्याल यह है कि वास्तव में जो हमारे पास हैं उनका उपयोग किसी कारण से नहीं हुआ है। कुछ कारण तो वह है जिसकी तरफ उपाध्याय जी ने संकेत किया कि जो हमारी चेकिंग एजेंसीज हैं कम से कम अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, उनकी सहानुभूति उतनी प्राप्त नहीं है जितनी कि होनी चाहिये थी। इससे दूसरा एक सवाल यह भी उत्पन्न होगा कि आया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफसर हैं जिनमें से दो एक को छोड़कर हर एक को यह अधिकार दिया जाय कि वे चेकिंग करें। चेकिंग करने व उनकी रिपोर्टिंग करने का अधिकार उनको दिया जायगा अथवा पुलिस अफसरके हाथमें यह अधिकार रहेगा, यह उसमें स्पष्ट नहीं है। क्योंकि खास खास जगहोंपर हाई कोर्ट की रूलिंग के अनुसार ऐसा भी है कि प्राइवेट वेहिकिल्स को भी परमिट्स मिले हुये हैं, वे भी चल रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी चल रही हैं। लेकिन जो दूसरे वेहिकिल्स चल रहे हैं उनमें ओवरलोडिंग भी होती है। कभी-कभी ऐसा है कि दूसरे रूट पर भी चलाये जाते हैं और ज्यादातर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की यही असली शिकायत रही है कि चूंकि हमारे हाथ में कोई अधिकार नहीं है इसलिये हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और जो कर सकते हैं वे कहते नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब तो रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद सस्पेंशन होगा। जिनके तीन आफेंसेज हैं, जो हैबिचुअल आफेंडर हैं उनको सस्पेंड करने का अधिकार अभी भी रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटीज आदि को हैं। लेकिन यह जितना बड़ा पावर इस वक्त हमारे हाथ में है उसका उपयोग जो हम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है उसकी तह में कुछ और कारण हैं बजाय इसके कि हमारे पास ताकत नहीं है दूसरी बात यह भी है कि पब्लिक को जितनी जरूरत है उतनी किराये की गाड़ियां मौजूद नहीं हैं। आजकल जब से परमिट का कंट्रोल हट गया है तब से उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी और उस ब्लैक मार्केट की प्राइस कहीं ज्यादा है उससे जो कि उसके बिना चलाने पर पकड़े जाने पर जो जुर्माना देना पड़ता है। इसलिये जो साधारण व्यक्ति हैं उसके लिये परमिट लेने का कोई तरीका नहीं है और यही कारण है कि बहुत से लोग बिना परमिट के अपनी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाते हैं। पकड़ गये तो सजा मिल गई वरना तो उनको सजा मिलती है, और अगर नहीं पकड़े जाते हैं तब तो उनकी रोजी का जरिया उनके पास बना ही हुआ है। लेकिन अगर परमिट मिलने लगे और आसानी से मिलने लगे तो शायद आज जितने आदमी उस अपराध

को करते हैं वह न हो। मेरा भी यह निवेदन है कि परमिट की संख्या अवश्य बढ़ानी चाहिये। मैं समझता हूं कि जो अधिकार हम ले रहे हैं और जो अधिकार कि हमारे पास हैं उनका अगर हम उपयोग करें तो यह जो इविल्स बिना परमिट के गाड़ी चलाने की बुराई है वह खतम हो सकती है। यही नहीं कि गाड़ियां बिना परमिट के चल रही हैं बल्कि बहुत सी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी लोग नहीं करवाते हैं और वे बराबर चलती रहती हैं क्योंकि उनको मालूम है कि खास २ क्षेत्र में उनको कोई डर नहीं है। इस वजह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल अगर इसको समझा जाय कि यह पावर हमारे लिये जरूरी है तो अवश्य ले लिया जाय, उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ अवश्य आकर्षित करना चहता हूं कि वह स्थिति क्या है जिसके कारण यह सब हो रहा है। कैसे उनको इतना अवसर मिलता है और उन्हें इतनी सवारियां कैसे मिल जाती हैं। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है और तो भी उनको सवारियां मिल जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि अधिक बसों की जरूरत है। ओवर लोडिंग होती है। परमिट हो या न हो लेकिन वे कोई न कोई अपराध बराबर करते ही रहते हैं। जहां ६ की जगह है वहां २६ आदमियों को बैठा लेते हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय उपाध्याय जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेहिकिल्स का जो जिक्र किया उसमें थोड़ा हिलने जुलने की जगह अवश्य रहती है जिसकी वजह से उन्होंने तकलीफ महसूस की होगी लेकिन प्राइवेट वेहिकिल्स में वह भी जगह भी नहीं रहती जिससे शायद उनको उनमें तकलीफ न हुई हो। इसलिये इस विधेयक पर विचार करते समय ज्यादा जोर इन बातों पर दिया जायगा कि हम इस बिल को किस तरह से एनफोर्स करते हैं जिससे गवर्नमेंट का जो नुक़सान होता है और पब्लिक को जो तकलीफ होती है वह कम हो जाय।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य से मैं समझता हूं कि इस सदन में किसी को भी कोई विरोध नहीं होगा। सवाल यह है कि प्राइवेट गाड़ियों के मालिक किराये पर सवारियां बैठाल कर ले जाते हैं जिससे सरकारी रुपये का नुकसान होता है लेकिन देखना यह है कि निजी गाड़ियों के मालिक ऐसा क्यों करते हैं। बहुत जगहों पर गाड़ियों के परमिट एक या दो मिलते हैं लेकिन सवारियां इतनी ज्यादा होती हैं जिनको एक या दो गाड़ियां लाने में सदैव असमर्थ रहती हैं। तो इस बिल के लाने से जो ज्यादा सवारियां हैं उनकी समस्या हल नहीं होती और वह समस्या उसी वक्त हल हो सकती है जब गाड़ियों को किराये पर चलाने के लिये सरकारी परमिट बहुत उदारतापूर्वक दिये जायं ताकि ज्यादा सवारियों की समस्या नियमानुसार पूरी की जा सके।

दूसरी बात जिसका मुझे बहुत शुबहा है और जिसके लिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी क्लेरिफाई कर लें कि किसी भी मेले में या साधारण तरह से सफर करते हुये निजी गाड़ियों में जो बोनाफाइडी पैसेंजर्स बैठे होंगे वे पुलिस आफिसर्स और एंफोर्समेंट स्कवाड द्वारा सताये नहीं जायेंगे इस बात के लिये इस बिल में क्या प्रावीजन है? एंफोर्समेंट स्क्वायड के हाथ में इतनी जबरदस्त पावर देने के मानी मैं यह समझता हूं कि इससे सरकारी फायदा तो कम होगा किन्तु जनता को बहुत जबरदस्त तकलीफ हो जायगी और मैं यह मुनासिब समझता हूं कि हमको थोड़ा माली नुक्सान भले ही बरदाश्त कर लेना पड़े लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी बोनाफाइडी पैसेंजर को इतनी जबरदस्त तकलीफ दे, ऐसा न होना चाहियें। इसके लिये मैं इस बिल के अन्दर कोई प्राविजन नहीं देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इसका उत्तर देंगे तो इस मामले पर थोड़ा प्रकाश अवश्य डालने का कष्ट करेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय हमारे सामने उपस्थित है उसके उद्देश्य से हमको भी सहानुभूति है लेकिन दो चार बातें अवश्य मैं माननीय परिवहन मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उन्होंने अपने विधेयक को पेश करते वक्त जिस उद्देश्य को सामने रक्खा है उसमें स्पष्ट यह कहा है कि न केवल रोडवेज बसों की आमदनी कम होती है बल्कि जो निजी तौर पर परमिट्स दिये गये हैं लोगों को गाड़ियां चलाने के लिये उनकी

[श्री गेंदा सिंह]

आमदनी भी कम होती है और खास तौर से इसी बात को लेकर बिल को ले आने की जरूरत समझी गई तो फिर इस बात को मान लेना पड़ेगा कि इस माननीय सदन के सामने माननीय परिवहन मंत्री जी ने इस विधेयक को लाना केवल उसी समय मुनासिब समझा होगा जब कि यह बीमारी किसी मामूली इलाज से दूर नहीं हो सकी होगी। नियमों में परिवर्तन करने से, अपने अफसरों को हिदायत करने से, उनके हाथों सख्ती से जांच करवाने से, जब माननीय परिवहन मंत्री जी को सफलता नहीं मिली होगी तभी उन्होंने इन अधिकारों को सदन से मांगना चाहा होगा। मैं इसे ठीक समझता हूं कि वह ताक़त लें और जहां पर सरकारी आय में कमी हो रही हो भ्रष्टाचार के जरिये उसे दूर करने के लिये जितनी भी कड़ी कार्यवाही वे कर सकें मुनासिब है। लेकिन जब हम इस बात को मान लेते हैं कि यह बीमारी बहुत बड़ी है तो फिर उसका यही इजाल काफी नहीं है यह मान लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद में रोडवेज की बसें होते हुये और निजी परमिट होल्डरों की गाड़ियों के होते हुये भी लोगों ने ऐसी टैक्सीयों को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। इसके कारण पर विचार माननीय परिवहन मंत्री जी को कर लेना चाहिये कि क्यों रोडवेज की बसों के होते हुये और क्यों निजी परमिट होल्डर्स की गाड़ियों के होते हुये लोग उनको छोड़ कर इस तरह की चोरी की सवारियां करते हैं। इस कारण को अगर दूर नहीं किया जायगा तो मैं समझता हूं कि इस तरह के विधेयक को पास करके जिस उद्देश्य की सफलता वे चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर पायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यद्यपि बहुत अधिक तो उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद वह अप्रासंगिक हो जाय लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रोडवेज की बसों को जैसा कि हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने भी संकेत किया, एफीशियेंट बनाने की कोशिश करें और जब वह एफीशियेंट होंगी तो वह गाड़ियां अपने आप पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन आज होता क्या है। गाड़ियां तो पकड़ी ही जाती हैं बेचारे मुसाफिर भी पकड़ लिये जाते हैं। वे चाहे गिरफ्तार न हों लेकिन वे अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच नहीं सकते। तो व्यवहारतः वे मुसाफिर भी गिरफ्तार हो गये। मैं यह चाहूंगा कि जिस वक्त गाड़ियां पकड़ी जायं तो वह पकड़ी जायं लेकिन मुसाफिर जहां जाने वाले हैं उनको वहां पहुंचा दिया जाय। अब तक यह प्रथा रही है कि चाहे गाड़ियां बन्द कर दी जायं और चाहे ड्राइवर को हिरासत में ले लिया जाय लेकिन उस बेचारे को छोड़ दिया जाता है और इस प्रथा का कुपरिणाम उस बेचारे मुसाफिर को भोगना पड़ता है। इन सारी मुसीबतों को जानते हुये भी जब मुसाफिर गाड़ी में बैठता है तो उसकी वजह स्पष्ट है कि उसको वक्त पर सवारी नहीं मिलती; जहां रोडवेज की बसें चलती हैं अगर वहीं पर देखिये तो पता चलेगा कि अगर एक मरतबा बस चली गई तो फिर उसको अपने जहां पर उसको जाना है उस जगह तक पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं है। एक बस के छूटने के दो घंटे या चार घंटे बाद कोई बस आती है और उसके बीच में कोई ऐसा काम आ गया जिसके लिये उसको जाना लाजिमी है तो उसको बस मिलने का रोडवेज के पास कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर यह प्रबन्ध भी रोडवेज करे तो मैं यह समझता हूं कि यह बीमारी काफी हद तक दूर हो सकती है। कुछ बड़े बड़े शहरों में इस बात की गुंजायश है कि वहां पर कुछ कारें रखी जायं। उन कारों से मुझे नहीं मालूम कि कितनी आमदनी होती है लेकिन फिर भी उन कारों की रोजी काफी लगी रहती है। लेकिन ऐसी जगह सूबे भर में बहुत थोड़ी हैं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहां पर कारें प्राप्य नहीं हैं और फिर यह रोडवेज की जो कारें होती हैं वह कार कुछ सस्ती पड़ती हैं दूसरे लोगों की कारों की निस्बत। तो अगर रोडवेज की कार प्राप्त नहीं है या जो लोग कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर इस बात का बन्दोबस्त होना चाहिये कि अगर इस तरह की मोटर कार प्राप्य नहीं हैं तो वहां पर

इन्टरवेल में यानी एक बस दूसरी बस के समय, बीच में अगर आवश्यकता हो तो वह लोग जहां पर जाना चाहें वहां पर जा सकें। या पूरी बस की जरूरत न मालूम हो तो उनके जाने का प्रबन्ध हो सके।

एक बात समझ में नहीं आयी और उसको यहां पर बार बार कहा गया कि उदारता-पूर्वक परमिट दिये जायं। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें अनुदारता क्यों? परमिट एक आदमी को मिलता है किसी जगह टैक्सी चलाने के लिये तो वह उसका टैक्स देगा। उसके लिये जो नियम होगा वह उस नियम का भी पालन करेगा तो फिर इसमें अनुदारता क्यों की जाय। इसपर माननीय मंत्री जी रोशनी डालने की कृपा करें। मैं तो यह समझता हूं कि अगर लोग परमिट चाहते हैं तो उनको उदारता से परमिट दिये जायं बल्कि उदारता से भी अधिक कोई लफ्ज हो तो उसको इस्तेमाल किया जाय और जितने लोग भी परमिट चाहें इस तरह की किराये की बस चलाने के लिये उनके लिये परमिट का सिस्टम जारी रहे। टैक्स मिलने में दिक्कत नहीं होगी वह तो उनसे लिया जायगा तभी वह अपनी गाड़ी चला पायेंगे अगर उनको गाड़ी चलाने में घाटा मालूम होगा तो वह खुद उसको बन्द कर देंगे तो फिर इसमें सरकार की चिन्ता का क्या कारण है। मैं समझता हूं कि सरकार को उदारता के साथ परमिट देने की व्यवस्था करनी चाहिये बल्कि जो कोई भी परमिट चाहे उसको परमिट देने चाहिये।

एक बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वह यह है कि कोई आदमी मजबूरी से गाड़ी में बैठता है तो यह जरूर होना चाहिये कि उनके साथ जरा सहूर का बर्ताव किया जाय। आखिर यह हमारी बहुत अच्छी इन्डस्ट्री है। इस इन्डस्ट्री के बल पर कुछ करोड़ तक रुपये हम आमदनी करते हैं और यह समझते हैं कि यह रुपया हमारी सरकार की आमदनी है। आज तक हमको इस बात का पता नहीं हो सका कि यह विभाग कितनी आमदनी करता है। हमारे पास एक आंकड़े मौजूद हैं जो कि ४६, ४७ तक ही आमदनी बताते हैं। मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के अनुसार यह फिगर्स जो हमारे पास हैं उसकी स्टेटिस्टिक्स जो हमारे पास है उसमें सन् १९४६–४७ में १९,९०,८०० की आमदनी हुई है। हमको इस बात पर अवश्य विचार करने का अवसर मिलना चाहिये कि इस विभाग में कितनी कुल आमदनी होती है। इन अधिकारों को देने में हमको कोई हर्ज नहीं मालूम होता है लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूं कि इन अधिकारों को देने का परिणाम यह न हो जाय कि जो लोग किसी तकलीफ के मौके पर किसी दूसरे की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल करने में परेशानी उनको हो जाय। मान लीजिये कि कोई जैन्विन भाड़ा देने वाला नहीं बैठा है। हमारी गाड़ी है और हमारी गाड़ी में हमारे दोस्त बैठे हैं या और उनके २, ४ साथी बैठ कर लिये जा रहे हैं और कोई स्कवैड इंस्पेक्टर आये और कहे कि गेंदा सिंह किराये पर ले जा रहे हैं, वह चूंकि एजूकेशन मिनिस्टर हैं इसलिये चाहे वह डर जाय लेकिन अगर किसी दोस्त को लिये मैं चला जा रहा हूं उस हालत में हमें डर लगता है कि वह हमें सताये और वह जो हमारे दोस्त बैठे हों, वह भी सताये जायं और हमारी गाड़ी भी सतायी जाय। इस चीज की गारण्टी होना चाहिये कि हम लोग ऐसी मुसीबत से कैसे बचें। वह इसका भी कुछ इलाज सोचें। आखिर में मैं कहूंगा कि मैं तो मौजूदा परिवहन मंत्री जी से आशा करता था कि हमारी रोडवेज ऐसी बन सकेगी कि जिसके बनने के बाद इस बिल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मैं पूरा निराश तो नहीं हूं लेकिन आधा निराश अवश्य हो चुका और ईश्वर से चाहूंगा कि मेरी यह निराशा आधी से अधिक न बढ़े क्योंकि अब एक साल से ज्यादा हो चुका परन्तु इस समय तक रोडवेज के मुहकमे में कोई रिमार्केबिल तरक्की वर्तमान परिवहन मंत्री जी के अनुकूल नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि हालत इतनी जरूर सुधर जाय जैसा कि माननीय मदन मोहन उपाध्याय ने कहा कि फर्स्ट और अपर क्लास में आराम होता, मैं तो कहूंगा कि मैं तो माननीय मंत्री जी का रेगुलर कस्टमर हूं और

[श्री गेंदा सिंह]

जब भी देवरिया जाता हूं तो रोडवेज की बस को छोड़ कर और किसी की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता इसलिये मुझे मालूम है कि इन गाड़ियों की आयु अभी ६–७ वर्ष से अधिक नहीं हुई है लेकिन अगर उनका मुक़ाबला दूसरे मालिकों की १५ साल की बसों से किया जाय तो उनकी हालत में जमीन आसमान का अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने की इजाजत चाहूंगा कि उनकी दुर्दशा इसलिये होती है, कि जो सेंट्रल वर्कशाप है या रीजनल वर्कशाप है, उनकी हालत बहुत खराब है। जो पुर्जे खरीदे जाते हैं वह आमदनी में नहीं जोड़े जा सकते वह तो खर्चे में जोड़े जा सकते हैं और जब नये पुर्जों को लगाया जाता है तो उनसे भी यह गारन्टी नहीं रहती कि वह ठीक काम ही करेंगे। जब वहां से इंजिन रिकन्डीशन हो कर आता है...

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री गेंदा सिंह—तो वह ६ महीने भी मुश्किल से काम ठीक करता है जबकि व्यक्तिगत लोगों के इंजिन मुद्दत तक काम करते हैं। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको नम्बर भी दूंगा कि एक उनका इंजिन रिकन्डीशन होकर आया और वह पहले दिन भी पूर–पूरा काम न कर सका। इसलिये मैं चाहूंगा कि सब से पहले जो कानपुर की वर्कशाप है उसको ठीक करने की कोशिश की जाय। वहां की ऐसी हालत का कारण क्या है वह मैं एक मिनट में कहना चाहता हूं। वहां सर्विस वग़ैरा का कोई ठिकाना नहीं है, वहां प्रोमोशन ऐट रेन्डम होता है और उसके कोई नियम आदि नहीं हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि गाड़ियों की उम्र कम होती जाती है और विभाग की आमदनी घटती है। कन्डक्टर्स वग़ैरा नहीं समझते कि यह नेशनल इंडस्ट्री है और उनको सरकार की आमदनी की परवाह नहीं है और वह नहीं समझते कि सरकार की आमदनी बढ़ने से हमारा भी लाभ होगा। इसको नेशनल इंडस्ट्री कहना इसका मिसनोमर है और इसका परिणाम यह है कि हम रोडवेज की बसेज को पापुलर नहीं कर पाते हैं और इस तरह से बड़ी चोरी का काम होता है। तो सब से पहले–पहल तो हम अपने घर की हालत ठीक करें और घर को ठीक करने के पहले हम चोर के आने का रास्ता बन्द कर दें और चोर के लिये पहरा देने का इन्तजाम हम बाद को कर लेंगे। लेकिन पहले जिस रास्ते से चोर घुसता है उसको बन्द करें।

माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि जो निजी बसें चलती हैं उनमें लोगों को कष्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रतियोगिता का युग है। किराये की कमी की बात करते हैं, आराम की बात करते हैं और अपने चालकों को भी संतुष्ट रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राइवेट लोग अपनी कम्पनियां चलाते हैं, उन कम्पनियों की हालत से, उनकी गाड़ियों की हालत से, उनके जो चालक हैं उनकी हालत और मुसाफिरों की हालत को जानने की कोशिश करें और जहां पर खामी है दूर करने की चेष्टा करें। अगर इन कमियों को दूर करने की चेष्टा की जायगी तो इसकी आमदनी बढ़ेगी। इस विभाग की आमदनी बढ़ाने के लिये और लाइनें ली जा सकती हैं और दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारी मुसीबत को बढ़ा कर न हो। हम डरते हैं कि इससे हमारी मुसीबत बढ़ सकती है।

मैं फिर कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक बार फिर इसका पुनरीक्षण करें, जिसको वह कहा करते हैं कि वह हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ा काम होता है वह रीजनल मैनेजर का होता है। उसमें ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि अगर उन्होंने एक जगह ४०,००० का ग़बन कर लिया तो उन्हें दूसरी जगह ट्रांस्फर कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—दो दफा आपने माफी मांग ली तीसरी दफा आपने उसी प्रकार की बातों को फिर शुरू किया।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो बहुत चाहता था रोडवेज के सिलसिले में। हमें एक ही मौका मिलता है, जब बजट आता है, कि हम माननीय परिवहन मंत्री को अपना दुखड़ा सुना सकें या कोई बिल आये तब कह सकते हैं। मैंने थोड़े से शब्दों में उनके सामने रोडवेज की तरफ उनका ध्यान दिलाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करके इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार वह फिर पुनरीक्षण करें और उसके बाद शायद ऐसे विधेयकों की जरूरत न पड़े। खुले बाजार में हम आएं, हम दूसरे लोगों को मुकाबले में नहीं आने देंगे। पहले लोग रोडवेज की गाड़ियों पर चढ़ेंगे।

जहां तक परमिट वालों का संबंध है वही ज्यादा ओवरलोडिंग करते हैं। और ओवरलोडिंग का मामला ऐसा है कि जिसको हम समझते हैं कि हमको कबूल नहीं करना चाहिए कि रोक नहीं सकेंगे लेकिन कठिन काम है और उसको रोकने के लिए अधिक कठिनता का सामना करना पड़ेगा।

मैं इतना ही कह कर रोडवेज की तरफ ध्यान दिलाता हूं कि माननीय मंत्री जी उसको इफीशेंट बनाएं ताकि हमें इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब से इस विधेयक को देख रहा हूं इस परेशानी में पड़ा हुआ हूं कि आखिर इस विधेयक को इस अवसर पर उपस्थित करने की आवश्यकता क्या थी।

हमने जो १९३९ का ऐक्ट है उसमें चैप्टर ९, आफेंसेज, पेनाल्टीज ऐंड प्रोसीडचोर इनको दिया और ११२ से ले करके १३२ सेक्शन तक इसमें अपराध के बारे में सजायें क्या-क्या हो सकती हैं सब दिया हुआ है। जैसा कि माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि अपराध को रोकने के लिये, अपराधों के दंड की व्यवस्था जब पहले इससे कठोर है तो उस व्यवस्था के अन्दर न चल कर के एक नये प्रकार की व्यवस्था करने का क्या कारण है इस बात को ही हम ढूंढ़ रहे थे। जैसा कि हमारे साथी मदन मोहन जी ने कहा कि उसपर हमारे चतुर्वेदी जी ने कुछ आपत्ति की मगर उन्होंने भी कुछ गोल शब्द में कहा कि इसका कारण कुछ और ही ज्ञात होता है। वह कारण क्या है इस पर चतुर्वेदी जी ने प्रकाश नहीं डाला। माननीय मंत्री जी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा ३३ की उपधारा (१) में शब्द "rules made there under" के बाद शब्द "or that any motor vehicle is being used as a public service vehicle without a valid permit for being used as such." जोड़ना चाहते हैं। ऐसा संशोधन वह लाये हैं और उक्त उपधारा के अन्त में शब्द "or in the case of a motor vehicle being used without a valid permit as a public service vehicle for a period not exceeding fourteen days." जोड़ना चाहते हैं।

अब उक्त उपधारा के अन्दर इस प्रकार होता है—

"After giving an owner an opportunity of making any representation he may wish to make for the reasons to be recorded in writing suspend his certificate of registration of the vehicle until the defects are remedied to its satisfaction."

यह पावर रजिस्ट्रिंग अथारिटीज को है। अब इसके बाद "or" बढाने के बाद इस विधेयक में—

"or, in the case of a motor vehicle being used without a valid permit as a public service vehicle for a period not exceeding fourteen days"

[श्री राजनारायण]

तो आगे जब यह विधेयक इस प्रकार संशोधित हो जाता है तो केवल १४ दिन के लिये ही उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहता है और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। तो १४ दिन के सस्पेंशन के बाद फिर रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेगा तो इस १४ दिन से कौन सा ऐसा रेवेन्यू बढ़ जायगा? यहां पर तो केवल पनिश्मेंट की बात कही गई थी कि पहली बार अगर अपराध करता है तो २० रु० पनिश्मेंट है। दूसरी बार करेगा तो सौ रुपया हो। इसी तरह से पनिश्मेंट की बात थी, लेकिन उन तमाम को हमारे माननीय मंत्री महोदय इस समय अपर्याप्त समझ रहे हैं और कहते हैं कि हम ज्यादा कठोर दंड इसमें जोड़ने जा रहे हैं जिससे इस अनुचित कार्य को अधिक से अधिक रोक सकें। इसमें क्या कठोरता है यह नजर नहीं आ रही है। हां, एक बात स्पष्ट तरीके से दृष्टि-गोचर हो रही है, वह यह कि पहले जो दफा थी, माननीय चतुर्वेदी जीने पढ़ी थी, उसमें पुलिस अफसरों को अधिकार है और क्रासिंग पर जो सिपाही खड़ा होता है उसको भी अधिकार है कि अगर कोई आदमी रूल्स के मुताबिक मोटर को न चला रहा हो तो उसको गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करके उसकी सजा की व्यवस्था करा सकता है उसकी रिपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से पावर भिन्न भिन्न लोगों में बंटी हुई है, मगर यह सस्पेंशन का जो अधिकार है वह केवल एक रजिस्ट्रेशन अथारिटी के हाथ में जा रहा है। तो, श्रीमन्, मैं फिर आप से और आपके जरिये इस सदन को आगाह कराना चाहता हूं कि सरकार की मनोवृत्ति हर प्रकार से, चाहे कोई विधेयक हो, उसको सेंट्रलाइज करने की हो गयी है। तो उस सेंट्रलाइज करने की मनोवृत्ति से प्रेरित होकर के संभव है कि माननीय मंत्री जी के दिमाग में यह बात आई हो कि पुलिस के कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरे जो चेकिंग एथारिटी होती है वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है तो जो रजिस्ट्रेशन देने वाले अधिकारी हैं उसके हाथ में यह रहेगा तो वह अपने अधिकार का पालन कर पायेगा। श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी एथारिटी है, ऐसा कौन सा यंत्र है, उस रजिस्ट्रेशन एथारिटी के पास जिसके जरिये वह एक दूसरे स्थान पर बैठे रहकर के दूसरी जगह के अनुचित तरीके से गाड़ी चलाने वाले के बारे में समझ सकता है कि कोई प्राइवेट कार को पब्लिक सवारियों को बैठाने में इस्तेमाल कर रहा है। जब कि दूसरी दफायें ११२ से १३४ तक फेल हो गई, और जब कि स्थान स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई मोटर मालिक अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित कराये तो उस व्यवस्था को कम बताकर के यह जो नयी व्यवस्था करना चाहते हैं, इससे कैसे वह यह जान पायेगा, यह मैं समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं। इसलिये, श्रीमन्, मैं तो चाहता था कि इस विधेयक पर जब विचार करने की जरूरत पड़ी तो माननीय मंत्री महोदय पूरे आंकड़े पेश करते, यह बताते कि उनके पास यह शिकायतें कहांसे आयीं, उन्होंने स्वतः इसकी जानकारी प्राप्त की, या और किसी तरह से यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके से प्राइवेट कारोंका दुरुपयोग हो रहा है और अगर वह आंकड़े माननीय मंत्री जी को मालूम थे और माननीय मंत्री जी यह जानते थे कि प्राइवेट कारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो जो व्यवस्था ११२ से १३४ दफा के अन्दर दी गई है उसके अन्दर क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसे लोगों को सजा दिलाने की कोशिश कभी की? अगर कभी कोशिश की थी तो उसकी जानकारी हमें करायें। हम चाहते हैं कि जब इस विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं और जब इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में केवल रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं तो माननीय मंत्री जी समुचित आंकड़े रखते ताकि इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इसकी जानकारी हो सके। जिस तरह से कि इस सदन को ज्ञात होगा कि जब जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में सप्लीमेंट्री बिल यहां पर आया तो जमींदार पार्टी की ओर से, जो संयुक्त दल यहां है, उसकी ओर से माननीय वीरेंद्र शाह ने यह सवाल किया था कि माननीय मंत्री महोदय को क्या आवश्यकता पड़ी, और उनके पास क्या शिकायत आयी जिसके कारण वह यह विधेयक लाये हैं, तो उस विधेयक को स्थगित कर दिया गया और माननीय मंत्री जी ने पूरे पूरे आंकड़े पेश किये कि फलां फलां जगह से यह शिकायत आयी है। तो मैं उसी तरह से चाहता था, माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुये हैं, कि इस समय इस विधेयक पर विचार करना स्थगित किया जाय और इसकी जानकारी की जाय कि जितने उपकरण, जितनी

व्यवस्थायें, जितने नियम, १९३९ के ऐक्ट के मुताबिक हमें प्राप्त थे, दंड की व्यवस्थायें जो प्राप्त थीं, उन दंड की व्यवस्थाओं के अन्दर चलकर के क्या समुचित कार्यवाही नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं और हमारा विश्वास है, जैसे कि माननीय चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि ऐसा हो सकता है इसके बाद, श्रीमन्, जहां तक कि सरकार की ओर से बसें चलती हैं और उन बसों में किस वजह से सवारियां नहीं बैठती हैं, उद्देश्य और कारण में इस बात को दिखाया गया है जिसके संबंध में हमारे माननीय मंत्री साथी मदन मोहन जी और गेंदा सिंह जी और चतुर्वेदी जी ने भी प्रकाश डाला, उस संबंध में भी हम माननीय मंत्री जी की खिदमत में चन्द बातें पेश करना चाहते हैं।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस समय कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने उद्देश्य और कारण में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये जो कुछ लिखा है उसमें प्रमुख बात यही है कि जो आमदनी राज्य सरकार के राजस्व की कम हो रही है उसके लिये उपाय निकाला जा रहा है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही दृष्टिकोण है कि राजस्व बढ़े तब तो इस दृष्टिकोण की पूर्ति दूसरे तरीकों से भी हो सकती थी। हां, यदि दृष्टिकोण यह है कि जो अपराधी हों उनको सजा मिले तो उस सजा की व्यवस्था सन् १९३९ के ऐक्ट में पहले से कई प्रकार से दी गयी है। मैंने अफेंसेज और पैनालटीज के बारे में इस ऐक्ट की धारा ११२ के १३४ तक की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। मैं उनकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो सरकारी राजस्व की आय कम होने की बात उद्देश और कारण में उन्होंने लिखी है, उसका केवल यही कारण नहीं है कि निजी कारें टैक्सी के रूप में बदली जा रही हैं, बल्कि उसके कारण इस सदन में जो हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाये वे तो हैं ही उसके आगे भी आजकल जो नयी नयी व्यवस्थायें वहां पर हो गयी हैं वे सब भी हैं। इसी परिस्थिति का हमें एक ताजा अनुभव है। बनारस में मिर्जापुर से एक सरकारी बस आती है। एक दिन वह बस जब मिर्जापुर मुरार आयी, तो उस बस में जितने आदमी बैठे थे वे इस लिये उतर गये कि तमाम पानी जो आकाश से गिरता था वह बस के ऊपर से बस के अन्दर आ जाता था। जो कंडक्टर बेचारा था उसको सीत लग गयी और वह बीमार पड़ गया था। वह टिकट तक नहीं काट सकता था। ड्राइवर सिकुड़ कर एक कोने में पहुंच गया था और वह कहता था कि क्या करें, कई बार बस के बारे में अधिकारियों से कहा गया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से अगर देखें तो माननीय मंत्री जी को ऐसे भी बहुत से प्रमाण मिलें होंगे जिन में रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर की बहुत सी अव्यवस्थायें होंगी। अभी हमारे एक माननीय मित्र ने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि मरठ के रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर ने दो सौ परमिट कैंसिल कर दिया था और दो साल तक उसकी अपील में लगे। इस दो साल का जो टैक्सेशन का नुकसान हुआ और जो राजस्व में कमी आयी, अगर इसका समुचित प्रबन्ध किया गया होता और ऐसे गलत काम करने वाले अफसरों को कठोरता से दंडित किया गया होता, तो इस तरह की बातें न होतीं। श्रीमान्, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिनके परमिट्स कैंसिल किये गये थे उन्होंने अपने मुकदमें जब हाई कोर्ट में दाखिल किये तो हाई कोर्ट से अधिकांश की डिग्री भी हो गयी।

बहुतों ने रिट के जरिये अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इतनी स्पष्ट धांधली जब एक आफिसर की ओर से की जाती है तो उस आफिसर को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर मात्र कर देने से ही कठोरतम दंड समझ लेना मैं समझता हूं कि राजस्व को बढ़ाने की ओर यह क़दम नहीं है बल्कि यह कदम घटाने की ओर ले जाने का होगा। माननीय मंत्री जी का उस समय इस विधेयक के अन्दर लाकर के इस ऐक्ट को दूसरे कठोरतम दंड के रूप में करने का भाव था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उठें तब इसकी सफाई करें दूसरी बात माननीय मंत्री जी को स्वतः कहना चाहिये, और इसपर वादविवाद स्थगित होना चाहिये कि जितनी बातें हैं वह सब सदन के प्रकाश में लाई जायं कि माननीय मंत्री जी को कैसे यह पता चल पाया कि इस तरीके से अनिय-

[श्री राजनारायण]

मिततायें हो रही हैं और निजी कारें पब्लिक ढंग पर, टैक्सी के रूप में परिणित की जा रही हैं क्योंकि नियमों में जब कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिये कितने ऐसे लोग आज तक दंडित हुये इसकी सदन में एक लिस्ट आनी चाहिये कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसीतरीके से दंडित हुये। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि जो लोग प्राइवेट कारों को इस्तेमाल करते हैं, वह गवाही में नहीं आते, वह बयान नहीं देते तो वह बयान न दें यह तो उनकी रेस्पांसिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है मगर जो सरकारी कर्मचारी या जो पुलिस के अधिकारी इसके लिये नियुक्त किये गये हैं कि अनियमिततायें न होने दें उन्होंने कितनों के बारे में रिपोर्ट दी? आज के जमाने में जो ढांचा पहले का था वही अब भी चलता जा रहा है। मैं यह जानता हूं और समझता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य भी जानते होंगे कि कोई भी मुकदमा चल नहीं पा रहा है जिसमें कि झूठ का आश्रय न लिया जाय। सत्य भी बिना झूठ का आश्रय लिये हुये खड़ा नहीं हो पा रहा है अगर वह मुकदमा झूठा रहा तो यह दूसरी बात है मगर जो सरकारी कर्मचारी इस कार्य के लिये नियुक्त हैं और इसके लिये कुछ न कुछ पाते होंगे उन्होंने कितनों के खिलाफ रिपोर्ट की? इस प्रकार के आंकड़े इस सदन में उपस्थित किये जायं तब माननीय मंत्री जी समझ सकते हैं कि उन के इस तरह के विधेयक को यहां पर लाने में क्या अर्थ रह गया है। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी को आकाशबाणियां हुआ करती हैं और अगर ऐसी बात है तब तो माननीय मंत्री जी ही खुद जान सकते हैं और उसे हम लोग जानने में बिलकुल असमर्थ हैं। मगर मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इन आंकड़ों को पेश करें और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को जानकारी करावें और तब तक के लिये इस विधेयक को इस समय विवाद की दिशा से उठा करके अलग कर दें और इसपर फिर सोचें और फिर विचार करें कि क्या केवल १४ दिन तक लाइसेंस को सस्पेंड कर देने मात्र ही से यह अनियमिततायें खत्म होंगी या नहीं खत्म होंगी। श्रीमन्, मैं इस १४ दिन के ऊपर आप के जरिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह देखेंगे अगर ऐक्ट उनके सामने हो कि, यह जो ३३ ए में संशोधन की बात है उसको माननीय मंत्री जी जरा ध्यान से पढ़ेंगे।

"The registering authority or other prescribed authority which has reason to believe that any motor vehicle within its jurisdiction is in such a condition that its use in a public place would constitute a danger to the public or which fails to comply with the requirements of Chapter V or of the rules made thereunder, may, after giving the owner an opportunity of making any representation he may wish to make for reasons to be recorded in writing, suspend his certificate of registration of the vehicle until the difficulties are remedied to its satisfaction."

श्रीमन्, इस विधेयक में जो सजा रखी गई है वह १४ दिन के लिये लाइसेंस सस्पेंड कर देने की है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इससे आय बढ़ जायगी। १४ दिन पूरे होने पर उसका रजिस्ट्रेशन फिर वैलिड हो जायगा। यह मिस्ट्री है कि तब आय कैसे बढ़ेगी। इसे माननीय मदनमोहन जी उपाध्याय ने बड़े अच्छे शब्दों में रखा है कि क्या यह म्युनिसिपल इलेक्शनों या दूसरे उपनिर्वाचनों के लिये कोई हथकंडा तो नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि कभी-कभी कुछ गाड़ियां हम लोगों को भी मिल जाया करती हैं। १४ दिन के लिये इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और यह किसी इलेक्शन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई ऐसी व्यवस्था न करें जिससे विरोधी दल के हकों पर किसी कर्मचारी द्वारा कुठाराघात हो सके। हमारी यह शंका कैसे होती है और दृढ़ से दृढ़तर होती जाती है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से परमिट जारी होते हैं और शक्ति का दुरुपयोग होता है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास भी बहुत सी बातें आई होंगी इस डेढ़ साल के जीवन में। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उन धांधलियों को विचार में रखते हुये जो इस विभाग में होती आई हैं ऐसी न लगामें जिससे उनके कर्मचारी किसी दूसरे की कृपादृष्टि के ऊपर दंड की व्यवस्था कर सकें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह

इसे वापस ले लें और हम लोगों को भी इस पर सोचने का मौका दें। अगर वह वापस ले लेंगे तो हम उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके राजस्व में कमी नहीं आने देंगे। अगर यह विधेयक पास नहीं होगा और यह एक नया हथियार इस विभाग की रजिस्टरिंग अथारिटी के हाथ में न दिया जायगा तो हम माननीय मंत्री जी को इसी विभाग की बहुत सी ऐसी बातें बता सकेंगे जिनसे आय में वृद्धि होगी और जिनमें ईमानदारी भी बरती जा सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्रीजी से आदर के साथ कहूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लेलें और समुचित रूप से तमाम पहलुओं पर दृष्टिपात करें कि क्या और कहां अव्यवस्थायें होती हैं और किन कारणों से राजस्व में कमी होती है और वह कैसे पूरी की जा सकती हैं। यों तो आप स्वतः जानते हैं कि अगर इस सरकार के दूसरे विभागों को देखा जाय तो आय में कमियां कई तरीके की हैं। उन पर मैं इस समय जाना नहीं चाहता परन्तु जब एक्साइज विभाग आवेगा तो मैं कहूंगा कि २७ लाख और ३० लाख रुपये की कमी वहां चली जा रही है और वह इसलिये है कि वहां के आफीसर्स ब्लैकमार्केटिंग में लगे हुये हैं। प्रतिदिन अखबारों में चर्चा हुआ करती है कि फलां जगह इतने मन गांजा पकड़ा गया है, फलां जगह इतने मन फलां चीज पकड़ी गई है। यह तमाम बातें हैं मैं इनमें जाना नहीं चाहता हूं। जब समय आयगा तब मैं कुछ कहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी उचित तरीके से राजस्व को बढ़ाने की जो भी कोई व्यवस्था होगी हम उनके साथ होंगे। अगर वह ऐसे प्रकरण से होगी जिससे अनर्थ हो सकता हो, जिससे जनतंत्र के मौलिक सिद्धांतों पर कुठाराघात हो सकता हो तब तो हमें विरोध करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी सोचें कि क्या वह इस १४ दिन वाली चीज को किसी आर्थिक दंड वाली व्यवस्था में परिणित नहीं कर सकते हैं और शंकायें दूसरे लोगों को हैं कि जब कोई अवसर आयगा तो उस अवसर पर इस विधेयक के जरिये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके सत्ताधारी फायदा उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वैसी कोई भी गुंजाइश माननीय मंत्री जी नहीं रहने देंगे। अब तो यह विधेयक आ गया। पहले हमारी जानकारी में यह था कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट पर विचार होगा। इसलिये उसी पर ज्यादा मनन किया गया था। अब नया विधेयक आया है। इससे हमें और भी परेशानी हुई है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर फिर से विचार करें:

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि मैं अभी एक मौका माननीय ज्वाला प्रसाद जी को और दे दूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे मौक़ा दिया। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि श्री राज नारायण जी ने कहा है वह इस विधेयक को इस समय पास कराने का प्रयत्न न करें। यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं उनका दोहराना अच्छा नहीं मालूम होता क्योंकि मैं सदन का कभी ज्यादा समय नहीं लेता हूं। मैं केवल थोड़े से सजेश्चन्स देना चाहता हूं कि इस समय जो कार्यक्रम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चल रहा है वह कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहां कर्मचारी लोग किस तरह से तकर्रुर किये जाते हैं, किस तरह से नौकर रखे जाते हैं मुझे यह जानने का अवसर मिला है कि इसमें जो मिकेनिक्स रखे जाते हैं वह खुद कुछ नहीं जानते हैं और बहुत से ड्राइवर्स उनसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। लेकिन न जाने किस तरह से उनको नौकरी मिल जाती है। उनकी क्वालीफिकेशन्स वगैरा के बारे में शायद मंत्री जी जानते होंगे। उनके डिपार्टमेंट का प्रबंध किस तरह से होता है यदि उसमें कुछ अच्छाई करने की कोशिश की जाय तो जैसा कि और लोगों ने कहा है, मेरी समझ में इसकी आमदनी बढ़ जायगी। इस तरह के विधेयक लाने से तो उनको और ज्यादा अख्तियारात दे देना है और उनको ज्यादा मौक़ा मिलेगा और करप्शन बढ़ेगा। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे बहुत संतोष है और मैं सदन का उपकार मानता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सिद्धांत है उसके पीछे जो भावना है उस का सब ने स्वागत किया है। शिकायत कुछ लोगों को यह है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी या रोड-

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

वेज के इंतजाम में गल्तियां हैं। सब से पहली जो शंका उठाई गई है वह यह भय है कि कहीं राजनैतिक दृष्टि से इस संशोधन का दुरुपयोग तो न किया जायगा। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन्स आ रहे हैं और शायद हमारी कार्स को पकड़-पकड़ कर बन्द कर दिया जाय ताकि आसानी से कांग्रेस को सफलता मिल जाय। मैं इस भोलेपन के ऊपर, श्रीमन्, अपने को न्योछावर करता हूं। एक सांस में कहा जाता है कि इतनी शक्ति गवर्नमेंट के हाथ में है, इस सेक्शन से ले कर उस सेक्शन तक सब शक्तियां गवर्नमेंट के पास भरी पड़ी हैं तो फिर इस नई शक्ति को लेने की जरूरत क्या आ पड़ी है? अब अगर सरकार की नियत खराब हो तो फिर अगर एक मिनट के लिये यक़ीन कर लिया जाय कि हमारे पास इतनी शक्तियां भरी पड़ी हैं तो फिर खासतौर से एलेक्शन के बिल्कुल ठीक पहले इस विधेयक को लाकर लोगों के संदेहों को जागृत करने में क्या अक़लमन्दी हो सकती है? लेकिन, श्रीमन्, कुछ ऐसा हो गया है राजनीति में यह विश्वास ही नहीं किया जा सकता है कि कोई काम सद्भावना से भी किया जा सकता है। हर काम के पीछे नियत खराब जरूर होगी यह मान कर हम चलते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं यह प्रार्थना ही कर सकता हूं कि इसमें जरा भी किसी भी जगह पर इससे कोई राजनैतिक लाभ उठाने की मंशा नहीं है और मेरे जीवन का सब से बड़ा यह पश्चात्ताप होगा अगर कहीं भी इसका ऐसा दुरुपयोग हो सका है। इसके अलावा इसकी सम्भावना भी नहीं है। जब अफ़सर के सामने केस आयेगा, उनसे पूछा जायगा, उनको मौक़ा दिया जायगा सफ़ाई का तब जाकर कहीं फ़ैसला हो सकता है, उससे पहले नहीं।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि जो क़ानून हैं वे पर्याप्त हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बावजूद उन क़ानूनों के होते हुये व पूरी कोशिश करने के बाद भी हम इस चीज को रोक नहीं पाये। कुछ कमी जरूर हुई है, उसका मुझे संतोष है, लेकिन साधारणतया वे क़ानून अपर्याप्त हैं।

श्री राजनारायण जी ने यह भी शंका की कि शायद हमारा जो स्टाफ़ है वह सोता रहता है, कोई काम ही नहीं करता है, कोई मुक़दमें नहीं चलाता और माननीय मंत्री को यह मालूम कैसे हुआ। मैं निवेदन करूं कि कुछ तो मेरे अन्दर यह नुक्स है कि मैं खुद जाकर के चीजों को देखता हूं। अपनी आंखों से मैंने देखा, उनको पकड़वाया और ऐसी जगह से पकड़वाया कि जहां पर जो शंकायें की गयीं गाड़ी नहीं मिलती और परमिट नहीं मिलते, उनमें से एक भी चीज वहां पर लागू नहीं होती थी, ठीक ऐसी जगह पर कि अगर वहां पर दूसरी गाड़ियों का अड्डा है तो वहां पर वह नाजायज तरीक़े से दूसरी सवारियों को बैठा रहे हैं, खुल्लमखुल्ला सवारियों को बैठाया जाता था, यह मैं अपनी आंख से देख कर आया। केसेज चलाये जाते हैं, शायद हर महीने में एक हजार के क़रीब केसेज चलाये जाते हैं। बहुत से केसेज चल नहीं पाते हैं, गवाह पेश नहीं हो सकते हैं, कभी-कभी सम्मन भी तामील नहीं होते हैं और सौ डेढ़ सौ मुकदमे इस तरह से नाकामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा इधर प्रेशर भी इतना ज्यादा था कि १२, १३ हजार के क़रीब पेंडिंग केसेज थे। उनमें से कुछ बहुत दिनों के हो गये, वे कामियाब नहीं हो सके। इधर बहुत ज्यादा कोशिश करने से उनकी तादाद शायद १० हजार तक आ गई है लेकिन अब भी बहुत पुराने केसेज हमारे पास पड़े हुये हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जायं लेकिन फिर भी मुक़दमा चलाने में और कानून की पेचीदगियों में इतना समय लग जाता है कि जिसके ऊपर हम केस चलाना चाहते हैं उसका वह काम करना रुकता नहीं है। इसके अलावा अगर ५,६ महीने के बाद उनपर ४०,५० या ६० रुपये जुर्माना हो भी गये तो वह बहुत नाकाफी होता है क्योंकि कभी-कभी शायद एक-एक दिन में उनकी ४०,५० रुपये आमदनी हो जाती है। वे धड़ल्ले के साथ आ कर कहते हैं कि आप हमको पकड़ लीजिये। दफ़ा १२९-ए का भी हवाला दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि वह दफ़ा भी नाकाफ़ी साबित हुई। लोगों को पकड़ा जाता है, गाड़ियां थाने में रखी जाती हैं, लेकिन वे फौरन् अदालत में जाते हैं और जमानत दे कर गाड़ियों को छुड़ा लेते हैं और मूछों पर ताव दे कर कहते हैं कि अब क्या करोगे। इस तरह से काम करने में दिक्कतें होती हैं।

यह भी कहा गया कि सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिये ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सब बातें पुष्ट करने के लिये पूरे-पूरे बिल को तो बयान नहीं किया जा सकता लेकिन मेरी समझ में केवल इनकम बढ़ाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, केवल आमदनी ही बढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं है लेकिन सरकार यह कभी नहीं देख सकती कि कानून को सरे आम तोड़ा जाय, सरकार की बड़ी-बड़ी सड़कों पर खुले आम तोड़ा जाय, इससे राज्य की व्यवस्था को धक्का लगता है, व्यवस्था खराब होती है। हमारा उद्देश्य इससे न तो यह है कि हम लोगों को दंडित करें और न यही है कि आमदनी बढ़ायें बल्कि इससे हमारा उद्देश्य है कि लोग अपराध न करें, लोगों का अपराध करना रुक जाय और जो संशोधन हम ला रहे हैं उससे हमारा अभिप्राय पूरा हो सकता है इसलिये जो शंकायें यहां पर उठाई गई हैं उनके लिये गुंजाइश नहीं है।

श्री राजनारायण जी ने कहा कि धारा ११२ से १२५ तक में इसको रोकने की काफी गुंजाइश है लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप को मालूम होगा कि केवल धारा १२३ ऐसी है जो वर्तमान केसेज पर लागू होती है, बाक़ी धाराओं का इससे कोई संबंध नहीं है। इसके संबंध में भी मैं निवेदन करूंगा कि महीनों केसेज चलाने में लग जाते हैं और उसके बाद भी ४०,५० रुपये जुरमाने होने का औसत आता है। केवल एक दो केसेज मुझे ऐसे मालूम हैं जहां मजिस्ट्रेट्स ने खुद जा कर देखा है और वहां पर ५०० रुपया से १ हजार रुपया तक जुर्माना किया है और ऐसी जगहों में कामयाबी भी हासिल हुई है। आगरा में भी एक आपरेटर को ६ आफेन्सेज में ढ़ाई, तीन हजार रुपया जुर्माना हुआ है। लेकिन ज्यादातर जुर्माना बहुत कम होता है। अदालतों को डायरेक्ट हम कह नहीं सकते और उससे हमारा परपज हल नहीं होता है। इसीलिये यह संशोधन लाया जा रहा है।

टैक्सीज के परमिटों के बारे में भी कहा गया कि वे खुले तौर पर क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्सीज हैं उनका नाम ही नाम टैक्सीज है लेकिन वे बिल्कुल भी टैक्सीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती हैं और न वे अपनी मौजूदा हालत में टैक्सीज के तौर पर इस्तेमाल ही हो सकती हैं। उनकी हालत बहुत ही रद्दी है, सीट्स खराब होती हैं, इंजन किसी तरह जैसे तैसे चलता है। उनमें ज्यादा आदमी बैठाये जाते हैं। इस प्रकार से उनका इस्तेमाल टैक्सीज के तौर पर नहीं होता। अगर उनका इल्लीगल यूज न किया जाय तो वे चल ही नहीं सकतीं, उनकी सब से ज्यादा आमदनी इसीलिये होती है कि वे कर नहीं देते हैं। दूसरी जो गाड़ियां चलती हैं वे कर देती हैं और उतनी ही सवारी बिठा सकती हैं जितनी कि उनको इजाजत है। लेकिन चूंकि वे गाड़ियां कानून के खिलाफ चलती हैं इसलिये उनको ज्यादा आमदनी होती है। इसलिये इससे रोडवेज को ही नुकसान नहीं होता बल्कि प्राइवेट आपरेटर्स को भी नुकसान होता है और उनकी आमदनी भी मारी जाती है।

एक तरफ यह भी कहा गया कि परमिट उदारता पूर्वक नहीं दिये जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी रोडवेज की गाड़ियां जहां प्रति दिन ८० से १०० मील तक चलती हैं वहां प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां ४० मील से ज्यादा नहीं चल पातीं। दूसरे तीसरे दिन उनका नम्बर आता है और एवरेज केवल ३०,४० मील का पड़ता है। मैंने जो हिसाब लगाया था तो मुझे मालूम हुआ कि जहां रोडवेज की एक गाड़ी है वहां प्राइवेट आपरेटर्स के हाथ में अगर उस काम को करने के लिये दे दिया जाय तो उसे तीन गाड़ियां रखनी पड़ेंगी और ज्यादा ठीक हिसाब लगाया जाय तो शायद ४ तक भी नौबत पहुंच जायगी। जहां एक गाड़ी से काम चल सकता है वहां राष्ट्र चार-चार गाड़ी रखे, यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी। हमारा सारा पैसा गाड़ी खरीदने की वजह से बाहर जाता है, इसको रोक देना हमारे लिये ईष्ट है, इस दृष्टि से भी परमिट का जहां तक ताल्लुक है वह कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। इसलिये भी परमिटों का और ज्यादा बढ़ाना गलत होगा क्योंकि जिन लोगों को परमिट मिलती है अगर उनको दिन भर में ३०,४० मील भी चलाने का मौक़ा नहीं मिलेगा तो आखिर वे किस तरह अपनी गुजर कर सकेंगे ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह कहा जाता है कि प्राइवेट आपरेटर्स शायद बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगे जो कि विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

स्वयं कहा कि उनकी गाड़ियों की हालत रोडवेज की गाड़ियों के मुक़ाबले में कुछ भी अच्छी नहीं होती लेकिन माननीय सदस्य जिनका संबंध शायद ट्रांसपोर्ट विभाग से ज्यादा है उनकी जानकारी में दूसरी बात है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितनी साधारणतः गाड़ियां प्राइवेट आपरेटर्स की हैं उनका रोडवेज की गाड़ियों से कोई मुक़ाबिला नहीं है। इसके अलावा वे अक्सर नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। मैंने स्वयं कई केसेज पकड़े हैं। एक-एक गाड़ी के अन्दर ७२, ७२ आदमी तक बैठाये जाते हैं। जहां कि ३६ आदमियों के लिए स्थान हैं वहां ४०, ४५ आदमियों तक को बैठाया जाता है। इसके अलावा टिकट देने में भी बहुत धांधली होती है। अगर कोई चन्दौसी के लिये टिकट मांगता है तो उससे कहते हैं कि मुरादाबाद का टिकट लो। इस तरह से बीच का टिकट ही नहीं देते हैं। इस तरह की ज्यादतियां होती हैं। लेकिन रोडवेज के आने से प्राइवेट आपरेटर्स ने बहुत दर्जे तक अपने अन्दर सुधार करने की प्रवृत्ति पैदा की। खास तौर से जहां उनको डर हो जाय कि यहां रोडवेज शायद आ जायगी तो वहां पर फौरन ही सुधार होता है, टाइम से गाड़ियां चलने लगती हैं, गाड़ियों की हालत ठीक हो जाती है, यूनियन वग़ैरा बनाकर थोड़ा ओवर लोडिंग भी खत्म किया जाता है।

यह भी शिकायत की गयी है कि शायद यह अधिनियम हम इसलिये बना रहे हैं कि हमारी आमदनी शायद घटती जा रही है। मैं बिना संकोच के कह सकता हूं कि इधर आखिरी महीनों में हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। मैं आप से ज्यादा कह नहीं सकता हूं कि हमारे रोड-वेज में कितना सुधार हो गया है, कहने में संकोच होता है लेकिन मुझे इसके कहने में कोई अपवाद का डर जरा भी नहीं है कि पहले से सुधार है। हमारे स्पेयर पार्ट्स में जो खर्चा है वह उत्त-रोत्तर कम होता जा रहा है और आज लाखों रुपया हम स्पेयर पार्ट्स का बचा सके हैं। जैसा कि अन्तिम वक्ता ने कहा था कि मेकेनिक्स से ज्यादा जानकारी ड्राइवर ही रखते हैं और वे ही ज्यादा काम करते हैं जैसे तैसे एप्वायंटमेंट कर लिये जाते हैं। बावजूद इन सब गाड़ियों के भी लाखों रुपया स्पेयर पार्ट्स का हमने अपने यहां दुरुस्त करके बचाया है। जो स्पेयर पार्ट्स बाहर से २५, २५ और ३०, ३० रुपये में मंगाये जाते थे उनको तीन चार रुपये में हम अपने यहां ठीक कर लेते हैं और इस तरह से लाखों रुपया रोडवेज का बचाया जा रहा है। इंजन की बाबत भी कहा गया है कि व रिकंडीशन हो कर आये लेकिन व बन्द हो गये। सम्भव है, कहीं ऐसा हुआ होगा, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं एक माननीय सदस्य जब खुद यहां पर इस बात को कहत हैं। लेकिन मैं साथ ही यह भी कहूंगा कि अगर आप हमारे आंकड़े देखें, वे आंकड़े एसे नहीं हैं जो सिर्फ किसी को संतोष देने के लिये बनाये जाते हैं, बल्कि वे आंकड़े ऐसे हैं जिनके मुताबिक हमारा व्यापार चलता है। अगर हम खर्चा करते जायं और उसका हिसाब न रखें, अगर कोई जादू हो कि हम रुपया भी खर्च करते जायं और उसका हिसाब भी न लिखना पड़े, बैंक से निकालना न पड़े, न ट्रेजरी में जाना पड़े, तब तो आप हमारी तारीफ़ ही कर सकते हैं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। लेकिन वह खर्चा कम होता जा रहा है, आमदनी ज्यादा होती जा रही है और यह धारणा कि रोडवेज की गाड़ियां कम चलती हैं यह भ्रम दूर हो जाना चाहिये। रोडवेज की गाड़ियां डेढ़-डेढ़ लाख मील चल चुकी हैं, एक लाख के ऊपर सैकड़ों गाड़ियां चल चुकी हैं। एक-एक लाख नहीं दो-दो लाख तक औसतन चल चुकी हैं। यह भ्रम इसलिये होता है कि हमारी गाड़ियां ३,४ साल में खराब हो जाती हैं लेकिन साधारणतया यह भुला दिया जाता है कि हमारी गाड़ियां कितनी चलती हैं। प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां जब कि २४,२५ मील चल कर १२ साल में खराब हो जाती हैं वहां हमारी गाड़ियां १००,१०० मील चल कर ४ साल में खराब होती हैं, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। मेरा सब से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस विभाग के संबंध में माननीय सदस्यों को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। इसे मैं अपनी कमजोरी मानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हों इन चीजों में वे जितना मेरा समय लेना चाहेंगे मैं उनको उतना समय दूंगा। जो भी उन्हें शंकायें हों, जिस मेरे बयान की बाबत उनको शंका हो उस सम्बन्ध में वे अपनी तस्कीन कर सकते हैं। मैं उनके सामने समय की कमी का बहाना पेश नहीं करूंगा और न अपनी अनिच्छा प्रकट करूंगा। इस

विधेयक के वास्ते ही नहीं, आगे के लिये भी जिन माननीय सदस्यों को जो कुछ शिकायतें हों वह आकर उनको रफा कर सकते हैं। मुझे अपने पास बुला सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी और समय बतलाना होगा। मैं समझता हूं कि जो शंकायें उठाई गयी हैं उनका यथोचित उत्तर मिल गया होगा। सिर्फ एक शंका रह गयी है कि १५ दिन के अन्दर क्या हो जायगा। मैं समझता हूं कि जो काम बचा है उसको देख लेने के बाद यह शंका भी दूर हो जायगी और अगर कोई बच जायगी तो दूसरी रीडिंग में उसे भी रफा कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करने की अनुमति देगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ३३ की उपधारा (१) में :

१९३९ के ऐक्ट संख्या १४ की धारा ३३ का संशोधन।

(क) शब्द "rules made thereunder" के बाद शब्द "or that any motor vehicle is being used as a public service vehicle without a valid permit for being used as such." बढ़ा दिये जायें, और

(ख) उक्त उपधारा के अन्त में शब्द "Or, in the case of a motor vehicle being used without a valid permit as a public service vehicle for a period not exceeding fourteen days." बढ़ा दिये जायं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के समक्ष निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "vehicle is being used" के पश्चात् तथा शब्द "as a public service vehicle" के पूर्व शब्द "or was used within the last twelve months" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का जो आशय है वह यह है कि अधिकारी के पास यदि ऐसे कारण हों और वह समझता है कि कार का प्रयोग टैक्सी के बतौर किया जा रहा है, तो जैसा मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया जांच होगी और उस ओनर को अवकाश दिया जायगा कि जो शिकायत उसके विरुद्ध की गयी है उसके बारे में वह स्पष्टीकरण दे और यदि उस जांच में पाया जाता है कि कार का प्रयोग टैक्सी के बतौर नहीं किया जा रहा है, जैसा कि कहा गया है, "इज बींग यूज्ड", अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि आज कल नहीं किया जा रहा है, लेकिन ६ महीने पहले या ८ महीने पहले कार का प्रयोग बतौर टैक्सी के किया गया तो जैसा यह संशोधन किया गया है "इज बींग यूज्ड" दफ़ा ३३ में, उस दशा में आप इसके अन्तर्गत उस कार के मालिक को दंडित नहीं कर सकते जब कि आप इस निर्णय पर आते हैं कि उसका प्रयोग आज से ८ महीने पहले किया गया। क्यों? "इज बींग यूज्ड" शब्द के माने यही हैं कि हाल ही में किया जा रहा है या १० दिन १५ दिन, महीने, दो महीने में। लेकिन उसके लिये समय निर्धारित करना पड़ेगा। उस समय के अन्दर अगर किसी ने किया है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। अब इस में जो है उसमें अगर काफी समय हो जाय, यानी १० महीने या १२ महीने हो जायं तो वह नहीं आ सकेगा। इसलिये मैंने इस संशोधन में रखा है कि वह भी इसके अन्दर आजाय, जो पुराने अपराधी हैं। जब हम उन लोगों को, उन कार वालों को दंडित करने जा रहे हैं जो कार का प्रयोग बतौर टैक्सी कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि अगर अधिकारी के जांच के बाद साबित होता है कि मालिक ने

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

१० महीने या १२ महीने पहले कार का प्रयोग बतौर टैक्सी किया है, तो उसे दंडित क्यों न किया जाय। जब तक आप इसमें कोई समय निर्धारित नहीं करेंगे तब तक जो शब्द आपने रखे हैं उनका मिसयूज हो सकता है क्योंकि वे बहुत गोलमोल और वेग हैं। यह भी हो सकता है कि आप ने जांच के बाद दंडित किया और बाद में यह निर्णय होता है कि वह उस समय के अन्दर नहीं आता है तो फिर वह कार का मालिक सिविल कोर्ट में जायगा और दावा करेगा और अधिकारी पर उसका तावान हो जायेगा। मैं समझता हूं कि आप का यह संशोधन विधेयक आमदनी बढ़ाने के लिये किया जा रहा है लेकिन साथ-साथ आप को इस बात का खयाल करना है कि कोई न कोई समय अवश्य निर्धारित किया जाय। यही आशय मेरे इस संशोधन का है। आशा है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता और उसका कारण बहुत ही सीधा और सरल है। यह प्रैक्टिकल नहीं है। जो केसेज पीछे डिटेक्ट किये गये हैं वे या तो अदालत में हैं या दाखिल दफ्तर कर दिये गये हैं। उनको उठाना उचित नहीं होगा। सिर्फ भविष्य में जो आर्फेंसेज किये जायेंगे उन पर ही ऐक्शन लेने का हमारा विचार है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "fourteen days" के स्थान पर शब्द "four months" रख दिये जायं।

इस पर अभी माननीय राजनारायण जी ने बड़े जोरों से भाषण भी दिया है जिसमें उन्हों ने कहा था कि १४ दिन की जो मुद्दत दी हुई है वह बहुत कम है। मेरी समझ में भी १४ दिन का जो समय रखा गया है दरअसल बहुत कम है। इसलिये हम आशा रखते हैं कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में प्रसन्नता खासतौर पर इसलिये कि इस पर विरोधी दल की तरफ से जोर दिया गया था।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "fourteen days" के स्थान पर शब्द "four months" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में संशोधन करने का विधेयक

यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होने के लिये संशोधन करना आवश्यक है,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तरप्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा, संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३, को पारित किया जाय।

मैं इस विषय में पहले काफी निवेदन कर चुका हूं। मुझे संतोष है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसको स्वीकार किया है। अतः इस समय मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि मोटर विहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ को जैसा वह सदन द्वारा सशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय आइटम नम्बर ८ के इस समय आइटम नम्बर १० पहले ले लिया जाय।

अधिष्ठाता—आप पेश कर सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्रीमन्, आगरा युनिवर्सिटी के बारे में आप को याद होगा कि जब यह संशोधन इस भवन के सामने प्रस्तुत किया गया था तो माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने एक वैधानिक आपत्ति उठाई थी और उन्होंने यह संशय उपस्थित किया था कि शायद इस भवन को यह अधिकार नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कोई कानून बना सके वह इस कारण से कि शायद इस कानून के अन्तर्गत वहां और बहुत से कालेज आयेंगे जो कि इस प्रान्त के बाहर भी हैं। उस समय श्रीमन् आप ने यह आज्ञा दी थी कि जब मैं विचारार्थ इस विधेयक को इस भवन के सामने उपस्थित करूं तो उस आपत्ति का उत्तर दे दूं। शायद आप को याद होगा कि इस आपत्ति का उत्तर एक बार पहले भी इस भवन में उस अवसर पर दिया जा चुका है जब इस भवन के सम्मुख एक छोटा सा अधिनियम बनाने का प्रश्न था जिससे कि वाइस चांसलर, आगरा विश्वविद्यालय की अवधि १ वर्ष के लिये बढ़ रही थी। उसी समय इसका उत्तर हो चुका था। परन्तु अब संक्षेप में फिर एक बार दोहरा दूं कि यह बिल किसी और क्षेत्र फल पर लागू न होगा जो इस प्रदेश के बहर हो। आगरा यूनिवर्सिटी से अगर एक बाहर के स्थित कालेज से संबंध है तो उस कालेज को टेरीटरी नहीं कहा जा सकता और इसलिये भी यह नियमित है। दूसरे यह कि एक बिल या अधिनियम का असर प्रान्त के बाहर किसी प्रकार सेम किसी संस्था पर पड़ता है तो उससे यह निर्धारित न होगा कि आया इस भवन को अधिनियम बनाने का अधिकार है या नहीं। एक अधिनियम आप बनाते हैं.....मान लीजिये कि आप कोई कानून अपने यहां इन्श्योरेन्स कम्पनीज के लिये बनाते हैं और उसकी ब्राञ्चेज सारे देश

*७ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

हो सकती हैं, बम्बई में भी उसका असर पड़ सकता है लेकिन हमें कानून बनाने का अख्तियार है तीसरे अगर आप कांस्टीट्यूशन में देखें तो जहां तक पार्लियामेंट का संबंध है, पार्लियामेंट केवल बनारस, अलीगढ़, और देहली विश्वविद्यालयों के लिये ही क़ानून बना सकती है और बाक़ी विश्वविद्यालय स्टेट्स की लिस्ट में हैं, तो यदि पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती तो इसके अर्थ यह होंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई कानून बना ही नहीं सकता। इस पर एडवोकेट जनरल की राय ली गयी और उन्होंने यही राय दी कि इस सदन को पूर्ण अधिकार इस बात का है कि वह आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट बनाये।

जहां तक इस ऐक्ट का संबंध है इसका एक छोटा सा इतिहास है जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। सन् १९३८ ई० में इस सदन के प्रस्ताव के अनुसार एक कमेटी बनी थी जो इस सरकार के मातहत तीनों विश्वविद्यालयों के ऊपर जांच करे, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट उस समय आई जब कि कांग्रेस सरकार रिज़ाइन कर चुकी थी, वह सन् ४१ या ४२ में ऐसे समय आई कि जब उस पर कोई कार्यवाही न हो सकी। उसके बाद सन् ४६ में जब नये चुनाव द्वारा फिर से इस सरकार का संगठन हुआ तो चूंकि समय बहुत बीत चुका था इस कारण यह उचित समझा गया कि उस कमेटी की रिपोर्ट को फिर से देख कर, समयानुसार जो परिवर्तन उसमें होने हों वह करके उन यूनिवर्सिटियों के संबंध में फिर कोई बिल लाया जाय। यह छान बीन हो ही रही थी कि उसी समय केन्द्रीय सरकार ने एक कमीशन कुल विश्वविद्यालयों के संबंध में बनाया जिसका नाम यूनिवर्सिटी कमीशन था और जिसके सभापति श्री राधा कृष्णन् थे। उस समय यह उचित नहीं समझा गया कि जब यूनिवर्सिटीज़ के क्षेत्र का एक कमीशन द्वारा निरीक्षण हो रहा है उस समय यहां कोई ऐक्ट बना लिया जाय, इसलिये यह काम उस वक्त कुछ समय के लिये स्थगित हो गया। तो अब इन सब रिपोर्टों को देख कर और छानबीन कर के यह विधेयक आप के सामने प्रस्तुत किया गया है। जहां तक इस विधेयक के खंडों का संबंध है मैं आप से सर्व प्रथम यह कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों की निस्बत उन के पक्ष में, उन के विपक्ष में क़रीब क़रीब सब लोग जो उनसे संबंधित हैं अपनी एक राय रखते हैं उन रायों में सार है। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई पक्ष या विपक्ष बिला वजह अपनी एक राय रखता है। कोई यह कहता है कि हमारे विश्वविद्यालयों का प्रबंध जो है उसकी व्यवस्था बहुत ठीक है। कोई यह कहता है कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उनमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन चाहे इस बारे में दो मत भले ही हों लेकिन इस बारे में मतैक्य है कि हमारा स्तर नीचे चला जा रहा है और इसलिये यह प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे स्तर कुछ ऊंचा उठ सके। मैं यह मानता हूं कि क़ानून के द्वारा स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता और यदि व्यक्ति हमारे पास ऐसे हों जिनका अपना ही स्तर ऊंचा हो तो वह उन विश्वविद्यालयों को भी ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो हम को, आप को मानना ही पड़ेगा कि कानून के द्वारा स्तर ऊंचा हो ऐसी आशा न रखते हुये भी इस बात का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये कि कानून में जो खामियां हैं जिससे दलबन्दियां होती हैं जिससे लोगों को शिक्षा से हट कर दूसरी चीजों से दिलचस्पी होने लगती है, कम से कम इस बात का प्रयत्न किया जाय कि उसके अवसर कम हो जायं। तो मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस पूर्ण विधेयक को केवल एक दृष्टि से देखें और वह यह कि क्या इसमें पर्याप्त प्रयत्न इस बात का किया गया है या नहीं कि जितना सम्भव हो सके उसमें सुधार किया जाय। जहां तक कि इस बिल का संबंध है, उसके अंशों का संबंध है वह मैं थोड़े में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आप और हम सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में कुल दलबंदी वायसचांसलर के स्थान के लिये होती है। विश्वविद्यालय वह क्षेत्र नहीं है जहां कि दलबन्दी होनी चाहिये। वहां तो केवल एक ही चीज का प्रयत्न होना चाहिये और वह यह कि जिस कार्य के लिये यह विश्वविद्यालय हैं, जिसके लिये प्रजा का इतना धन उनके ऊपर लगता है जहां से हम इस बात की आशा रखते हैं कि हमारे देश का निर्माण होगा, हमारी भावी संतान जिससे उत्पन्न होगी,

जहां से हमको प्रकाश मिलेगा, वह सुरक्षित रहे, वह ऊंचे आदर्श का रहे। विश्वविद्यालय अगर पार्टीबन्दी का अखाड़ा बने तो यह हमारे लिये, आप के लिये और देश के लिये बड़ी लज्जा की बात है।

तो यह पार्टीबन्दी ज्यादातर वाइसचांसलर के पद को ले कर ही हुआ करती है। इस बात के दो ही तरीक़े हो सकते हैं। एक तो यह कि वाइसचांसलर की नियुक्ति विश्वविद्यालय की परिधि से बिलकुल बाहर निकाल ली जाय। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट पढ़ें तो आप को मालूम होगा कि उसमें यह है कि वहां से जो नाम चुन कर आते हैं, चांसलर के ऊपर इस बात की पाबन्दी नहीं है कि उन्हीं नामों को स्वीकार करे। वह किसी को वायस चांस लर बना सकता है। उनको इस बात का अख्तियार है कि यदि वह चाहें तो उन प्रस्तुत नामों को छोड़ कर किसी दूसरे को वायसचांसलर नियुक्त करें। हमने यह जरूरी समझा कि विश्व-विद्यालयों की जो स्वतन्त्रता है वह भी एक ऐसी चीज है जिसकी रक्षा करनी चाहिये। लेकिन हां, मैं यह पहले भी इस सदन में कह चुका हूं और आज भी उसको दोहराता हूं कि मैं यह मानता हूं कि आटोनामी नाम की जो चीज है वह साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है। और उसी प्रकार से सुरक्षित भी होनी चाहिये जिसमें यूनिवर्सिटीज आटोनामी भी न जाय और उन को इस बात की शिकायत न हो कि वायसचांसलर की नियुक्ति में उनका कोई हाथ नहीं है। इसलिये इसमें यह रखा गया कि एग्जिक्युटिव कौंसिल यदि एक नाम भेजे तो एक ही वही आदमी वाइस चांसलर नियुक्त हो जायगा। तीन नामों तक का एग्जिक्युटिव कौंसिल में कोई चुनाव नहीं होगा। तीन से यदि अधिक नाम प्रस्तावित हों तब प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन से तीन नाम चांसलर के पास आवेंगे और चांसलर उन्हीं तीनों में से एक को वाइस चांसलर नियुक्त करेगा। इससे मैं आशा करता हूं कि अभी तक वहां की सिनेट में जहां क़रीब २८५ या ३०० के मेम्बर हुआ करते थे जिसमें एक दलबन्दी हो जाती थी, एक वाइस चांसलर होने के बाद उसी रोज दूसरे वाइस चांसलर के चुनाव की तैयारी हो जाती थी, अब उसके लिये कोई अवसर नहीं रहेगा। क्योंकि एग्जिक्युटिव कौंसिल यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी संस्था होगी। उसमें वही लोग होंगे जो शिक्षा से संबंधित होंगे और उनको इस बात का अवसर होगा कि वह अपने विचारों के अनु-सार अच्छे अच्छे आदमियों को वहां चुनेंगे और उन्हीं में से चांसलर एक को नियुक्त कर देगा।

तो यह तो वाइस चांसलर के संबंध में बात हुई। दूसरे उसमें यह भी रखा गया है कि स्तर चूंकि नीचा हो रहा है, यह रखा गया है कि अगर कोई इंटरमिडियेट कालिज मेन्टेन करता है तो वह पोस्ट-ग्रेजुएट का स्टेटस अपने यहां नहीं रख सकता और अब जो कालेजेज हैं इंटरमी-डियेट के वहां डिग्री के क्लासेज खोलने की अनुमति नहीं मिल सकती, इसलिये कि अभी तक होता यह है कि इन कालिजेज में जहां कि इंटरमिडियेट और डिग्री कालेजेज दोनों होते हैं वहां इंटरमीटिएट स्कूलों से अधिक रुपया फीस के रूप में चूंकि मिलता है, लिहाजा कुल धन उसी की ओर रहता है। तो इसी लिये और इसी हेतु जिसमें डिग्री कालेजेज का स्तर ऊंचा हो यह भी किया गया है कि एक सेलेक्शन कमेटी बनायी गयी है जिसमें डिग्री कालेजेज में जो प्रोफ़ेसर्स और लेक्चरर्स के अप्वाइंटमेंट्स होते हैं वह सेलेक्शन कमेटी के सामने जाया करें। उस सेलेक्शन कमेटी को यह अधिकार तो नहीं है कि वह यह कहे कि नहीं, तुम अमुक व्यक्ति को जरूर अप्वाइंट करो, उसको नियुक्त करो। यह अख्तियार जरूर है कि वह यह कह दे कि यह नियुक्ति ठीक नहीं है और उसके बाद वहां के मैनेजमेंट को फिर अख्तियार होगा कि वह ठीक प्रकार से कोई नियुक्ति करे।

तीसरी बात जो इसमें रखी गयी है वह यह है कि आप जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल परीक्षा लेने का कार्य करती है। इसमें कोई शिक्षा देने का नहीं होता। इसमें कालिजेज की संख्या बहुत है। मेरा ख़याल है कि साठ, पैंसठ के क़रीब इसमें कालिजेज हैं, जिस में कि ५० के क़रीब हमारे प्रान्त में हैं और थोड़े बाहर हैं। इसमें तो ऐसे ऐसे कालिजेज भी हैं जो इस बात का गर्व कर सकते हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है, लेकिन ऐसी संस्थाओं में स्तर निर्धारित होता है ऊंचे कालिजेज से नहीं बल्कि नीचे

[श्री हरगोविन्द सिंह]

स्तर के जो कालिजेज़ हैं जिनके पास सामग्री काफी नहीं है वह स्तर निर्धारित करते हैं पूरी यूनिवर्सिटी का। तो यह समझा गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमें कि जो अच्छे कालिजेज़ हैं, जो इस बात का गर्व कर सकते हैं कि वह यूनिवर्सिटी के तरीक़े से अपने यहां उसी उच्च कोटि की शिक्षा देते हैं उनको अगर यूनिवर्सिटी यह समझे कि ये कालिजेज़ ऊंचे स्तर के हो गये हैं तो उनको उठने का, गौर करने का अवसर मिले और इसीलिये उनको एक अटानोमस कालिजेज़ की संज्ञा दी गयी है। अमरीका में ऐसे बहुत कालिजेज़ हैं जो आटोनोमस हैं, वह ऊंची शिक्षा देते हैं और सैडलर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा की थी कि यहां भी ऐसे कालिजेज़ को अवसर मिलना चाहिये। तो बिल में यह नियम रखा गया है। लेकिन यह कि जब यूनिवर्सिटी उसको यह समझे कि कोई कालेज बहुत ऊंचे स्तर का हो गया है तभी उसको आटोनामी दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी रखा गया है कि हमारे बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं जिनको वक्त इस समय नहीं मिलता या धन न होने के कारण वह कालेजेज़ में एक छात्र के रूप में पढ़ नहीं सकते तो आगरा युनिवर्सिटी की डिग्री दो रखी गयी हैं, एक इंटर्नल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में वे लोग होंगे जो कहीं नौकर हैं, जिनको कि साधारण समय में अवसर नहीं मिलता, शाम को या सुबह अवसर मिलता है, तो कालेजेज़ अपने यहां एक्सटर्नल डिग्री के लिये लोगों को भर्ती कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि उनको जितना समय कि ऐसी डिग्री लेने में लगता है उससे ड्योढ़े समय में उनको डिग्री मिल सकेगी। यह केवल उनके लाभ के लिये किया गया है जिसमें कि वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो यह जो थोड़े मोटे मोटे इसके अंश हैं वह मैंने आप के सामने रखे। इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि जो चुनाव यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं वह कम से कम, जितने कम किये जा सकें, किये जायं और यह राधाकृष्णन कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार है। उन्होंने भी यह कहा था कि चुनाव जितने कम हो सकें किये जायं। तो इस बात का भी प्रयत्न किया गया है। ३०० का जो हाउस था उस को १२०, १२५ तक किया गया है। ३५ या ३६ लोग उसकी एक्जीक्यूटिव में हुआ करते थे, उसकी संख्या १९ तक कर दी गई है। इसी तरह से हर एक को छोटी छोटी बाडी बनाया गया है जिसमें कि वह कार्य कर सके और इसके स्तर को ऊंचा कर सके। आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में यह कहा जाता है उसका स्तर बहुत नीचा है। और भी यों तो हिन्दुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों का स्तर नीचा कहा जाता है लेकिन चूंकि यह कोई शिक्षा देने की संस्था नहीं है, केवल इम्तहान लेने की संस्था है इसलिये भी लोग समझते हैं कि यहां के ग्रेजुएट उस स्तर के नहीं होते जैसे कि इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय के होते हैं। प्रयत्न इस बात का किया गया है कि इसका भी स्तर ऊंचा हो जिसमें कि यहां से भी वैसे ही छात्र निकलें जैसे कि और युनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं। तो यह मैंने थोड़े में आप के सामने इस बिल को रख दिया और मैं आशा करता हूं कि जो दृष्टिकोण मैंने आप के सामने रखा है उसी दृष्टिकोण से आप इस विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से नियम ९७ की धारा २ की उपधारा (बी) के अनुसार निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"आगरा युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५३ को जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय"।

और मैं आप की आज्ञा से इसके लिये एक महीने का समय नियत करना उचित समझूंगा।

श्रीमन्, भारत के प्रसिद्ध विद्वान, आचार्य महादेव गोविन्द रानाडे ने शिक्षा संबंधी सुधारों का ज़िक्र करते हुये एक बार कहा था कि कोरी पटिया पर लिखना ही कोई सुधार करना नहीं है। तो जहां तक माननीय अध्यक्ष मन्त्री जी ने इस संशोधन विधेयक के द्वारा, एक नये प्रकार से कार्य आरम्भ न कर, संशोधनों के द्वारा विश्वविद्यालय में सुधार की योजना रखी है, वह श्रेयस्कर है और यह माननीय मंत्री जी के विभाग के लिये सौभाग्य की बात है कि उन्होंने आज एक ऐसे कार्य की शुरुआत की है जिसकी वांछा, जिसकी प्रतीक्षा, केवल यह सदन ही नहीं बल्कि

सारा देश वर्षों से करता चला आ रहा था। श्रीमन्, मुझे तो लगता है कि इस आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक में ही नहीं बल्कि यहां के विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति में, उनके संगठन में, उनकी व्यवस्था के संगठन में आज नहीं बल्कि आज से बहुत काल पूर्व ही आवश्यक संशोधन, हो जाने चाहिये थे। और मैं तो यह कहूंगा कि यह जो संशोधन विधेयक आज आया है, हो सकता था कि आज से तीन या चार साल पहले भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी के काल में ही आ जाता। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस समय राधाकृष्णन कमीशन चूंकि काम कर रहा था, तो उस समय हमने कोई संशोधन लाना उचित नहीं समझा। श्रीमन्, राधाकृष्णन कमीशन तो दिसम्बर सन् १९४८ में स्थापित हुआ लेकिन कांग्रेस मिनिस्ट्री दिसम्बर सन् १९४८ में नहीं आयी, वह सन् १९४६ में आ चुकी थी। दो तीन साल की प्रतीक्षा के बाद यह कमीशन बना। जो सम्पूर्णानन्द कमेटी उत्तर प्रदेश की बनी थी उसकी रिपोर्ट हमारे माननीय मंत्री जी के पास पहले से थी। बात मैं केवल इतनी ही कहना चाहता था कि यूनिवर्सिटी में सुधार की आवश्यकता बहुत पहले से थी और बहुत विलम्ब से यह कार्य हुआ है। खैर, अब माननीय मंत्री जी ने इसकी शुरूआत की है। इस विधेयक में एक ही सिद्धांत निहित नहीं है। अतएव माननीय मंत्री जी के छोटे से भाषण को सुन कर के मुझे कुछ निराशा सी हुई। मैं इस बात को क्या कहूं लेकिन कहना ही पड़ता है कि बहुत छोटा सा उन्होंने भाषण दिया और जितनी नवीनतायें इस विधेयक के जरिये उन्होंने प्रस्तुत की हैं उन पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला, यद्यपि मैं आज उसकी प्रतीक्षा करता था। आज इस विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालय के संगठन के सम्बंध में ही नहीं, उच्च शिक्षा के बारे में ही नहीं, विश्वविद्यालय स्वायत्त शासन के बारे में ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के विधान के बारे में, संगठन के बारे में, सिनेट की रूपरेखा के बारे में, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में, टीचर्स आर्गेनाइजेशन्स के बारे में, और स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन आदि के संबंध में जितनी नवीनतायें इस विधेयक में रखी गयी हैं उन पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाना आवश्यक था। कोई वैधानिक आपत्ति तो नहीं उठी थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह समझ कर कि शायद कोई वैधानिक आपत्ति उठाई जाय, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि इस प्रदेश के बाहर भी जो कालेजेज हैं उन पर यह विधेयक किस तरह लागू हो सकता है और इस संबंध में उन्होंने कुछ प्रकाश डालने की कृपा की। उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि मैं यह कहूंगा कि उन्होंने इस सदन को यह समझाया कि कालेज कोई टेरीटरी नहीं होती। इसलिये यह कहना कि उत्तर प्रदेश के बाहर कोई कालेज हैं और उनके लिये हम कोई विधान नहीं बना सकते ठीक नहीं है, मुझे यह बात अप्रासंगिक लगी क्योंकि कालेज किसी टेरीटरी में होता है। यह समझना कि कालेज त्रिशंकु के संसार की तरह न उत्तर प्रदेश में होते, न विन्ध्य प्रदेश में होते, न राजपूताना में होते, उनकी तो एक अलग टेरीटरी होती है, इस सिद्धांत का मैं कायल नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि कालेज एक टेरीटरी के अन्दर होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं कि विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, भूपाल और इस प्रकार की टेरीटरीज का जिक्र हमारे विधेयक के अन्दर है। उसमें टेरीटरी के लिये कोई ऐसी युक्ति नहीं दी है जिसको न हम देख पायें और न समझ पायें। माननीय मंत्री जी ने विधान की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि यह विधान में कांकरेंट लिस्ट में है। उसमें दिल्ली, आगरा और इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज का जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे विधान को जरा और ध्यान से पढ़ने की कृपा करें। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूर्ण स्वतंत्रता है। कांकरेंट लिस्ट में यूनिवर्सिटीज का जिक्र है। रिसर्च ऐक्टीविटीज के बारे में यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। इस संबंध में अगर माननीय मंत्री जी राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट की ओर ध्यान देने की कृपा करें, तो उन्होंने यह बतलाया है कि कांकरेंट लिस्ट में इसका लेना क्यों आवश्यक है और स्टेट लेजिस्लेशन कहां तक होना चाहिये यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है:

"No doubt the simplest way of securing these objectives would be to make it a central subject."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यानी वह चाहते थे कि यह सेंट्रलसब्जेक्ट बना दिया जाय लेकिन उन्होंने 'कान्करेंट' विषय बनाने के निम्न कारण बतलाये :—

"But we see two serious objections to it. It would tend to produce a stereotyped uniformity which we by no means desire. On the contrary, we wish to see local initiative and local interest in the creation and development of Universities far more general and more enterprising than it has hitherto shown itself. Secondly, it would create an awkward hiatus at a critical stage in the educational system if the Centre became solely responsible for University education while basic and sencodary education were a provincial responsiblity."

तो यह दो कारण थे जिनके कारणवश राधाकृष्न् कमीशन ने इस बात की सिफारिश की कि यह पूर्णतया केन्द्रीय विषय न मान लिया जाय। तो जो माननीय मंत्री जी ने मैं समझता हूं कि विधान की आपत्ति का प्रश्न उठाया है, मैं कोई आपत्ति उठाने वाला नहीं था लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में हमारा ध्यान आकर्षित किया तो मैं अपनी बात को अवश्य प्रस्तुत व स्पष्टकरना चाहता हूं। इसमें एक और भी शंका का प्रश्न उपस्थित हो सकता है जैसे कि दरबार कालेज रीवां है जो कि पूर्णतया विन्ध्य प्रदेश के अधिकार में है। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार वहां की स्टेट के उस दरबार कालेज के टीचर्स के बारे में हमारे यहां की आगरा यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल नियम बना सकती है क्योंकि वहां की सरकार के भी नियम व निमंत्रण रहेंगे और उनके आदेश भी रहेंगे। इस विधेयक में यह भी कानूनी अड़चनें प्रस्तुत होंगी। ऐसे ही मध्य भारत में जो सरकारी कालेज हैं उसके लिये भी मध्य भारत के सरकारी निर्देश चलेंगे और हमारे इस विधेयक के भी निर्देश चलेंगे। तो यह सब बातें मैं माननीय मंत्री जी के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। इस आगरा यूनिवर्सिटी के शिक्षा संबंधी बदलाव के बारे में उन्होंने कहा कि हमने इस बात की चेष्टा की है कि इसके द्वारा हम शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च का भी प्रयत्न करें। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी का सन् २६ में इस सदन के सामने उस समय के शिक्षा मंत्री श्री राय राजेश्वर बली के भाषण की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस समय के उन विद्वान शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम आगरा यूनिवर्सिटी को प्योरली (विशुद्ध) अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं बल्कि हम उसमें शिक्षात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहते हैं। इसलिये उन्होंने विधेयक के प्रिएम्बुल में यह लिखा था :

"To provide for instructions in such branches of learning as the versity might think and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge."

आज जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी के अलावा इसको टीचिंग यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यह तो उद्देश्य बहुत पहले से आप के विधेयक में मौजूद है, इसके उद्देश्य में मौजूद है कि आप रिसर्च के लिये भी कार्य करेंगे और आप डिस्कीमिनेशन आफ नालेज के लिये, ज्ञान के प्रतिपादन एवं प्रतिष्ठा के लिये अन्य कार्य जो आप उचित समझें वह करेंगे। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यूनिवर्सिटी इस दिशा में आज तक असफल क्यों रही? विधान में बात स्पपस्ट थी, विधान में लिखा वं हुआ था, उसके उद्देश्यों में पूरी गुंजायश थी लेकिन आज तक आगरा यूनिवर्सिटी को इस कार्य में क्यों सफलता नहीं हो सकी, इस पर हमको अवश्य विचार करना है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वहां के चुनावों आदि में पार्टीबाजी थी जिसकी वजह से और दलबन्दी के कारण यह बहुत से सुधार के कार्य नहीं हो सके.....

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने यह नहीं कहा कि इसलिये वहां की पढ़ाई नहीं हो सकी। मैंने जो कुछ नहीं कहा है उसे वे न कह कर केवल अपनी बात कहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी को बाद में जवाब देने का पूरा मौक़ा रहेगा।

मंत्री जी ने उप-कुलपति के चुनाव पार्टीबाजी और दलबन्दी का जिक्र किया था मैं कहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी में दलबन्दी थी और है। अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि दुर्भाग्य से प्रान्त का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें कि दलबन्दी न हो। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह बात ग़लत है तो मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन मुझे तो आशा है कि वह ऐसी बात नहीं कहेंगे।

खैर, मैं कह रहा था कि पार्टीबन्दी या दलबन्दी तो जरूर आगरा यूनिवर्सिटी में है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आज तक इस सरकार का प्रत्येक मंत्री आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट का सदस्य रहा है। जो ऐक्ट इस समय काम कर रहा है उसमें स्पष्ट तरीक़े से लिखा है कि यू० पी० सरकार का हर मिनिस्टर सीनेट का मेम्बर होगा। तो फिर क्या कारण था कि हमारे १३ मंत्रियों के सीनेट के सदस्य रहते हुये भी उसमें कोई सुधार नहीं हो सका? कितनी मीटिंगों में, सीनेट की, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी गये? मुख्य मंत्री जी खैर न गये हों, लेकिन और हमारे माननीय मंत्री कितनी मीटिंग्स में गये? मैंने रिपोर्टों से यह बात देखने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मालूम हो सका। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारा मंत्रि-मंडल आगरा यूनिवर्सिटी में सुधार करने के लिये सचेत होता तो मौजूदा ऐक्ट के अनुसार भी वह काफी सफल हो सकता था और वहां की दलबन्दी को समाप्त कर सकता था। नये विधेयक के अनुसार तो केवल शिक्षा मंत्री ही सीनेट के मेंबर रहेंगे। लेकिन डाइरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी वहां के मेम्बर रहे इसलिये यह मान लेना कि केवल वैधानिक कमजोरी के कारण वहां सुधार नहीं हो सका, जरा अप्रासंगिक होगा। जहां हमने आगरा विश्वविद्यालय के संगठन में इलैक्टिव सिस्टम का अतिक्रमण कर दिया था, वहीं पर आगरा युनिवर्सिटी के संग-ठन में कमी आई थी। आवश्यकता इस बात की थी कि एकैडेमिक और नानएकैडेमिक एलीमैंट्स का एक बैलेंस वहां किया जाता। यूनिवर्सिटी में टीचर्स के पैक्ट का बहुमत था और इसलिये वहां असफलता रही। माननीय मंत्री जी इस बात का सही दावा करते हैं कि उन्होंने चुनाव की पद्धति को काफी हद तक खत्म कर दिया है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं लेकिन चुनाव को खत्म करते करते उन्होंने युनिवर्सिटी की रूपरेखा को क्या बना डाला है जब वह इस बात को देखें तो उन्हें स्वयं आश्चर्य होगा। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित करें। आज इस विधेयक के द्वारा सीनेट के अन्दर यूनिवर्सिटी के बाहरी तत्वों का बहुमत होने जा रहा है और गवर्नमेंट द्वारा नामजद सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है और एकैडैमिक और नानएकैडैमिक एलीमैंट्स का संतुलन नहीं रहा है। नानएकैडैमिक एलीमैंट्स जिनका शिक्षा से संबंध सीधा नहीं है, शिक्षा से हमदर्दी सब को है, उनका बहुमत सीनेट में होने जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि उसका सुधार होने के लिये, वहां की उच्च शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिये और उसकी विचार स्वतंत्रता और स्वायत्तता को रखने के लिये, जिसकी माननीय मंत्री जी ने बात कही, यह आवश्यक है कि एकैडैमिक और नानएकैडेमिक एलीमैंट्स का बैलेंस रहे और इस कसौटी में जब हम इस नई सीनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कसते हैं तो हम अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं। आज से बहुत वर्ष पहले सैडलर कमीशन ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसके आधार पर हमारे प्रान्त की शिक्षा पद्धति चलती है और उसी के अनुसार यह जितनी भी सीनेट और कौंसिल वग़ैरा संस्थायें बनी हैं उसी के आधार पर आधारित हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रसंग को कहां से लिया, कहां से यह बात मिली। मैंने राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट को देखा, वहां यह बात नहीं मिली और न सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में मुझे यह बात मिली और सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी यह बात नहीं थी कि कहां पर यूनिवर्सिटी के मेन आर्गेनाइजेशन में नानएकैडेमिक एली-मेंट का बहुमत हो। यदि यह माननीय मंत्री जी मुझे दिखा दें तो मैं अपने विचारों को बदलने के लिये मजबूर हो जाऊंगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, जब मैंने राधाकृष्णन जैसे विद्वान के मत को देखा तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस प्रकार की सिफारिश किसी ने नहीं की है। राधा कृष्णन कमेटी ने तो साफ़ कह दिया है कि १२० की सीनेट होनी चाहिये जिसमें से ४० यूनिवर्सिटी के हों, ४० एफीलियेटेड कालेज के हों और ४० एक्सटर्नल मेम्बर्स होने चाहिए। यह कौन होने चाहिये इसके संबंध में भी स्पष्ट किया है। जब मैं इस पर आऊंगा तो उसकी विवेचना करूंगा कि किस तरह से राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को ठुकराया गया है और किस तरह से सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट को ठुकराया गया है।

अब मैं यूनिवर्सिटी के स्वातंत्र्य के प्रश्न पर बहुत कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है कि जिसको मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक की धारा ३५ जैसी धाराओं द्वारा ठुकरा दिया है। इस विधेयक की धारा ३५ के अनुसार यदि सदन के माननीय सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि माननीय मंत्री जी ने इस बात का अधिकार दे दिया है कि चांसलर महोदय, एक साल के लिये अथवा जैसाकि ऐक्ट के प्राविजन्स में दिया गया है ५ साल तक के लिये वायस चांसलर को नामजद कर सकते हैं और ऐसे नामजद कुलपति को सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो इस विधेयक में हैं।

श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ जब पिछले साल एक छोटा सा विधेयक इसीलिये रखा गया था कि एक साल के लिये वायस चांसलर की अवधि बढ़ा देंगे और इस बीच में नया ऐक्ट बनकर चुनाव हो जायगा और उस समय तक वह वायस चांसलर काम करेगा, उस समय इसलिये एक साल के लिये वायस चांसलर का टर्म बढ़ा रहे थे ताकि नया चुनाव हो सके। यही माननीय मंत्री जी का मुख्य कारण था। पिछली मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद आप इस यूनिवर्सिटी में नया संगठन कार्य करने जा रहे हैं कोई यह नई यूनिवर्सिटी नहीं बन रहीहै बल्कि पूरा पुरानी यूनिवर्सिटी के विधान में संशोधन कर रहे हैं और इसकी सब संस्थायें है विद्यमान हैं। फिर क्या बात है कि हम अख्तियार दें कि चांसलर चाहें तो वायस चांसलर भी एक साल या अधिक के लिये नामीनेट कर सकते हैं। को

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—सेक्शन ३५ मैं आप के सामने पढ़े देता हूं।

"35. Nothwithstanding anything in the Principal Act, the Agra University (Supplementary) Act, 1952, or this Act, the Chancellor may at any time after this Act has been first published in the official Gazette appoint a person to be Vice-Chancellor and it shall not be necessary for making appointment to follow the procedure laid down in Section 9. The Vice-Chancellor so appointed shall exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Vice-Chancellor under this Act and shall hold office for one year or for such longer period as may be required for a Vice-Chancellor to be appointed under the provisions of this Act."

इसका मतलब यह है कि एक साल तक या उतने समय तक.....

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका मतलब आप ग़लत समझते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी बाद को पूरा जवाब दे सकते हैं। फिर भी अगर थोड़ी देर के लिये हम माननीय मंत्री जी की ही बात मान लें कि एक साल के लिये ही होगा तो भी मैं इस सिद्धांत का विरोध करता हूं। जब पहले आगरा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था उस समय प्रान्तीय सरकार ने एक आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी रखा था और उसने इस कार्य को संपादित किया था।

श्री हरगोविन्द सिंह—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। यह बिलकुल ग़लत बात कह रहे हैं। कोई आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी एप्वाइंट नहीं हुआ था।

अधिष्ठाता—यह तो कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर नहीं है, मंत्री जी। मगर जो बातें वह गलत कह रहे हैं उनको आप अपने भाषण में कह सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अगर माननीय मंत्री जी को इस बारे में कोई संदेह हो तो मैं आचार्य नरेन्द्रदेव यानी सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने पेश कर सकता हूं। अब मैं उन आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी का नाम भी बतला दूं, उनका नाम श्री एस० पी० किचलू था जो एप्वाइंट हुये थे।

अधिष्ठाता—एक निवेदन मुझे करना है कि आप अपने संशोधन से बहुत दूर चले गये हैं। आप का संशोधन यह है कि "उपर्युक्त आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ को जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय"। उसके लिये आप को तर्क देना चाहिये कि माननीय शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार न कर के सर्कुलेशन के लिये क्यों भेजा जाय। आप इससे बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल सूत्र रूप में तो नहीं है और मैं आप से इस बात की आज्ञा चाहूंगा कि मैं समझूं कि यह उच्च शिक्षा के संगठन के संबंध में सब से महत्वपूर्ण विधेयक है और इस सदन के इतिहास में जितने विधेयक आये हैं उन सबमें से महत्वपूर्ण विधेयकों में से है, और मैं आप का ध्यान माननीय अध्यक्ष की उस रूलिंग की ओर, अगर उसे रूलिंग कह सकें और स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री के शब्दों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा था कि आगरा यूनिवर्सिटी का जब बड़ा विधेयक आये तो सिद्धान्तों के बारे में विस्तार से बात की जायगी। यह माननीय अध्यक्ष का आदेश था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी, जो आज बार बार परेशान हो रहे हैं, यही कहा था। तो मैं इस बात को बतला रहा हूं कि जनमत के हेतु इसे प्रसारित करने की सिद्धान्त: क्या आवश्यकता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर हम सेलेक्ट कमेटी की बात मान लेते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि हम इसके, इस विधेयक के, सिद्धान्तों को मान लेते हैं। तो मैं एक एक करके आपकी आज्ञा से उन सिद्धान्तों की विवेचना करना चाहता हूं तब मैं इस बात को प्रतिपादित कर सकूंगा कि मैं क्यों यह चाहता हूं कि यह विधेयक जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

अगर वाइस चांसलर की नियुक्ति का ही प्रश्न लिया जाय तो चाहे वह एक साल के लिये हो, ५ साल के लिये हो या ६ साल के लिये हो, इसमें अवधि का सवाल मात्र ही नहीं आता है। सवाल तो यह है कि वाइस चांसलर की नामजदगी होती है या नहीं।

सार्वजनिक लेखा समिति के उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त नामनिर्देशनों की वापसी के लिये निर्धारित समय में परिवर्तन

अधिष्ठाता—एक मिनट के लिये आप बैठ जायं। मुझे कुछ आवश्यक घोषणा करनी है।

अध्यक्ष महोदय के पास एक निवेदन पत्र आया है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सदस्यता से नाम वापस लेने के लिये बजाय आज ४ बजे तक के २७ अगस्त, सन् १९५३ का समय दे दिया जाय। उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं इस एप्वाइंटमेंट के बारे में सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट का एक उद्धरण देना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है :--

"In our opinion these advantages are more than counterbalanced by the fact that the Vice-Chancellor so appointed will not fit in with the idea of an autonomous University and unless he is armed with special powers over-riding the Executive Council, there will be endless possibilities of conflict.

तो यह तो सम्पूर्णानन्द कमेटी की सिफारिश के बारे में है। राधाकृष्णन् कमीशन ने तो इस बात को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है कि किसी भी प्रकार से चांसलर अपनी ओर से ही वाइस चांसलर को एप्वाइंट करे। इसलिये उन्होंने इस बात का सुझाव दिया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल केवल एक नाम वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये भेजे। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है। बात यह है कि चांसलर का अर्थ एक प्रकार से राज्य सरकार से ही होता है क्योंकि विधान के अनुसार प्रत्येक आवश्यक मामलों पर गवर्नर को प्रदेशीय मंत्रिमंडल से राय लेनी ही पड़ती है। इसलिये चांसलर का कोई भी एप्वाइमेंट एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। इसलिये इस प्रकार के संशोधन का मानना मेरी समझ में ऐकेडेमिक बाडीज या यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता के लिये कुठाराघात होगा। माननीय मंत्री जी ने यूनीवर्सिटी की स्वतंत्रता के बारे में कहा कि उनकी स्वतंत्रता साध्य नहीं साधन है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि महत्वपूर्ण साध्य के लिये साधन भी महत्वपूर्ण ही चुनना होता है। बिना महत्वपूर्ण साधन के महत्वपूर्ण साध्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। मैं यह भी समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह मत है कि यूनिवर्सिटी के साध्य के द्वारा वे वास्तविक उच्च शिक्षा के आदर्श तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं जिसके लिये यह भी नितान्त आवश्यक है कि यूनीवर्सिटीज की स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखा जाय। अपने एक वक्तव्य में माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि ओटोनामी दो प्रकार की होती है---(१) मेनेजेरियल ओटोनोमी, (२) एकेडेमिक ओटोनामी। लेकिन मैं क्या करूं, माननीय मंत्री जी की इस परिभाषा से कोई भी विद्वान तो सहमत नहीं है। मैंने माननीय संपूर्णानन्द जी का एक लेख नेशनल हैरल्ड में पढ़ा वे भी आपकी इस परिभाषा से सहमत नहीं हैं। मेरे पास एक मूथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का उद्धरण मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी रिफार्म्स के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट है। वह इस प्रकार है:--

"We doubt whether any useful purpose is served by seeking to draw a distinction between academic and Administrative or Financial autonomy. The university is a single entity and the issues of its academic freedom cannot be considered in isolation."

अगर माननीय मंत्री जी ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि मेरी भावना उससे प्रतिपादित होती है। इसी प्रकार से अगर माननीय मंत्री जी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के संगठन को देखें, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के संगठन को देखें तो उनको मालूम होगा कि संसार के करीब सब विश्वविद्यालयों में ओटोनोमी रही है। माननीय मंत्री जी ने एक बार फ्रांस का हवाला दिया था और कहा कि वहां भी तो डेमोक्रेसी है, वहां पर तो एजूकेशन मिनिस्टर टीचर्स को नामजद करते हैं। माननीय मंत्री जी को संसार में केवल एक मिसाल ऐसी मिली। लेकिन माननीय मंत्री जी इसके अलावा फ्रांस के विधान की और भी खूबियों को तो देखें तो उनको यह चीज कोई महत्व की मालूम नहीं देगी। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी ने वहां के विधान को पढ़ कर यह समझा है कि एकेडेमिक फ्रीडम का मतलब टीचर्स का एप्वाइंटमेंट मात्र है तो मैं कहूंगा कि उनका यह समझना गलत है।

अगर हम यह देखें कि केम्ब्रिज, आक्सफोर्ड, एडिनबर्ग आदि जो इंगलैण्ड के अन्दर करीब १९ विश्वविद्यालय हैं उनका विधान आज तक वहां की पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। ब्रिटेन के अन्दर यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि रायल चार्टर के अनुसार वहां यूनिवर्सिटी का विधान बनाया जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि वहां आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट या इस तरह का और कोई यूनिवर्सिटी ऐक्ट इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में पास किया गया हो। वहां की पार्लियामेंट में यूनिवर्सिटियों के बारे में बहस नहीं होती है, इतना बड़ा महत्व वहां की पार्लियामेंट ने, वहां के हाउस आफ कामंस ने विश्वविद्यालयों को दिया है जिस हाउस आफ कामंस की प्रणाली को, हम अपने यहां मानते हैं, जिसके प्रीविलेजेज को हम मानते हैं। वहां पर जब कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट का प्रश्न आता है, जब ग्रांट कमेटी की रिपोर्ट आती है उस समय यूनिवर्सिटी के बारे में वहां के लोग जानकारी कर लेते हैं, हाउस आफ कामंस के मेम्बर जानकारी कर लेते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी और हम ब्रिटेन की एकेडेमिक फ्रीडम की उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पर कि नाम-जदगियां नहीं होती हैं। यहां पर तो हम हर जगह देखते हैं कि "चांसलर शैल नामिनेट" मैनेजिंग बाडी कैसी होगी, क्या करेगी यानी सारा कांस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर ही बनाता है। वहां का तरीका ही दूसरा है। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता का अर्थ केवल मैनेजेरिअल आटोनामी, एकेडेमिक आटोनामी अलग अलग कर देना ही नहीं है। सवाल यह है कि हम यूनिवर्सिटी शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि संगठन कर के संगठन संबंधी क्षेत्र में भी उसे इतनी ही स्वतंत्रता दें जिससे यूनिवर्सिटी अपने लक्ष्य पर पहुंच सके। मान लीजिये कि कल को एक इतिहास का प्रोफेसर होता है, कोई राजनीति का प्रोफेसर होता है, कोई विज्ञान का प्रोफेसर होता है, कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, जिसको बराबर इस बात का डर लगा रहे कि अगर हम किसी प्रकार से अपनी एक्जीक्यूटिव को संतुष्ट नहीं कर सके जिसमें कि गवर्नमेंट नामिनीज का बहुमत है उन्हीं का बोलबाला है तो आप किस प्रकार से समझते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधारा को प्रतिपादित कर सकेगा। विश्वविद्यालय किसी देश की प्रगति के, किसी देश की नयी व्यवस्था के अगुवा व नेतृत्व करने वाले होते हैं। किसी दी हुई व्यवस्था को मान लेना उनका फर्ज नहीं होता है। विश्वविद्यालय हमेशा सामाजिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, वैज्ञानिक व्यवस्था के नये आधारों का नेतृत्व करते आये हैं।

यह समझ लेना, यह कह लेना और यह विचार कर लेना कि विश्वविद्यालय केवल इसलिये ही हैं कि दी हुई व्यवस्था का समर्थन करें, किसी दिये हुए प्रोग्राम का समर्थन करें, अगर इस तरह से यूनीवर्सिटी स्वतंत्रता को देखने लगे तो फिर यूनिवर्सिटी आटोनामी कामयाब नहीं हो सकती है, वह फौरन असफल हो सकती है। इसलिये जो यूनिवर्सिटी आटोनामी की फंडामेंटल नीड है जैसा कि मूथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है:—

"We have no doubt at all that a high degree of autonomy is a fundamental need if a university is to perform its task properly. The claim to academic freedom rests we think on three grounds, on the necessity of freedom from any form of regimentation in the highest task of the university.

यह "फंडामेंटल नीड" बतलायी गयी है, इसका वहां कम महत्व नहीं है, लेकिन आज हम यहां देखते हैं कि चांसलर के नामिनेशन की प्रथा बढ़ती ही जाती है। पहले जहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल में चांसलर के नामिनेशनटेड सदस्य २० प्रतिशत होते थे

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

वहां अब उसको बढ़ा कर ३७ प्रतिशत कर दिया गया है। यानी ३७ प्रतिशत सदस्य चांसलर ही नामिनेट करेंगे। चांसलर के कर्त्तव्य के बारे में जैसा कि मैंने कहा मेरे पास डाक्टर अमरनाथ झा जैसे विशेषज्ञ की राय भी मौजूद है। इसके अलावा डाक्टर कार्वे, डाक्टर परांजपे, आदि दूसरे जिन लोगों ने राधा कृष्णन् कमीशन के सामने गवाही दी थी उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि चांसलर स्वयं गवर्नर नहीं होना चाहिये। यह सब लोगों की राय है। कलकत्ता यूनीवर्सिटी ने अपनी सिफारिश में साफ कहा है कि हमें इस बात को बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चांसलर जो गवर्नर हैं उनके चांसलर होने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है।

यह हमारे प्रान्त के सौभाग्य की बात है कि यहां ऐसे राज्यपाल हैं जो शिक्षा पद्धति में भी दिलचस्पी लेते हैं और उनको बहुत बड़ी हमदर्दी प्रान्त की शिक्षा पद्धति के सुधार से है, लेकिन चांसलर ऐसे ही आयेंगे यह नहीं कहा जा सकता। एक खतरे की तरफ ध्यान राधाकृष्णन कमीशन ने दिलाया था। ऐसे प्रान्तों में जहां एक या दो यूनीवर्सिटीज हैं और वहां गवर्नर चांसलर रहते हैं तो वह शिक्षा पद्धति की ओर समय दे पाते हैं, लेकिन जिस प्रान्त में ज्यादा यूनीवर्सिटीज हैं वहां गवर्नर चांसलर होने पर वे ज्यादा समय नहीं दे पाये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि राधाकृष्णन कमीशन ने जो सुझाव दिया है और सम्पूर्णानन्द कमेटी ने जो कहा है कि "चांसलर शेल बी एप्वाइंटेड बाई दी गवर्नर" यानी गवर्नर चांसलर नहीं रहेंगे यह प्रश्न हमारे सामने है कि गवर्नर चांसलर हों या न हों। इसके साथ ऐसे चांसलर जिनको कम फुर्सत हो और वे नामिनेशंस करें और उनका ३८ प्रतिशत बहुमत एक्जिक्यूटिव कौंसिल में हो तो इससे कैसे एक हाई डिग्री आफ आटोनामी हो सकती है, यह बात मेरी समझ के बाहर है। ब्रिटिश यूनीवर्सिटीज में लीड्स या मेनचेस्टर की यूनीवर्सिटी में नामजदगियों की प्रणाली है लेकिन सरकार नामजदगियां नहीं करती, चांसलर नामजदगी नहीं करता बल्कि एक्सपर्ट्स नामजदगियां करते हैं। वहां जो इंजीनियर्स के एसोसियेशंस हैं, वहां के जो विद्वान हैं, मेनचेस्टर में जो क्लाथ वर्कर्स के एसोसियेशंस हैं, जितनी भी एक्सपर्ट्स की इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन संस्थाओं के नामिनेटेड आदमी एक्जिक्यूटिव कौंसिल या सिनेट में होते हैं। वहां भी चांसलर और वाइस चांसलर के स्थान पर नामजदगी बार एसोसियेशंस, इंजीनियर एसोसियेशंस, रिसर्च, स्कालर्स के एसोसियेशंस, विज्ञान वेत्ताओं और एक्सपर्ट्स के एसोसियेशंस करें वे सबसे अच्छा आदमी उसकी योग्यता के आधार पर ब्रिटिश यूनीवर्सिटीज की भांति नामजद कर एक्जिक्यूटिव कौंसिल में अपने मेम्बर्स भेजें। उच्च शिक्षा का जो साध्य है जिस पर जोर दिया जाता है उस साध्य तक पहुंचने में ऐसा करने से अधिक सहायता मिलती लेकिन इस विधेयक में हम दूसरी स्थिति देख रहे हैं। साथ ही आटोनामी को खतरा है। एफ० जी० पेपवर्थ साहब जिनका यूनीवर्सिटीज के संगठन में बड़ा हाथ रहा है उन्होंने राधाकृष्णन कमीशन के सामने आटोनामी के बारे में गवाही देते हुए जिन बातों पर जोर दिया है उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"The problem of the autonomy of Indian Varsities is considered solely in relation to the extent to which the State can interfere in Varsity affairs. Whilst this factor is serious and fundamental, of no less importance is the fact that undesirable interference is not confined to the State, but extends to individual politicians and to other classes of non-academic persons, who under our existing constitution, so easily secure places on the Senates, Syndicates and other governing bodies of Varsities. This kind of intrusion into the statutory governing authorities of Varsities may often prove more detrimental to all Varsities than open State influence."

व्यक्तिगत प्रभाव के कारण, राजनीतिक नेताओं के प्रभाव के कारण जो अपने पावर पालिटिक्स के हेतु समझते हैं कि हमारा असर यूनीवर्सिटी में रहना चाहिये, उनका असर यूनीवर्सिटी अटानामी के लिये खतरा हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेपवर्थ महोदय ने राधाकृष्णन कमीशन के सामने जो खतरा पोलिटिकल डामिनेशन का रखा था और मूयम एन्क्वायरी कमेटी ने भी जिस ओर ध्यान दिलाया है क्या उसकी ओर ध्यान दिया गया है। मूयम एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है।

"There can be no real autonomy unless the teachers of the University are themselves free and that freedom will not be attained so long as any political group is permitted to dominate the University, Danger may come from two quarters—from the willingness of the dominant party to barter the Universities independence to secure and from such things as neglect, inefficiency or fear—the fear of unpopularity or of an outcry among students or in the press."

तो मूयम एन्क्वायरी कमेटी ने भी इसी खतरे की ओर संकेत किया है। तो आज केवल राज्य द्वारा ही नामजदगी से कोई इंटरफियरेंस या अटानामी को खतरा पहुंचने का डर नहीं है बल्कि व्यक्तिगत प्रभाव से भी इस बात का डर है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार जो कुछ व्यक्तिगत राजनीति इस देश में है माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं और इस बात के उदाहरण उनके पास हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है कि यूनीवर्सिटीज के अन्दर और हिन्दुस्तान की यूनीवर्सिटीज के अन्दर भी और यू० पी० के अन्दर भी इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रभाव रखने की आकांक्षा कुछ लोगों के अन्दर है और यह हमारी यूनीवर्सिटी की अटानामी के लिये, उसके स्वातंत्र्य के लिये और उसके विचार स्वातंत्र्य के लिये और शिक्षा स्वातंत्र्य के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है। आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बारे में, इस विधेयक में क्या लिखा है और अगर नहीं है तो फिर इसे जनमत के लिये क्यों न भेज दिया जाय। क्या यह बात सही नहीं है कि आप आगरा यूनीवर्सिटी बिल का संशोधन करने जा रहे हैं? क्या न्यायप्रियता का तकाजा यह नहीं है कि हम आगरा यूनीवर्सिटी से अफिलियेटेड कालेजेज की भी इस बारे में राय ले लें? क्या न्यायप्रियता का यह तकाजा नहीं है कि आगरा यूनीवर्सिटी में जो आज कल सिनेट काम कर रहा है और जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल आज काम कर रही है उसकी भी राय ले लें? आखिर ६५ कालेजेज इस यूनिवर्सिटी में एफीलियेटेड हैं जिनके भाग्य का फैसला आप करने जा रहे हैं, उनके अध्यापकों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं, उनके लिये नियम बनवाने जा रहे हैं तो क्या वहां के अध्यापकों का यह भी हक नहीं है कि वे हमें अपनी राय से अनुग्रहीत करें। उनके टीचर्स असोसियेशन हैं, उनके प्रान्तीय असोसियेशन हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स असोसियेशन भी हैं। तो उनको भी इस बात का अधिकार मिलना चाहिये कि वह अपनी राय को बतला सकें इस बिल के बारे में कि कहां पर कमी है, बार बार तो बिल नहीं आता। माननीय मंत्री जी यह तो नहीं चाहेंगे कि हर छठें महीने एक संशोधन बिल लाकर इस सदन में प्रस्तुत कर दें। यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिये शुरू में जो बिल बना रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगाइये। उसके बारे में आगरा सिनेट की राय लें, लखनऊ यूनीवर्सिटी की राय लीजिये, उसकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय लीजिये, एलाहाबाद की राय लीजिये और भी हो सकता है कि इंडिया की यूनीवर्सिटीज या बाहर की यूनीवर्सिटीज जो भी, जिससे भी सलाह मिल सकती हो उनकी सबकी राय लें। दूसरे कालेजेज जो आगरा यूनीवर्सिटी में अफिलियेटेड नहीं हैं उनकी भी राय लें। इसीलिये उसको जनमत हेतु प्रसारित करने की बात मैंने रखी है और इसीलिये मैंने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण यूनीवर्सिटी अटानामी के खतरे की बात रखी है और मुझे भरोसा है कि अगर जनमत के लिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह विधेयक प्रसारित हुआ तो आगरा यूनीवर्सिटी के अध्यापकगण और अन्य व्यक्ति जो सम्बन्धित होंगे वे गवाही देंगे कि कैसे व्यक्तिगत आचरण के द्वारा, व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा कई बार यूनीवर्सिटी के कार्य में रुकावटें आई हैं। इसके साथ ही साथ राधाकृष्णन् कमीशन ने कितने सुन्दर शब्दों में दूसरी महत्वपूर्ण बात को कहा है। मैं माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि हम देखते हैं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में ऐकेडेमिक मैटर्स में एकेडेमिक बोर्ड का प्रभुत्व कम है अगर आप इस विधेयक को देखें तो यह मालूम होगा कि एकेडेमिक बोर्ड जो बनाया गया है वह केवल राय देने वाली संस्था होगी। यह केवल एक्जिक्यूटिव कौंसिल को एडवाइस देने वाली संस्था होगी। यानी एक्जिक्यूटिव कौंसिल का केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में ही दखल देने का अधिकार नहीं बल्कि वह एकेडेमिक बोर्ड के ऊपर भी सुप्रीम होगी और अब इस परिभाषा के द्वारा सिनेट को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह एकेडेमिक बोर्ड को रिमूव कर सकती है। क्या यह बात सही है कि राधाकृष्णन् कमीशन और सम्पूर्णानन्द कमेटी ने और दूसरी कमेटीज़ ने इस बात की सिफारिश नहीं की थी कि आप एक एकेडेमिक कौंसिल बनायें। एकेडेमिक बोर्ड के बजाय इस कौंसिल को बनायें और इसकी ही सुप्रीम बाडी होनी चाहिये और इस एकेडेमिक कौंसिल के फैसलों में कोई एक्जिक्यूटिव का दखल नहीं होना चाहिये। अगर कहीं पर एकेडेमिक कौंसिल का एक्जिक्यूटिव से मतभेद हो जाय तो वे वायस चांसलर के पास जायं और वायस चान्सलर उसमें फैसला करें। यह बात सब कमेटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कही है। लेकिन आज इस विधेयक में इस बात को माना या है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल ही एकेडेमिक बोर्ड के ऊपर सुप्रीम बाडी है और उसमें ३७ फीसदी नामिनेशन होगा। हम कैसे मान लें कि यह सब स्वतंत्र होंगे गया वह एकेडेमिक मामलों में ही स्वतंत्र हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के पेज ४८ और ४९ पर क्या लिखा है। उसमें यह लिखा है कि :

"The higher education is undoubtedly, an obligation of the state but state aid is not to be confined with state control over academic policies and practices. Intellectual progress demands the maintenance of the spirit of free enquiry.

Professional integrity requires that teachers should be as free to speak as controversial issues as any other citizen of a free country. An atmosphere of freedom is essential for developing this university of the mind."

और मैं आपके सामने कहां तक उदाहरण पेश करूं। मैंने इस इस बात को जानने की कोशिश की कि देखें यूनीवर्सिटी की स्वतंत्रता के बारे में, अध्यापकों की स्वतंत्रता के बारे में, वहां के इन्तजाम के बारे में, वहां के एकेडेमिक बोर्ड के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं है लेकिन सब जगह मुझे एक बात ही मिली और वह यह है जो कि माननीय मंत्री जी के दृष्टिकोण के विरुद्ध है।

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो इसके बाद मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस स्वातंत्र्य भावना की तरफ ध्यान दें। अगर जनमत के हेतु यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तो मुझे आशा है कि जो बातें मैंने कही हैं वह सही साबित होंगी और उनको बल प्राप्त होगा।

इसके बाद में आपके द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी के इतिहास की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे कि उसके उद्देश्य की जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी और यह बात भी साबित हो सकेगी कि आखिर जनमत के हेतु इस बिल के आने से क्या फायदा है। आगरा यूनिवर्सिटी जब सन् १९२६ में बनायी गयी थी तो उस समय यह ख्याल था कि यह केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल साइड को आगरा ले जाने का विधेयक है। जितनी बातें भी कही गयीं उनमें यह कहा गया था कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ १० हजार का खर्चा है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कालेज उनको इलाहाबाद से अलग करके आगरा लाया जा रहा है। एक रजिस्ट्रार आफिस खोला जा रहा है लेकिन समय ने यह बतलाया कि वह केवल १० हजार की बात नहीं थी। आज जहां पर सवाल आता है सरकार के कंट्रोल का, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका क्या इरादा है आगरा यूनिवर्सिटी की ग्रांट बढाने के विषय में? जो उससे कालेज एफिलियेटेड हैं उनकी ग्रांट बढ़ाने का क्या इरादा है? क्योंकि सरकार उसकी शिक्षा प्रणाली पर कंट्रोल करती है और वह इस वजह से कि वह वहां की ग्रांट को कंट्रोल करती है जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में है कि सरकार वहां पर दखल देती है अगर वह बिना पूछे करजा ले लेते हैं। अब सरकार कहती है कि यूनिवर्सिटी हम से बिना पूछे खर्चा करती है, इन सब बातों में अगर सरकार को शिकायत है तो ठीक है। लेकिन अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के आंकड़े को देखें तो आगरा यूनिवर्सिटी में सन् ४६–४७ में आगरा यूनिवर्सिटी की आमदनी का ९.९६ प्रतिशत ग्रांट सरकार के खजाने से गई और ४७–४८ में १६.४८ प्रतिशत और ४८–४९ में १५.०८ प्रतिशत ग्रांट सरकार ने वहां दी और जहां तक मुझे मालूम है और मैंने आंकड़ों से जानने की कोशिश की उनसे मालूम होता है आगरा यूनिवर्सिटी की पूरी आमदनी का अधिक से अधिक २० प्रतिशत सरकार आजकल देती है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि माननीय मंत्री जी को इतनी अधिक उत्कंठा और अभिलाषा है कि यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में दखल दें जब कि वह उसको केवल २० प्रतिशत ही देते हैं लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन की मिसाल हमारे सामने है कि जहां पर लड़ाई से पहले २५ लाख पौंड ब्रिटेन की सरकार ग्रांट देती थी वहां अब १ करोड़ ७० लाख पौंड यानी ६ गुनी आज पहले से कर दी गई है और उस पर भी वहां सरकार के द्वारा कंट्रोल करने की कोई बात नहीं की जाती है कि वह दखल देना चाहती हो लेकिन यहां पर जहां बहुत कम ग्रांट दी जाती है वहां पर इतने अधिक कंट्रोल की बात सरकार सोचती है।

इसलिये हमें सोचना पड़ता है कि सरकार नया विधान कैसा बनाना चाहती है, वह अब भी एफिलियेटेड कालेज की रूपरेखा पर ही आधारित है। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी आटोनामस कालेज और वर्कमेन्स कालेज की बात करते हैं और इस तरह की नई नई विचारधारा की ओर चलते हैं परन्तु हमें यह नहीं मालूम कि वह कब तक उनको यहां स्थापित कर सकेंगे, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी यदि वह उनको यहां बना पायें लेकिन अभी तो उनकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती और आगे ४–५ साल तक के खुलने वाले नहीं हैं और आटोनामस की बात तो दूर है, हमारी यूनिवर्सिटी पहले अपने को टीचिंग इन्सटीट्यूट ही बना लें। मंत्री जी ने १५ साल बाद की बात अभी से सोची है लेकिन उन्होंने एफ़ीलियेटेड कालेज को कांस्टीटुएन्ट कालेज बनाने की बात नहीं समझी। राधा कृष्णन कमीशन ने भी कहा था कि एफीलियेटेड यूनिवर्सिटीज को अपने स्वरूप को बदलना चाहिये और वह देश के लिये अभिशाप है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जैसे ही लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने स्वरूप को छोड़ा वैसे ही हम ने अपने यहां उसी चीज को रख लिया। ठीक कदम तभी हो सकता था जब हम अपने यहां एफीलियेटेड कालेज को कांस्टीटुएंट कालेज बनाते।

मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की भी यही सिफारिश थी कि यूनिवर्सिटीज के पुर्ननिर्माण के लिये आवश्यक है कि सारे एफीलियेटेड कालेजों को बदल कर कांस्टीटुएन्ट कालेज बना दिया जाय और सब कालेजों के प्रति यूनिवर्सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन यूनिफार्म होना चाहिये। लेकिन यहां हमने अब भी वही एफीलिएटेड स्वरूप रक्खा है और

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यूनिवर्सिटी वह अब भी एक एगजामिनिंग बाडी ही रहेगी वास्तव में आजकल आगरा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी ही नहीं है बल्कि वह तो एक पब्लिक सरविस इंडस्ट्री की तरह है जिस का काम इम्तहान लेना है। आपने टीचर्स के लिये दो चार क्लाज इसमें रख दिये इससे कोई स्वरूप नहीं बदला वह तो अब भी वही पुराना स्वरूप रहा। सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट थी कि अब इंटर एजूकेशन और डिग्री एजूकेशन अलग अलग किये जायं परन्तु उन्होंने कोई स्वरूप उसका नहीं बदला।

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा पोस्ट ग्रैजुएट कालेजेज को अलग कर दिया है। लेकिन ग्रेजुएट और इंटरमीडियेट कालेजेज को मिक्स कर दिया है।

धारा २४ की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"24. (1) Every college which was an affiliated college on the first day of July, 1953, under and in accordance with the provisions of this Act, shall continue to be such college until the affiliation is cancelled or otherwise withdrawn under this Act.

(2) Notwithstanding any thing contained in the Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post graduate classes to maintain Intermediate classes simultaneously with post graduate classes."

मैं यही कह रहा था कि इंटरमीडियेट क्लास और ग्रैजुएट क्लास को तो साथ साथ चलाते हैं लेकिन इंटरमीडियेट और पोस्टग्रैजुएट क्लासेज को अलग कर दिया है। तो सम्पूर्णानन्द कमेटी और राधाकृष्णन कमेटी का विषय यह कहां से निकाल लिया गया? यह बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं आयी। माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि चूंकि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी थी इसी लिये हम देर में बिल को लाये। हम चाहते थे कि उस पर विचार कर लें लेकिन विचार का क्या यही प्रतिफल रहा।

दूसरी तरफ सेकेंडरी एजूकेशन और हायर एजूकेशन का सम्बन्ध है। उसके लिये सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत है। लेकिन उस पर विचार नहीं हुआ है इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने एक मुडालियर कमेटी सेकेंडरी एजूकेशन के बारे में बिठायी थी। उस पर भी विचार नहीं हुआ। उस पर विचार न होते हुये भी माननीय मंत्री जी ने इस बिल में बतला दिया कि अफीलिएटेड कालेजेज में सेकेंडरी का क्या स्वरूप होगा। इस प्रकार माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने सिद्धांत को ठुकरा दिया। क्या हम इस बात की आशा नहीं कर सकते थे कि माननीय मंत्री जी थोड़ा रुक जाते। सेकेंडरी एजूकेशन के स्वरूप के बारे में जो उनकी नीति है पहले वह स्पष्ट हो जाती। सम्पूर्णानन्द कमेटी ने पहले की बात की सिफारिश की थी कि इंटरमीडियेट क्लास अबालिश कर दिया जाय और ग्रैजुएट क्लास दो के स्थान पर तीन साल के लिये कर दिया जाय। जैसा कि ब्रिटेन और यू० एस० ए० में है कि ग्रैजुएट बनने के लिये सोलह साल देने पड़ते हैं। सम्पूर्णानन्द कमेटी ने यह कहा था कि ग्रैजुएट डिग्री पाने के लिये पंदरह साल अनिवार्य कर दिये जायं। तो जब कि सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है तो क्या यह बात जरूरी नहीं है कि जबतक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर फैसला न कर लिया जाय तबतक हमारे माननीय मंत्री जी इस बात को स्थगित रखते और उसका इसमें समावेश न करते।

तो मैं कह रहा था कि एफिलिएटेड कालेजेज को कांस्टीटुएंट कालेजेज होना चाहिये। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट की ओर तो माननीय मंत्री जी ने बहुत कम ध्यान दिया कि प्रबन्ध कैसे होगा पर कालेज के अध्यापकों के लिये प्राविडंट फंड के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया लेकिन उनकी कंडीशंस आफ सरविस क्या होगी? ऐकेडेमिक कौंसिल होगी या नहीं? मैं तो इस बात की भी आवश्यकता समझता हूं कि अगर हम आगरा यूनिवर्सिटी का सुधार करना चाहते हैं तो हर एक कालेज में एकेडेमिक कौंसिल या एकेडेमिक बोर्ड बनाना होगा। वहां की मैनेजिंग कमेटी में भी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को रखना होगा। वहां भी इस प्रकार का एकेडेमी बोर्ड बनाना होगा जिसमें बाहर की संस्थाओं के एक्सपर्ट्स भी आ सकें। आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कालिजेज हैं लेकिन उनका क्या पारस्परिक आपस का संबंध है। सम्पूर्णानन्द कमेटी को तो इस बात की भारी शिकायत रही कि आगरा यूनिवर्सिटी के कालिजों

के अध्यापक और प्रोफेसर केवल चुनाव के हेतु एक दूसरे से मिलते हैं। किसी शिक्षा व्यवस्था के लिये आपस में नहीं मिलते। तो क्या यह आवश्यक नहीं था कि जहां हम एक ओर सेलेक्शन कमेटी बनायें, जहां हम फाइनेंस कमेटी बनायें, जहां हम बोर्ड आफ इंसपेक्शन में को खत्म करें, माननीय मंत्री जी ने बोर्ड आफ इंसपेक्शन को खत्म कर दिया, क्योंकि बोर्ड आफ इंसपेक्शन ने कोई काम नहीं किया लेकिन बोर्ड आफ इंसपेक्शन की जगह कौन सी संस्था लेगी, अब कौन कालिजेज को इंसपेक्ट करेगा यह कोई बात समझ में नहीं आती। पुराने विधेयक के अन्दर बोर्ड आफ इंसपेक्शन की व्यवस्था थी और इस बात की भी व्यवस्था थी कि प्रान्तीय सरकार किसी भी आफिलिएटेड कालिज का या यूनिवर्सिटी का इंसपेक्शन करा सकती है, जिसे पहले विजिटेशन कहते थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज तक बदइंतजामी की इतनी शिकायत होते हुये, अगर यह शिकायतें सही हैं तो माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने अपने उस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? कितने कालिजों का उन्होंने इंसपेक्शन कराया? कब यूनिवर्सिटी का विजिटेशन कराया? मैंने तो कोशिश की कि हमें कोई उदाहरण ऐसा मिल सके कि किसी कालिज का इंसपेक्शन सरकार ने कराया हो और कोई गलतियां निकाली हों और माननीय मंत्री जी किसी कालिज पर नाराज हुये हों। तो अपने अधिकारों का प्रयोग न करके यह इलजाम लगाना कि कालिज का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, स्तर गिर रहा है यह बात कुछ समझ में नहीं आती।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि कालिज के इंटरनल मैनेजमेंट में बिना दखल दिये हुये हमें यह नहीं देखना है कि बरेली कालिज, बरेली या आगरा कालिज, आगरा अलग चीज है, वह अपने क्षेत्र में और शहर में एक शिक्षा की संस्था है लेकिन यह देखना है कि वह जिस विशाल उद्देश्य को लेकर चलता है और जो उसका साध्य है उसको वह पूरा करने का एक अंग है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि अफिलिएटेड कालिज के बजाय कांस्टीटूएंट कालिज का होना बहुत जरूरी है। और जहां तक सरकारी डिग्री कालिज का संबंध है इसके लिये राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि डिग्री कालिज को अनिवार्य रूप से कांस्टीटूएंट मानना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने गवर्नमेंट डिग्री कालिज को भी अफिलिएटेड मान लिया, कम्युनिटी कालिज को भी अफिलिएटेड मान लिया, जो रिलीजस कैटेगरी के हैं उनको भी अफिलिएटेड मान लिया और पब्लिक कैटेगरी के हैं उनको भी मान लिया? कोई तो सीमा होनी चाहिये? कोई तो सीमांकन होता? जैसा क्राइस्ट चर्च कालिज, कानपुर है, या सेंटएंड्रूयज कालिज, गोरखपुर है या सेंट जांस कालिज, आगरा है जोकि क्रिश्चियन बाडी अमरीका में है उसके संरक्षण में काम करते हैं। जहां तक मैंने रिपोर्टों में देखा उनको इस बारे में कोई एतराज नहीं है। वह चाहते हैं कि जिस प्रकार भी आगरा यूनिवर्सिटी का एक अच्छा विधान हो सके शिक्षा सुधार के लिये तो वह हो। तो ऐसे कालिजों को भी अफिलिएटेड कालिज मानना यह बात मेरी समझ में नहीं आती। और जो उन कालिजों को दी जाने वाली ग्रांट में हमारी सरकार आधा हाथ रखती है तो यह आवश्यक है कि कालिज और यूनिवर्सिटी का एक मिला जुला संगठन बनाया जाय और यह तभी संभव है, जैसा कि हारकोर्ट बटलर साहब ने कहा था जबकि आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कालिजों का जिक्र आया तो उन्होंने "असोसिएटेड" शब्द इस्तेमाल किया था, "अफिलिएटेड" शब्द इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज जबकि हम इस विधेयक के जरिये आगरा यूनिवर्सिटी का स्वरूप नहीं बदल पाये। हम आटोनामस कालिज का जिक्र करते हैं, वर्कमेंस कालिज की व्यवस्था करते हैं लेकिन जो अफिलिएशन की हमारी नीति है उसको नहीं बदल पाये, सिद्धांत के रूप में, यह बात स्पष्ट हो गयी। इसलिये श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को अफिलिएटेड कालिजेज के पास भेजें। उनकी संस्था, उनके मैनेजमेंट के पास भेजें, उनकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास भेजें, वह खुद बतलायें हमको कि वह कैसा स्वरूप चाहते हैं, किस प्रकार वह अपने स्वप्नों के आगरा विश्वविद्यालय को चाहते हैं। क्या यह सदन इस बात के लिये तैयार नहीं है, क्या हमारे माननीय मंत्री जी इस बात के लिये तैयार नहीं है। मैं इस बात को नहीं मान सकता। लेकिन उनको अधिकार है। वह ऐसा कर सकते हैं। मैं एक मिसाल बम्बई की दूं। बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री एन० बी० कामे एक बिल के पास होने पर इतने नाराज हुये कि उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया, एतराज किया

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और कहा कि आपको यह अधिकार नहीं है कि बिना हमसे पूछे हुये, बिना हमारी राय जाने हुये यह बिल पास कर दें। तो श्रीमन्, मैं ऐसी कल्पना कर सकता हूं, और मेरी कल्पना बहुत कुछ माने तक सही हो सकती है कि आज हमारे प्रांत का अध्यापक समुदाय जो कि चाहता है कि सुधार हो, वह यही कहेगा कि हमसे बिना पूछे हुये बिना हमारी राय लिये यह बिल पास हो गया और जिनको पूरा अधिकार है यह बिल बनाने का, उन्होंने हमारी राय भी ली होती तो उनकी भी शान थी और हमारी भी शान थी।

तो जहां हमने यह प्रस्ताव रखा है, उसके साथ साथ में यह भी चाहता था कि इसमें एक ऐसे कालेज का भी विधान वह रखते जिसे बेसिक रूरल कालेज कहते हैं। क्योंकि जब वह आटोनामस कालेज की बात सोचते हैं, वर्किंग मैन्स कालेज की बात सोचते हैं तो जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी बात नहीं सोचते हैं। रूरल कालेज जिसके बारे में युनिवर्सिटी कमीशन ने पूरा एक चैप्टर लिखा है क्योंकि भारत की बढ़ती हुई बेकारी को देखकर और इस बात को मानते हुये, देखते हुये कि आज की शिक्षा हमारे देश में बेकारी को बढ़ा रही है, जो देहात से लड़के शहरों में पढ़ने आते हैं वह देहात के काम के फिर नहीं रह जाते, जब हमारे माननीय सदस्य देहातों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा लड़का विश्वविद्यालय में जाकर हमारे घर के काम का भी नहीं रह गया, नौकरी भी नहीं मिलती, और बेकार हो रहा है, इस तरह बेकारी बढ़ती है, तो इसी को दूर करने के लिये एक पूरे परिच्छेद में युनिवर्सिटी कमीशन ने रूरल कालेज की बात लिखी है और उसमें महात्मा गांधी जी का भी दृष्टांत दिया है। रूरल कालेज में छोटी छोटी काटेज इंडस्ट्रीज स्कीम, और तमाम ग्रामोद्योग के संबंध में, लैंड प्लानिंग के संबंध में, रूरल प्लानिंग के संबंध में और जितनी बातें ग्राम से संबंध रखती हैं उन सबके बारे में नये नये सुझाव उसमें दिये हैं तो जब दो नये कालेज की व्यवस्था इसमें कर रहे थे तो इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये थी। रूरल युनिवर्सिटी को छोड़ दीजिये, क्या यह नहीं हो सकता कि हम डेनमार्क के कालेज की तरह यहां व्यवस्था करें क्योंकि यह इतना आवश्यक है कि अगर जनमत लिया जाय तो मेरा विश्वास है जनमत इस बात को मानेगा और स्वयं मैं समझता हूं कि कहीं अगर माननीय राधाकृष्णन जी की राय हो तो वह पहले व्यक्ति होंगे जो यह कहें कि आपने हमारी जो असली राय थी, वह तो मानी नहीं और यह दूसरी बातें आपने कर लीं। तो ग्रंडवेट महोदय का पीपुल्स कालेज मूवमेंट डेनमार्क में जो कामयाब हुआ उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि वहां की शिक्षा प्रणाली बदल गई और वहां के पीपुल्स कालेज मूवमेंट के द्वारा निकले हुये विद्यार्थी ९० फीसदी आज देहातों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, सहयोगी समितियों को चला रहे हैं, ग्राम योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं और उनका ध्यान शहरों की तरफ नहीं होता, नौकरी की तरफ नहीं होता, नौकरशाही को परिपुष्ट करने की ओर नहीं होता, अपने देश को बनाने की ओर होता है, अपने ग्राम की उन्नति करने की ओर होता है। लेकिन आज हमारे विश्वविद्यालयों से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका बहुमत वही पुरानी दृष्टिकोण का, नौकरशाही में इस्तेमाल होने के लिये, क्लर्क बनने के लिये, कम्पीटीशन में बैठने के लिये, वही ढर्रा उनका चला आता है। यह किस प्रकार बदला जा सकता है। वर्किंग मैन्स कालेज से यह नहीं बदला जा सकता, रूरल कालेज से ही इसको बदल सकते हैं और मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री जी ने अपनी सारी नवीनता के होते हुये भी, सारी नवीन विचारधारा के होते हुये भी इस लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वर्किंग मैंस कालेज की बात माननीय मंत्री जी ने कही। लेकिन मैं देखता हूं कि जिन व्यक्तियों के लिये इस वर्किंग मैन्स कालेज की बात कही उनका इस विधेयक में कहीं जिक्र नहीं है। यह वर्किंग मैन्स कालेज, जैसा उन्होंने बतलाया, ऐसे लोगों के लिये है जो कि काम करते हैं कहीं अलग, कहीं कामर्स में या ट्रेड में, इसकी परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी है :

"The University may under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College for the purpose of providing courses for degrees to persons (otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged

in business, trade or industry or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

तो वर्किंग मैन्स कालेज एक प्रकार से प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिये हो सकते हैं। अभी वर्किंग मैन्स कालेज खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो श्रीमन्, आवश्यक यह था कि यह साफ कर दिया जाता कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को इस बात का मौका दिया जाय कि वे आगरा युनिवर्सिटी के जरिये इम्तहान दे सकें। अभी तक केवल महिलायें ही प्राइवेटली परीक्षा में बैठ सकती थीं। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ४ की उपधारा (२) (ए) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who-

(*a*) have pursued and approved course of study in an affiliated College, or in more than one affiliated Colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice Chancellor, or

(*b*) are teachers in educational institutions under conditions laid down conditions in the Statutes and ordinances, or

(*c*) are inspecting officers in a Department of Education and fulfil the laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*d*) have carried on independent research under conditons laid down in the Statutes and ordinances."

तो आवश्यकता इस बात की थी कि जहां पर "इंडिपेंडेंट रिसर्च" शब्द आया है उसके आगे "प्राइवेट ऐंड इंडिपेंडेंट स्टडी" शब्द जोड़ दिये जाते। इससे जो वर्किंगमेंस कालेज के पीछे माननीय मंत्री जी का उद्देश्य है वह पूरा हो जाता और जो आज तमाम सारे देश में इस बात की कामना करते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप में पढ़ लें उनके लक्ष्य की भी पूर्ति हो जाती। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान सन् २६ के डिबेट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जबकि सदन के एक माननीय सदस्य श्री दोशंगे साहब ने इसी आशय का एक अमेंडमेंट मूव किया था। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि प्राइवेट विद्यार्थियों को भी मौका मिलना चाहिये। रेगुलर स्टूडेंट्स के कोर्स आफ स्टडी का ड्यूरेशन दो साल का है लेकिन अब वर्किंगमेंस कालेज के लिये तीन साल रखा गया है, वे तो यहां तक तैयार थे कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिये ड्यूरेशन दूना यानी चार साल कर दिया जाय लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से पढ़नेवाले विद्यार्थी हैं उनको मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप उसूलों पर ज्यादा ध्यान दें, आप डिटेल में जा रहे हैं

श्री नारयण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं श्रीमन् कम से कम कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप ने पहले से आज्ञा दी है कि मैं डिटेल में न जाऊं। वैसे यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि यदि आप और यह सदन आज्ञा दें, तो मैं केवल इस विधेयक के सिद्धांतों पर एक दिन पूरा ले सकता हूं, यद्यपि मैं इतना समय नहीं लेना चाहता। दोशंगे साहब स्वराज्य पार्टी के मेम्बर थे जिसके नेता हमारे माननीय मुख्य मंत्री थे। उस समय यदि वाक आउट न किया गया होता तो सम्पूर्णानन्द कमेटी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह संशोधन उस दिन ही पास हो जाता। उसमें यह लिखा है :

"It was rejected 25 against 19 for The swaraj is opposition was absent. The presence of these members should have carried the amendment."

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो उस समय स्वराज्य पार्टी के नेता थे अगर वे उपस्थित रहते तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी की राय है कि वह अमेंडमेंट पास हो जाता कि प्राइवेट स्टुडेंट्स भी परीक्षा दे सकते हैं। ज्यादा न कह कर मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार महिलाओं के लिये सुविधा दी गयी है उसी प्रकार प्राइवेट स्टूडेंट्स की गरीबी और उनकी मजबूरी को देखते हुये उनको प्राइवेटली एपियर होने का पूरा पूरा मौका दिया जाय।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ, आपकी आज्ञा से, माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक के द्वारा रेलिजस इंस्ट्रक्शन देने की बात भी कही गई है। जहां पर आर्डिनेन्सेज का प्रश्न आया है। उसमें कहा गया है कि रेलिजस इंस्ट्रक्शन्स भी दिये जायंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधान के अनुसार वे कैसे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। क्यों कि वैसे तो पुराने ऐक्ट की धाराओं में लिखा हुआ है कि रेलिजस इंस्ट्रक्शन देना कोई कम्पलसरी नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं भी किसी स्कूल में रेलिजस इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे तो वह लोगों की सहमति से दिये जायेंगे जो कि ऐसी धार्मिक शिक्षा वृत्ति ग्रहण करना चाहते हों। लेकिन इस विधेयक के द्वारा रेलिजस इंस्ट्रक्शन के लिये आर्डिनेंस बनाये जायेंगे। आर्डिनेंसों की प्रक्रिया क्या होगी, एक्जीक्यूटिव कौंसिल उनको बनायेगी, यह भी स्पष्ट है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विधान की धारा २५, २६, २७ और २८ की ओर दिलाना चाहता हूं। खासतौर से मैं सदन का समय कम लेने के लिये केवल विधान की धारा २८ को पढ़ना चाहता हूं। २८ (१) में यह लिखा हुआ है :

"No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds."

यह धारा २८(१) रेलिजस इंस्ट्रक्शन के लिये मना करती है। धारा २८(२) इस प्रकार है :

"Nothing in clause (1) shall apply to educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution."

तो आगरा यूनिवर्सिटी के सामने जो अफीलियेटेड कालेजेज हैं उनमें ऐसे कालेजेज भी हैं जो कि केवल गवर्नमेंट कालेजेज हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जोकि कास्ट या रेलिजस डिनामिनेशन लेकर होती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रेलिजस इंस्ट्रक्शन शब्द जो है एक्सप्लेन हो जाना चाहिये। धारा २८ (१) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेलिजस इंस्ट्रक्शन सरकारी कालेजों में नहीं होगा और आगरा यूनिवर्सिटी से सरकारी कालेज सम्बद्ध हैं, तो मैं समझता हूं कि रेलिजस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसका स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि यह रेलिजस इंस्ट्रक्शन कैसे होगा। एक सेक्यूलर स्टेट में जबकि हमारा कांस्टीट्यूशन इस बात को साफ-साफ कहता है कि हम एक सेक्यूलर स्टेट है और किसी एक विशेष धर्म को या किसी एक विशेष प्रणाली को मानना हमारे लिये अनिवार्य नहीं है, तो फिर जब तक एक एक्सप्लेनेशन इस बात का नहीं होगा कि रेलिजन कौन सा हो, तब तक यह कैसे सम्पन्न होगा।

मैंने राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट इस बारे में देखने की कोशिश की है। तो उसमें है कि शुरू में एक प्रार्थना कर ली जाय और एक युनिवर्सल रेलीजन जो है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाय, तो वहां के अनुकूल इस विधेयक की धाराओं में लाने के लिये रेलीजस इंस्ट्रक्शंस का एक्सप्लेनेशन जो है उसके साथ ही साथ यह भी नियत होना चाहिये और वह यह बतलायें कि क्या पालिसी होगी रेलीजस इंस्ट्रक्शन के बारे में आया कि युनिवर्सल रेलीजन, यानी जो बातें सभी मजहबों में समान है, उनको हम पढ़ायेंगे, या वह कौन सी बातें हैं जिनकी शिक्षा दी जायगी। मैं यह नहीं कहता कि किसी मारल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है और सिर्फ फिजिक्स और कैमिस्ट्री ही पढ़ाई जाय और हम अपने चरित्र को ऊंचा न उठायें। लेकिन मैं जानना यह चाहता हूं कि आखिर यह रेलीजस इंस्ट्रक्शंस जो होने वाले हैं वह किस प्रकार के होंगे। इसीलिये जनमत की आवश्यकता है।

अब मैं आपकी आज्ञा से यूनिवर्सिटी विधान की ओर आना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने कुछ आम सिद्धांतों की जो बातें हैं, उनको इन जनरल लिया है। इस विधान के बारे में सबसे पहले वाइस-चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न है। इस विधेयक से उसे आनरेरी के बजाय होलटाइम कर दिया गया है। अब उन्हें

२,००० रुपये माहवार, आगरे में एक बंगला और जो सुविधायें एक होलटाइम काम करने वाले को मिल सकती हैं, वे मिलेंगी। सम्पूर्णानन्द कमेटी ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वाइसचांसलर आनरेरी होना चाहिये। कोई तनख्वाह पाने वाला उपकुलपति स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोई बड़ा विद्वान नौकर होना पसन्द भी नहीं करेगा। बहुत से विद्वान हैं, जिन्होंने राधाकृष्णन और सैडलर कमीशन के सामने इस बात की सिफारिस की थी कि वाइसचांसलर आनरेरी होना चाहिये। और सैडलर कमीशन ने ३०० गवाह सुनने के बाद इस बात का ऐसा फैसला किया था। मैं तो चाहता था कि हम उपकुलपति को टी० ए० आदि की सहूलियत देते लेकिन जब हम आगरा यूनिवर्सिटी को एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी ही रख रहे हैं तो उसमें टीचिंग का काम होने वाला नहीं है, तो एक खाली रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक होल टाइम वाइसचांसलर हम बिठा दें, वह क्या काम करेगा? अगर जनमत प्राप्त करने और सेले क कमेटी में बदल जाने के बाद एफीलियेटेड कालेज का रूप बदल जाता है, कंस्टीट्यूएंट कालेज सब हो जाते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि यह कहने के लिये कि वाइसचांसलर होलटाइम होना चाहिये, दूसरे, अब ३ नाम एग्जीक्यूटिव कौंसिल भेजेगी, तब उनमें एक को चांसलर महोदय एप्वाइन्ट करेंगे। आगरे के विद्वान प्रिंसिपल श्री आर० के० सिंह साहब के एक कमेंट को मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने यह कहा कि कोई विद्वान अपने को वाइसचांसलर होने के लिये अपना नाम पेश नहीं करेगा। कोई भी विद्वान, तीन नाम होने से, अपने नाम को इस तरह से पैरेड कराना पसन्द नहीं करेगा कि उनमें एक छांटा जाय। जहां ३ आदमियों में से प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन का सवाल आवेगा, वहां कोई भी विद्वान अपना नाम देना नहीं चाहेगा। इसलिये राधाकृष्णन कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी कि ओनली वन मैन शैल बी रिक्वैस्टेड टू बी रिकमैन्डेड ऐज वाइसचांसलर। मैं जानता हूं कि इसमें प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है लेकिन उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य हैं उपकुलपति के हाथ में विश्वविद्यालय की रूप रेखा होती है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा था कि कोइ आदमी जो अपने को यह कहे कि वह उम्मेदवार है, उसका उम्मीदवार अपने को कहना ही डिसक्वालीफिकेशन होनी चाहिये। या तो हम यह कह दें कि हमें कोई बड़ा विद्वान लेना ही नहीं है। यह बात नहीं है। कोई भी हो सकता है जो कि यूनिवर्सिटी का हो या कहीं का हो। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आउट स्टैंडिंग क्वालीफिकेशन्स का आदमी हो और दूसरी तरफ यह है कि इस तरह से कोई भी विद्वान आदमी इस तरह से इलेक्शन में खड़ा होना पसन्द नहीं करेगा, मैंने ब्रिटेन में देखा है कि वहां पर जो विद्वान व्यक्ति हैं वह इलेक्शन में खड़ा होना अपनी इंसल्ट समझते हैं। इसी लिये वायसचांसलर की वहां इतनी इज्जत है। अमरीकन यूनिवर्सिटी में वायसचांसलर का टर्म इंडेफिनिट कर दिया जाता है। इसलिये वहां पर जोन हापकिन्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के वाइसचांसलर की अनिश्चित मियाद है। जनरल आइजन हावर अभी तक उपर्युक्त विद्यालय के प्रेसीडेंट होते चले आ रहे हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में यह कर दिया जाता है कि तब तक वाइसचांसलर रहेंगे, जब तक कि वह रिटायर नहीं हो जायेंगे। इसलिये उनका व्यक्तिगत प्रभाव होता है सरकार में और पब्लिक में ऐसे व्यक्ति को लाने के लिये हमें खास कद उठाने के लिये आवश्यकता पड़ेगी।

श्रीमन्, मुझे इस बात का और भी दुख हुआ कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट नहीं कर दिया कि कुलपति यूनिवर्सिटी स्टाफ का व्यक्ति हो सकता है या नहीं। जैसा कि यह विधेयक है इसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसे महानुभाव जो यूनिवर्सिटी स्टाफ में है वह वायस चांसलर हो सकेंगे। हांलाकि सम्पूर्णानन्द कमेटी ने साफ कह दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है जो यूनिवर्सिटी स्टाफ का आदमी हो, चाहे वह प्रिंसिपल हो या कोई भी हो। यह सम्पूर्णानन्द कमेटी की सिफारिश थी और राधाकृष्णन कमीशन की भी यही मंशा थी।

मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वायसचांसलर किसी प्रोफेसर को होना चाहिये या नहीं क्योंकि यह तो बहस का सवाल है। यह विवाद का विषय है। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जब हम देखते हैं कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की राय यह नहीं है और राधाकृष्ण कमीशन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की भी राय स्पष्ट नहीं है तो फिर इस चीज को इस विधेयक में कायम रखना गलत होगा। यह जानने के लिये कि उपकुलपति के निर्वाचन के लिये हमें क्या रखना चाहिये। हम राधाकृष्णन कमीशन, सम्पूर्णानन्द कमेटी और सैडलर कमीशन की राय नहीं मान रहे हैं, तब हमें जनमत का लेना आवश्यक है। अभी तक हम किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच पाये हैं कि विश्वविद्यालय का उपकुलपति कोई प्रोफेसर हो या न हो, इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हम जनमत के हेतु इस बिल को प्रस्तावित करें।

इसके बाद अब मैं सीनेट के विधान के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा है कि सीनेट के मेम्बरों की संख्या घटा दी है और इस बात को आवश्यक कर दिया है कि किसी भी हालत में १२५ से अधिक संख्या किसी सीनेट की नहीं हो सकेगी। लेकिन उसके साथ ही साथ एक प्रतिबन्ध लगा दिया है कि किसी भी हालत में सीनेट के आधे से ज्यादा मेम्बर यूनिवर्सिटी और एफिलिऐटेड कालेजेज के टीचर्स नहीं होंगे। इस पर मुझे ऐतराज है क्योंकि इस प्रतिबन्ध के रहने से ऐकेडेमिक और नानएकेडेमिक लोगों का संतुलन सीनेट में नहीं रह सकेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक ओर तो यह कहा गया है कि सीनेट इतने मेम्बरों की होगी और दूसरी ओर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि ७१ बाहर के होंगे, बाहर से मेरा मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी और ऐफलीएटेड कालेजेज के टीचर्स नहीं है और ५४ यूनिवर्सिटी या कालेजेज के टीचर्स होंगे। एक तरफ तो यह कहा गया है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आधे-आधे होने चाहिये यानी ६२ टीचर्स हो सकते हैं और ६२ बाहर के हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ७१ बाहर के होंगे और ५४ यूनिवर्सिटी और ऐफिलएटेड कालेजेज के होंगे, तो इससे स्पष्ट है कि सीनेट की कार्यप्रणाली में जो माननीय मंत्री का आधे-आधे का सिद्धांत है वह पूरा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ अगस्त, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

सूची

१—जदटारी सादीपुर से कैनाल ब्रिज तक
२—पिसवा जहांगीरपुर
३—चंदौस पदम नगला
४—खैर पलाचन्द
५—बरौली कासिमपुर
६—हरदुआगंज बुदहंसी
७—दावौन लेहरा सलीमपुर
८—वाजिदपुर पैकना
९—वाजिदपुर ददेसरी
१०—विजयगढ़ सासनी
११—रती का नगला (रेलवे स्टेशन) हुसेन
१२—हुसेन गंडोला
१३—इगलास गोंडा
१४—गौडा अलीगढ़
१५—गौडा दतौल
१६—टप्पल जेवार

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

उत्तर प्रदेशीय सरकार

सिंचाई (वर्क्स) विभाग

संख्या १५७९–डब्ल्यू/२३/६२–डब्ल्यू/१९४६

लखनऊ, दिनांक ३१ मार्च, १९५३

विज्ञप्ति

डिवोल्यूशन ऐक्ट १९२० (१९२० का ऐक्ट संख्या ३८) द्वारा संशोधित नार्दन इंडिया कैनाल ऐंडड्रेनेज ऐक्ट, १८७३, (१८७३ का ऐक्ट संख्या ८) की धारा ७५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, तथा राज्य सिंचाई निर्माण कार्यों से की जाने वाली सिंचाई की वर्तमान सभी दरों को अधिक्रान्त करके (in supersession of) राज्यपाल महोदय निर्देश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सिंचाई निर्माण-कार्यों द्वारा की जाने वाली सिंचाई पर निम्नांकित अनुसूचियों में अंकित दरों के अनुसार परिव्यय (charges) वसूल किया जायेगा :

उपर्युक्त दरें १ अप्रैल, १९५३ से अर्थात् १९५३ की खरीफ फसल के प्रारम्भ से ही लागू होंगी ।

अनुसूचियां

अनुसूची संख्या १—अपर और लोअर गंगा नहरें, पूर्वी यमुना और आगरा नहरें शारदा नहर, दून नहरें, रामपुर की कोसी, बहाला, धुगा और गंगन नहरें, बिजनौर नहरें, रामगंगा, घाघरा, रोहिन डांडा, और रामगढ़ नहरें, बानगंगा नहर (जिसका निर्माण हो रहा है) ।

फ़सल	दरें–रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल (flow)		तोड़ (lift)	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	३२	०	१६१	०
चावल, तरकारियां, बाग हर फ़सल, सिंघाड़ा, पोस्ता	१४	०	७	०
तम्बाकू	१६	०	८	०
चाय, बगीचे और बाग दून नहर के	२०	०	०	०
गेहूं, जौ और वे फ़सलें जो गेहूं और जौ के साथ हों	१२	०	६	०
कपास	४	८	२	८
चारे की फ़सलें	३	०	१	८
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फ़सलें	९	०	४	८
अन्य खरीफ़ की फ़सलें	७	०	३	८

अनुसूची सं० २—बेतवा, धासन, केन, पहुज, गढ़मऊ, चकिया, घोसी, और सुखरा नहरें घाघरा नहर जिसमें गराई और कर्मनासा नहर भी सम्मिलित है, बरबार नहर, मंझगवां, औंसार, रायपुर, बेलासागर, कमालपुर, जवन्ती, कुलपहाड़ और जगनेर तालाब । बांदा जिले

जिले के तालाब, सिआ ओरी और बरबार झीलें, झांसी और हमीरपुर जिलों की झीलें और तालाब। बांदा और इलाहाबाद जिलों की केन-नहर तालाब, जालौन जिले की बेतवा नहर की बंधियां।

फ़सल	दरें—रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल (flow)		तोड़ (lift)	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	१६	०	८	०
चावल, तरकारियां, बाग हर फ़सल, सिंघाड़ा, पोस्ता	१०	०	५	०
कपास	३	०	१	८
तम्बाकू	१२	०	६	०
गेहूं, जौ, वे फ़सलें जो गेहू या जौ के साथ	१०	०	५	०
चारा	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फ़सलें	५	०	२	८
अन्य खरीफ़ की फ़सलें	५	०	२	८

अनुसूची सं० ३—रुहेलखंड नहरें जिन्हें शारदा नहर से पानी नहीं मिलता, कोसी, बहाला धुमा और गंगन नहरों अतिरिक्त अन्य रामपुर नहरें, जिनका उल्लेख अनुसूची सं० २ में किया गया है।

फ़सल	दरें—रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल (flow)		तोड़ (lift)	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	८	०	४	०
चावल, तरकारियां, बाग हर फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	४	०	२	०
अन्य खरीफ़ की फ़सलें	४	०	२	०
कपास	२	०	१	०
चारे की फ़सलें	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०

अनुसूची सं० ४—सरकारी नलकूप पानी की मात्रा निम्नलिखित दरों के अनुसार दी जायगी, जो सभी फ़सलों के लिए एक ही होगी—

ब्योरे	दर
(क) स्टीम या जल-विद्युत शक्ति गृहों की बिजली से चलाये जाने वाले नलकूप	१६,००० गैलन प्रति रुपया
(ख) डीजिल इंजिनों या डीजिल शक्ति गृहों से चलाने जाने वालें नलकूप	११,००० गैलन प्रति रुपया।

आज्ञा से,
आदित्यनाथ झा,
सचिव,
सिंचाई विभाग।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

गोरखपुर जिले की बांसगांव, सदर फरेंदा व महाराजगंज तहसील में निर्माण विभाग के अधीन सड़कें

क्रम-संख्या	तहसील	पक्की सड़कें	लम्बाई (मीलों में)	कच्ची सड़कें	लम्बाई (मीलों में)	सी० सी० ट्रैक्स	लम्बाई (मीलों में)
१	बांसगांव	१—इलाहाबाद गोरखपुर	३०				
२	सदर	१—इलाहाबाद-गोरखपुर	५ १/४			१—सोनबरसा-फुटवैनार	६ १/२
		२—लखनऊ-गोरखपुर	१६			२—बेला-सोनबरसा	४
		३—गोरखपुर-कसिया	१५			३—पिपराइच-बरगधी	५
		४—गोरखपुर-देवरिया	१६			४—तुलसीदेवसराय, गुलरिया	५
		५—गोरखपुर-शहजनवां	१०			५—पिपराइच-कुसमी	६
		६—गोरखपुर-फरेंदा	१४				
		७—गोरखपुर-महाराजगंज	१३				
		८—सोनबरसा-सरदारनगर	६				
३	फरेंदा	१—गोरखपुर-फरेंदा	१३	१—फरेंदा नौतनवां	२८	१—फरेंदा मिल्स	४
				२—फरेंदा महाराजगंज	१०		
				३—नौतनवां सोनौली	४		
				४—नौतनवां तूतीबारी	१८ १/२		
४	महाराजगंज	१—गोरखपुर महाराजगंज	२२	१—फरेंदा-महाराजगंज	८	१—सिसवा शिवदत्त छपरा	३
		२—कैप्टेनगंज-परतावल	५	२—महाराजगंज निचलौल	१६	२—सिसवा-हेवती	२
				३—निचलौल-तूतीबारी	८	३—विशनपुर-पकरी	६
				४—सिसवा निचलौल	१२	४—पौहारिया-कौसर	१
						५—सिसवा हाता	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में और खास कर सलोन, दक्षिणी-निर्वाचन क्षेत्र में सड़क निर्माण-कार्य

सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई मीलों में
(क) पक्की सड़कें—		
१—इलाहाबाद—लालगंज उन्नाव	पी० एच०	३३
२—रायबरेली—फैजाबाद	एम० डी० आर०	४ ३/४
(ख) कच्ची सड़कें—		
१—बछरावां—राजामऊ	ओ० डी० आर०	५
२—गुरबक्सगंज—बछरावां	"	१४ १/४
३—सिमरी खीरोन-गुरबक्सगंज	"	१२ १/४
४—सरेनी—सिमरी	"	९ १/४

नोट :—क्रम-संख्या २, ३ पर लिखी हुई सड़कें तथा क्रम-संख्या ४ पर लिखी सड़क में से ७ मील २ फर्लांग जिला बोर्ड, रायबरेली, को वापस कर दिये गये हैं।

(ग) कच्ची सड़कों को पक्की बनाने की योजना—

१—बछरावां—राजामऊ	५
२—बछरावां—महाराजगंज	१२ १/४

निम्नलिखित कार्य सलोन तहसील के दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है

१—इलाहाबाद—लालगंज सड़क	९ मील
२—मुस्तफाबाद—उमरां सड़क	९ "
३—लछमनपुर-अलीगंज सड़क	५ "

नोट :—उपरोक्त सड़कों में से क्रम-संख्या २ व ३ पर लिखी हुई सड़कें जिला बोर्ड, राबयरेली को वापस दे दी गई हैं।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

तालिका

श्री रामस्वरुप के प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

नाम जिला	संख्या टेस्ट बोरिंग	परिणाम
फैजाबाद	१	असफल
लखनऊ	१	सफल
कानपुर	२	सफल १
मथुरा	२	असफल
इलाहाबाद	१	सफल
बदायूं	१	असफल
फर्रुखाबाद	१	असफल
इटावा	२	असफल
प्रतापगढ़	१	सफल
बिजनौर	१	सफल
देहरादून	१	असफल
आगरा	१	असफल

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

मथुरा जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली गई सड़कों की सूची

सड़कों के नाम	लम्बाई	१९५२-५३ में सम्पन्न किया गया कार्य				
		नीचे की तह की जमाव	मध्य तह की जमाव	ऊपरी तह की जमाव	ऊपरी तह का एकीकरण	दूसरे कोट का रंगना
क—नई सड़कों का निर्माण (पक्की)						
१—छट्टा शेरगढ़	८.४	..	..	..	..	१ मील
२—गोवरधन-बरसाना	१२.२	इसके लिये १९५२-५३ के बजट में किसी भी धनराशि का आयोजन नहीं है, इसलिये १९५२-५३ में इन सड़कों पर कोई भी काम नहीं हो सका।				
३—वृन्दावन चत्तीकरा-राल	८.४					
ख—कच्ची सड़कें—						
१—नौझील-शेरगढ़	३.५					
२—नौझील-बजना	८.२					
३—राया-सादाबाद	१७.५	क्योंकि यह सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गई हैं इसलिये सन् १९५२-५३ में इन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ।				
४—गोबरधन-सौंक	७.२					
५—सहर-जैंट	८.१					
६—मात-जौरा	३.१					
७—निबगांव-राधाकुंड	२.२					
ग—स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण—						
१—राया-नौझील	२६.०			१ मील	१ मील	
२—राया-अलीगढ़	४.०	मार्च, ३१, १९५२, तक इस सड़क पर सारा आयोजित कार्य पूरा हो चुका है।				
३—बलदेव-सादाबाद जलेसर	२४.०	,,	,,	,,	,,	,,
घ—ओ० डी० आर० को पक्का बनाना—						
१—गोमत-बजना नौझील शेरगढ़	१७.१	६.४	५.७			
		(इसमें अलीगढ़ जिले के ५ मील २ फर्लांग भी सम्मिलित हैं।)				

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ''३३'' पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३

बिना अधिकार सरकारी भूमि पर अध्यासीन रहते हुये (occupying) व्यक्तियों की उक्त भूमि से बेदखली तथा उक्त भूमि के संबंध में लगान की बकाया की वसूली के निमित्त शीघ्रतर प्रसर (speedier process) की व्यवस्था के लिये

विधेयक

बिना अधिकार सरकारी भूमि पर अध्यासीन रहते हुये व्यक्तियों की उक्त भूमि से बेदखली तथा उक्त भूमि के संबंध में लगान की बकाया की वसूली के निमित्त शीघ्रतर प्रसर (speedier process) की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों के लिये, विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषा

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर :

(क) "सरकारी भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है, जो राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो। किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित (ऐसी भूमि) नहीं हैं जो :

(१) १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गांव समाज में निहित हो गई हो ; अथवा

(२) समय विशेष पर उक्त अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार भूमिधर, सीरदार, असामी अथवा अधिवासी के रूप में, किसी व्यक्ति के अधिकार या अध्यासन (occupation) में हों ; या

यू० पी० ऐक्ट, १७, १९३९

(३) जिस पर समय विशेष में कोई इमारत हो (जो निवासगृह, पशु-स्थान, गोदाम या अन्य किसी निर्माण से, जिसका अभिदेश यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ के खंड (८) के उपखंड (१) में है, भिन्न हो) और इमारत से अधिसंबंधित (appurtenant) भूमि;

एक्ट ४, १८८२

(ख) "पट्टे (lease)" का तात्पर्य ऐसी लीज (lease) से है जिसकी परिभाषा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा १०५ में की गयी है, और उसके अन्तर्गत कबूलियत (counter part) भी है ;

यू० पी० ऐक्ट १७, १९३९

(ग) "लगान" का अर्थ वही है जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में "रेंट (rent)" को दिया गया है और इसके अन्तर्गत उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के कारण देय धनराशि भी है;

(घ) पद "प्रदेशन ग्रहीता (allottee)" "पट्टेदार (lessee)" अथवा "अनुदान गृहीता (grantee)" के अन्तर्गत उनके स्वत्व के उत्साधिकारी भी हैं;

(ङ) पद और शब्द "प्रदेशन" "समर्थ अधिकारी" "नियत" तथा "राज्य सरकार" के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है किन्तु जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ में किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियम में किये गये हैं; और — यू० पी० ऐक्ट ३९, १९५२।

(च) उन पदों और शब्दों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है और जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ में नहीं किया गया है, किन्तु जिनका प्रयोग १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किया गया है वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियम में किये गये हैं। — यू० पी० ऐक्ट ३९, १९५२।

३—उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इन अधिनियम में अन्यथा की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि का अनधिकृत अध्यासी (in unauthorised occupation) समझा जायगा। — सरकारी भूमि का अनधिकृत अध्यासन।

(क) यदि उसने सरकारी भूमि पर इस प्रकार दखल किया हो जो किसी प्रदेशन, पट्टा या अनुदान के अधीन या अनुसार न हो,

केवल इस कारण कि किसी व्यक्ति ने कोई धनराशि लगान के रूप में दे दी है, उसके विषय में यह नहीं समझा जायगा कि उसने प्रदेशन गृहीता (allottee), पट्टेदार (lessee) अथवा अनुदान गृहीता (grantee) के रूप में कब्जा किया है। — स्पष्टीकरण।

(ख) और यदि वह प्रदेशन गृहीता (allottee), पट्टेदार या अनुदान गृहीता रहा हो किन्तु प्रदेशन, पट्टा या अनुदान में इस संबंध में दी हुई शर्तों के अनुसार उनकी समाप्ति या निरसन (cancellation) के कारण, उक्त भूमि पर अधिकार या अध्यासन का अधिकारी न रह गया हो।

४—(१) यदि समर्थ अधिकारी को संतोष हो जाय कि:— — काश्तकारी की शर्तों के भंग अथवा अनधिकृत अधिवास के कारण सरकारी भूमि से बेदखल करने का अधिकार।

(क) प्रदेशन गृहीता, पट्टेदार अथवा अनुदान गृहीता के रूप में सरकारी भूमि पर अध्यासन के लिये अधिकृत व्यक्ति, ने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात्;

(१) राज्य सरकार की अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना समस्त उक्त भूमि को या उसके किसी भाग को शिकमी उठा दिया है, (has sublet), अथवा

(२) किसी व्यक्त या अव्यक्त (express or implied), ऐसी शर्त या प्रतिबन्ध (condition) का पालन नहीं किया है, अथवा उसके उल्लंघन में कार्य किया है जिसके अधीन उसे उक्त भूमि पर अध्यासन का अधिकार था, अथवा

(ख) कि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि में अनधिकृत अध्यासन किये हुये है। तो समर्थ अधिकारी उस रीति से, जो नियत की जाय, नोटिस तामील करके उस व्यक्ति को तथा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उक्त सरकारी भूमि पर या उसके किसी भाग में अध्यासीन हो यह आदेश दे सकता है कि वह नोटिस तामील होने के दिनांक के तीस दिन के भीतर उसे खाली कर दें।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के पालन से इनकार करे अथवा उसका पालन न करें तो समर्थ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२, की धारा ७ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार सरकारी भूमि से उसकी बेदखली की आज्ञा दे सकता है और यदि इस आज्ञा का पालन नहीं किया जाय तो सरकारी भूमि से उक्त व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उक्त अधिनियम की धारा ८ से १२ तक के उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत अपील तथा अनधिकृत अध्यासन के लिये क्षतिपूर्ति से सम्बद्ध उपबन्ध भी हैं, इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो कि "सरकारी भूगृहादि" के स्थान पर शब्द "सरकारी भूमि" रख दिये गये थे।

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९५३।

बकाया लगान की वसूली।

५—यदि सरकारी भूमि पर अध्यासन के निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा लगान का बकाया देय हो तो उक्त बकाया की वसूली के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ की धारा ४ में कही गई रीति से समर्थ अधिकारी कार्य प्रारम्भ करेगा; और उक्त धारा के तथा उक्त अधिनियम की धारा ५ और ६ के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो कि शब्द "सरकारी भू-गृहादि" के स्थान पर शब्द "सरकारी भूमि" रख दिये गये थे।

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९५२।

कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में अपवाद।

६—इस अधिनियम में कही गई किसी बात से किसी व्यक्ति का ऐसे प्रतिकर पाने का अधिकार नष्ट अथवा बाधित न होगा जिसको उक्त प्रदेशन, पट्टा या अनुदान की शर्तों के अनुसार प्रदेशन, पट्टा या अनुदान के निरसन या समाप्ति पर पाने का वह अधिकारी हो।

बेदखली के प्रभावशाली होने पर फसल इकटठा करने का अधिकार।

७—यदि धारा ३ के खंड (ख) अथवा धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति धारा ४ के अधीन आज्ञा के अनुसार सरकारी भूमि से बेदखल कर दिया जाय तो वह अपनी फसल या वृक्षों के फलों का जो उक्त भूमि पर वर्तमान हों, ऐसे समय के भीतर जिसे समर्थ अधिकारी इस संबंध में निश्चित करें, देखभाल करने, इकट्ठा करने या हटाने के लिये अनुज्ञात (permitted) किया जायगा।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति।
ऐक्ट ९, १९०८।

८—इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ और १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अपील तथा प्रार्थना-पत्रों (applications) को प्रवृत्त होंगे और उक्त धारा १२ के प्रयोजनों के निमित्त धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन और अनुसार दी गई बेदखली की आज्ञा डिक्री समझी जायगी।

आज्ञाओं के संबंध में अपवाद।

९—उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन-अन्यथा की गई हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग में दी गई आज्ञा के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्य का बचाव।

१०—(१) इस अधिनियम या इसके अधीन दी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) नहीं की जा सकेगी।

(२) उस परिस्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में स्पष्टरूप से की गई हो, इस अधिनियम के या इसके अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार किसी ऐसे कार्य के कारण जो सद्भावना से किया गया हो या जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, पहुंची हुई या पहुंचने वाली क्षति के लिये राज्य सरकार या समर्थ अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अन्य विधियों की प्रवृत्ति।

११—किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के आधार पर सप्रभाव किसी करण (instrument) में किसी विपरीत बात के रहते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावशाली होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

१२—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है,

(२) विशेषतया और उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) नोटिस (notice) का आकार (form) और उसे तामील करने की रीति,

(ख) सरकारी भूमि पर दखल (possession) लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) धारा ४ के अधीन कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) अनधिकृत अध्यासन (unauthorised occupation) के कारण देय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की रीति,

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जायं और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(च) अन्य कोई विषय जिसे नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

उद्देश्य और कारण

बिना अधिकार सरकारी भूमि पर अध्यासीन (occupying) तथा अध्यासन (occupation) के अधिकार के समाप्त होने पर अध्यासीन रहते हुये व्यक्तियों की बेदखली एवं उनसे देय धनराशि की वसूली की वर्तमान प्रक्रिया ऐसी है जिसके कारण प्रायः विलम्ब हो जाता है और इससे सार्वजनिक हित में बाधा पड़ती है। इस प्रकार की भूमि पर ऐसे व्यक्तियों के अध्यासन बने रहने से भूमि का नियोजित प्रयोग उचित रूप से नहीं हो पाता। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि उक्त व्यक्तियों की बेदखली और उनके द्वारा देय धनराशि की वसूली के लिय सरसरी प्रक्रिया की व्यवस्था की जाय।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७० एल० ए०—१९५३—८५०।